



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना

डोमनपुर चिवटहिया ग्राम पंचायत

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार

संत रविदास नगर







क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना



संत रविदास नगर

डोमनपुर चिवटहिया ग्राम पंचायत

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार



प्रकाशन

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (डीओई) (DOE) एवं उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
ईमेल: doeuplko@yahoo.com वेबसाइट: upenv.upsdc.gov.in

तकनीकी सहयोग

वसुधा फाउंडेशन
गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (जीईएजी)

मार्गदर्शन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
श्री मनोज सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव
श्री आशीष तिवारी, आईएफएस, सचिव

जिला प्रशासन

श्री विशाल सिंह, आईएएस, जिलाधिकारी (डीएम), संत रविदास नगर (भदोही)
डॉ. शिवाकांत द्विवेदी, पीडीएस, मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ), संत रविदास नगर (भदोही)

वसुधा फाउंडेशन

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ
श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक
डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ सलाहकार

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप

डॉ. शिराज वजीह, अध्यक्ष

लेखक

वसुधा फाउंडेशन

सुश्री कृति लूथरा, सुश्री शिविका सोलंकी, सुश्री रिनी दत्त

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के. के. सिंह

शोध समर्थन

वसुधा फाउंडेशन

डॉ. प्रीती सिंह, श्री नवीन कुमार, सुश्री मोनिका चक्रवर्ती, सुश्री फातिमा सैला

डोमनपुर चिवटहिया ग्राम पंचायत

श्री अरविन्द कुमार सिंह, ग्राम प्रधान

क्षेत्रीय शोध समर्थन

भारतीय जन कल्याण एवं प्रशिक्षण संस्थान, संत रविदास नगर

श्री जयशंकर प्रसाद, श्री रामाश्रय राम, सुश्री उषा गुप्ता, श्री रविशंकर कुमार गुप्ता

डिज़ाइन एवं लेआउट

वसुधा फाउंडेशन

श्री अमन कुमार, श्री रोहिण कुमार, श्री संतोष कुमार सिंह, सुश्री स्वाति बंसल, सुश्री प्रिया कालिया



श्री विशाल सिंह
(आई.ए.एस.)



जिलाधिकारी,
जनपद - भदोही
उत्तर प्रदेश

दिनांक :-

--:संदेश:--


ग्राम पंचायतों को जलवायु सजग ग्राम पंचायत बनाने हेतु समर्पित क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत- डोमनपुर चिवटहिया विकास खण्ड भदोही जनपद भदोही की कार्ययोजना हेतु संदेश लिखते हुए मुझे बहुत सम्मान का अनुभव हो रहा है। जैसा कि हम जलवायु के परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को देख रहे हैं, हमारे लिए जमीनी स्तर पर तत्काल और व्यापक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। हमारी ग्राम पंचायतें समुदाय के निकटतम शासन की एक आवश्यक इकाई होने के कारण जलवायु संबंधी चुनौतियों को कम करने और सतत् विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमारे समुदाय, हमारी पारिस्थितिकी तंत्र और हमारी अर्थ व्यवस्था आपस में जुड़े हैं और हमारे लिए ऐसी रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है जो जलवायु से जुड़े जोखिमों को कम करती हो।

ग्राम पंचायतों हेतु तैयार यह कार्ययोजना जलवायु पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा जो पंचायतों को क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत बनाने के लिए एक मार्ग दर्शक के रूप में कार्य करेगी।

मैं इस क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना निर्माण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली, स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर को धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि निर्मित कार्ययोजना ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने में सहयोगी होगी।

॥ शुभकामनाओं सहित ॥

भवदीय


(विशाल सिंह)

डॉ. शिवाकान्त द्विवेदी



मुख्य विकास अधिकारी
जनपद भदोही,
उत्तर प्रदेश
दिनांक:- ^{पत्र संख्या - 1467.}
19-09-24.

:: संदेश ::

जिस प्रकार हम और हमारी ग्राम पंचायतें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं उसमें यह कार्ययोजना सहयोगी होगी। स्मार्ट और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर हमारा लक्ष्य एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जो न केवल हमारे पर्यावरण की रक्षा करे बल्कि समुदाय के समग्र कल्याण को भी बढ़ावा दें।

यह कार्ययोजना ग्राम पंचायतों में संवाद, सहयोग और क्रियान्वयन को प्रेरित करेगी। इसके साथ ही हम सब मिलकर जलवायु नीतियों को प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं तथा स्थायी लक्ष्यों को अपना सकते हैं और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल पर्यावरणीय रूप से मजबूत हो बल्कि समाजिक रूप से भी न्याय संगत हो।

मैं क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत- डोमनपुर चिवटहिया विकास खण्ड भदोही जनपद भदोही की कार्ययोजना विकसित करने में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश के तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समर्पित प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

एक बार पुनः क्लाइमेट कार्य योजना तैयार करने में अमूल्य योगदान के लिये मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ तथा योजना के सफल कार्यान्वयन और समुदाय एवं पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव की आशा करता हूँ।

॥ शुभकामनाओं सहित ॥

भवदीय
(डॉ. शिवाकान्त द्विवेदी)

ग्राम पंचायत डोमनपुर चिवटहिया

वि.खं.- भदोही, जनपद- भदोही (उ.प्र.)- 221409

अरविन्द कुमार सिंह
ग्राम प्रधान

पत्रांक संख्या : 1601

दिनांक : 21/09/2024...

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत- डोमनपुर चिवटहिया

विकास खण्ड भदोही, जनपद- भदोही।

आमार

सर्वप्रथम आप सभी को प्रधान ग्राम पंचायत- डोमनपुर चिवटहिया विकास खण्ड भदोही, जनपद- भदोही की ओर से सादर नमस्कार और अभिनन्दन मुझे आशा ही नहीं पुर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की ओर बढ़ाये गए कदम प्रयास को आपसे साझा करते हुये रोमांचित हूँ।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतिया हर दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही है। और हमारे समुदाय को और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए उन पर कार्य करना हमारी सामुहिक जिम्मेदारी है इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए सभी ग्रामवासियों की सर्वसहमति से हमने अपने ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया है। सर्वप्रथम आवश्यक था। ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित सगस्याओं और मुद्दों की पहचान करना जिसके लिये सामुदायिक सहभागिता के साथ साथ ग्राम सभा की बैठक एवं समूह केन्द्रित चर्चा के आयोजन के अतिरिक्त व्यक्तिगत चर्चा की गयी और आकड़ों को एकत्रित किया गया आकड़े एकत्रित करने की प्रक्रिया को पंचायत में क्रियान्वित करने के लिये मैं स्थानीय सहयोगी संस्था ग्राम्या संस्थान वाराणसी व गोरखपुर इन्वॉयरनेट एक्शन ग्रुप(जी0ई0ए0जी0) गोरखपुर के आकड़े एकत्रित करने में हमारे ग्रामवासियों के समर्थन व सक्रिय भागीदारी के लिये हृदय से धन्यवाद हम सभी साथ मिलकर हमारी ग्राम पंचायत में एक पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनायेंगे। जो न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा। अपितु प्रत्येक ग्रामीण के जीवन की समस्त गुणवत्ता को भी बढ़ायेगा।

इसके साथ ही पर्यावरण वन एवं परिवर्तन 30प्र0 और तकनीकी सहयोगी पार्टनर वसुधा फाउन्डेशन, नई दिल्ली का भी आभारी हूँ। जिन्होंने एकत्र किये गये आकड़ों को कार्य योजना का स्वरूप दिया तथा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

मैं सभी ग्रामवासियों से अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह करता हूँ। आइये हम सभी एक सकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़ें और दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करें।

धन्यवाद

(ग्राम प्रधान)

ग्राम पंचायत- डोमनपुर चिवटहिया

विकास खण्ड भदोही, जनपद- भदोही।



विषय-वस्तु

1	कार्यकारी सारांश	1
2	ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल	5
	▪ डोमनपुर चिवटहिया ग्राम पंचायत एक नजर में	5
	▪ जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल	6
	▪ प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ	7
	▪ कार्यरत महिलाएं	8
	▪ कृषि	9
	▪ प्राकृतिक संसाधन	10
	▪ डोमनपुर चिवटहिया में सुविधाएं	11
3	कार्बन फुटप्रिंट	12
4	व्यापक मुद्दे	13
5	प्रस्तावित मुझाव	14
	1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प	15
	2. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	20
	3. सतत कृषि	25
	4. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना	31
	5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच	35
	6. सतत और उन्नत गतिशीलता	45
	7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना	49
6	विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची	53
7	अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव	59
8	आगे की राह	65
9	अनुलग्नक	66

चित्र तालिका

चित्र 1:	डोमनपुर चिवटहिया ग्राम पंचायत, संत रविदास नगर ज़िले का भूमि उपयोग मानचित्र	6
चित्र 2:	डोमनपुर चिवटहिया में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1991-2018	7
चित्र 3:	डोमनपुर चिवटहिया में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1991- 2018	7
चित्र 4:	डोमनपुर चिवटहिया में परिवारों की आय के स्रोत	7
चित्र 5:	डोमनपुर चिवटहिया में घरेलू स्तर पर आय का वितरण	8
चित्र 6:	डोमनपुर चिवटहिया में राशन कार्ड वाले परिवार	8
चित्र 7:	डोमनपुर चिवटहिया में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या	9
चित्र 8:	डोमनपुर चिवटहिया में केवल कृषि पर निर्भर परिवार	9
चित्र 9:	डोमनपुर चिवटहिया में सकल फसल क्षेत्र का फसल-वार वितरण	10
चित्र 10:	2022 में डोमनपुर चिवटहिया में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट	12
चित्र 11:	2022 में डोमनपुर चिवटहिया के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी	12



कार्यकारी सारांश

उत्तर प्रदेश राज्य के संत रविदास नगर जिले की डोमनपुर चिवटहिया ग्राम पंचायत पूर्वी मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र में स्थित है। डोमनपुर चिवटहिया की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर जलवायु गतिविधियों/प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने और पंचायत को वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह कार्ययोजना ग्राम पंचायत को विशिष्ट दिशा प्रदान करती है जिससे पंचायत में लचीलापन लाने, अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने, कमजोरियों और संबंधित जोखिमों को कम करने के साथ-साथ ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, अतिरिक्त राजस्व सृजन, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे अन्य सह-लाभ प्राप्त कर पाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, द्वारा तैयार क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत के कार्ययोजनाओं के विकास के उद्देश्य से तैयार किए गए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मसौदे को अपनाकर इस कार्ययोजना को तैयार किया गया है। डोमनपुर चिवटहिया के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस तरह से तैयार की गई है कि इसे डोमनपुर चिवटहिया की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

इस कार्ययोजना में प्रमुख जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, पूर्वी मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दों, जलवायु परिवर्तनशीलता, ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति को शामिल किया गया है। कार्ययोजना में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, समूह केंद्रित चर्चाओं, संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों तथा डोमनपुर चिवटहिया ग्राम पंचायत के समुदाय के सदस्यों के सुझावों को भी सम्मिलित किया गया है। इससे आधार रेखा बनाने और डोमनपुर चिवटहिया ग्राम पंचायत के प्रमुख मुद्दों की पहचान करने में सहयता मिली है।

दृष्टिकोण

प्राथमिक सर्वेक्षण उपकरण का विकास

सर्वेक्षण और प्राथमिक आंकड़ें एकत्र करना : पंचायत में सर्वेक्षण का कार्य ग्राम प्रधान और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से किया गया। ग्रामीण सहभागी आंकलन (PRA) की गतिविधियों यथा समूह केंद्रित चर्चा (FGD), गाँव का भ्रमण (ट्रांसेक्ट वॉक), सामाजिक तथा संसाधन मानचित्रण आदि की सहायता एवं निवासियों और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से आंकड़ें एकत्र किए गए।

आंकड़ों का विश्लेषण और कार्ययोजना निर्माण

- ग्राम पंचायत के रूपरेखा तैयार करना: सर्वेक्षण प्रश्नावली पर प्राप्त जानकारी के आधार पर एक विस्तृत ग्राम पंचायत की रूपरेखा विकसित की गई। इस रूपरेखा में जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ, प्राकृतिक संसाधन और डोमनपुर चिवटहिया में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी सम्मिलित हैं।
- मुख्य मुद्दों की पहचान: सर्वेक्षण प्रश्नावली और खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (HRVCA) में प्राप्त जानकारी के माध्यम से प्रमुख जलवायु, विकासात्मक और पर्यावरणीय मुद्दों की एक विस्तृत सूची की पहचान की गई।
- कार्बन फुटप्रिंट अनुमान: डोमनपुर चिवटहिया में प्रमुख गतिविधियों* के लिए कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान लगाया गया।
- प्रस्तावित अनुशंसाएं: चिह्नित पर्यावरणीय और जलवायु मुद्दों के आधार पर डोमनपुर चिवटहिया के लिए अनुशंसाएं तैयार की गईं। इन अनुशंसाओं में पूर्वी मैदानी क्षेत्र की प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, डोमनपुर चिवटहिया की क्षेत्रवार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का निर्धारण किया गया है।

कार्ययोजना तैयार किए जाने के दौरान सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया। इससे जलवायु विषय पर कार्य करने के लिए समुदाय की क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

* गतिविधियों में शामिल हैं - बिजली की खपत, घरों में खाना पकाना, डीजल पंप के उपयोग से उत्पन्न उत्सर्जन, परिवहन, फसल अवशेष जलाना, पशुधन उत्सर्जन, उर्वरक उत्सर्जन, धान की खेती और घरेलू अपशिष्ट जल।

1 ग्राम पंचायत कार्य योजना में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, शमन और जोखिम भेद्यता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) के पहलू शामिल हैं।

जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान यह बताया गया है कि इस ग्राम पंचायत में एक राजस्व गांव और दो मजरे और 363 परिवार हैं, जिनकी कुल आबादी 1,870² है। कृषि ग्राम पंचायत की मुख्य आर्थिक गतिविधि है। आधारभूत मूल्यांकन से पता चलता है कि डोमनपुर चिवटहिया ग्राम पंचायत का कार्बन फुटप्रिंट ~1,377 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन³ (tCO₂e) है।

ग्राम पंचायत डोमनपुर चिवटहिया में तत्काल कार्यवाही हेतु पहचाने गए कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र निम्न हैं:

- जल निकासी और सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और जलजमाव को कम करना।
- जल निकायों का कार्याकल्प और जीर्णोद्धार तथा स्वच्छ जल तक पहुँच को बढ़ाना।
- स्वच्छता में सुधार और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन बुनियादी ढांचे में सुधार करना।
- सूक्ष्म सिंचाई, कृषि वानिकी और प्राकृतिक खेती जैसी सतत कृषि पद्धतियों को अपनाकर कृषि क्षेत्र में लचीलापन बनाना।
- नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) का उपयोग करना और घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं में सौर छतों की स्थापना, सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप और ऊर्जा कुशल फिक्सचर के माध्यम से ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना।
- परिवहन क्षेत्र और आवासीय खाना पकाने में ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता को कम करना।

संवेदनशील क्षेत्रों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और क्षेत्र सर्वेक्षणों से उभरने वाले मुद्दों और ग्राम पंचायत में चल रही गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं। गतिविधियों में जल, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, हरित स्थानों को बढ़ाना, सतत अपशिष्ट प्रबंधन, सतत गतिशीलता और आजीविका और हरित उद्यमशीलता के विषयगत क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।

इन संस्तुतियों के अंतर्गत गतिविधियों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है- चरण I (2024-27), चरण II (2027-30) और चरण III (2030-35)। चरण-वार लक्ष्यों को ग्राम पंचायतों के विवेक के अनुसार वार्षिक लक्ष्यों में वितरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चरण-वार लक्ष्य, संभावित लागत, केंद्रीय और राज्य योजनाओं का समर्थन करने के साथ-साथ सुझाई गई गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के रास्ते भी बताए गए हैं।

डोमनपुर चिवटहिया के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस तरह से तैयार की गई है कि इसे ग्राम पंचायत डोमनपुर चिवटहिया की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) निम्नलिखित द्वारा डोमनपुर चिवटहिया जीपीडीपी को पूरक और संपूरित करेगा:

- जलवायु परिप्रेक्ष्य के साथ मौजूदा विकास पहलों और गतिविधियों को व्यापक आधार देना।
- जीपीडीपी में प्रस्तावित विकास गतिविधियों के साथ जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों का समन्वय करना।

इस कार्ययोजना में हस्तक्षेप और वार्षिक लक्ष्यों को डोमनपुर चिवटहिया की ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की योजनाबद्ध गतिविधियों के साथ जोड़ते हुए लागू किया जा सकता है। जीपीडीपी के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मौजूदा आवंटित बजट का उपयोग इस योजना में प्रस्तावित जलवायु अनुकूलन और शमन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाओं के माध्यम से किए गए जल निकाय कार्याकल्प से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन लाभ भी होंगे। इसी प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची (जीपीडीपी के आधार) के 'गैर-पारंपरिक ऊर्जा' विषय के अंतर्गत निर्धारित धनराशि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा तैनाती को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

इस योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से बचाई गई/कम की गई कुल उत्सर्जन प्रति वर्ष 1,240 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO₂e) से अधिक होने का अनुमान है और अगले 20-25 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 2,52,000 tCO₂ तक बढ़ सकती है। तीन चरणों में इस योजना

2 जनगणना वर्ष 2011 के आंकड़ें: कुल जनसंख्या- 800 है

3 ग्राम पंचायत के भीतर बिजली की खपत के कारण स्कोप 2 उत्सर्जन शामिल है (यूपीपीसीएल से प्राप्त डेटा और सीईए से ग्रिड उत्सर्जन कारक)

के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित कुल लागत लगभग ₹22 करोड़ (11 वर्षों के लिए) है, जिसमें सामुदायिक निवेश, सार्वजनिक वित्त, निजी वित्त और संभावित कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंडिंग शामिल है। इसमें से, आवश्यक धनराशी का 30-35 प्रतिशत (लगभग ₹7.7 करोड़) केंद्रीय और राज्य योजनाओं/मिशनों/कार्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि शेष लागत सीएसआर और निजी फंड से प्राप्त की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभावित रूप से सीएसआर को शामिल करने और निजी वित्त जुटाने के लिए 'पंचायत-निजी-भागीदारी' का एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है।




वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट और सतत ग्राम पंचायत

जलवायु संबंधी गतिविधियों को विकास कार्यों में शामिल करना











क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ



डोमनपुर चिवटहिया

डोमनपुर चिवटहिया ग्राम पंचायत एक नजर में:[†]

	स्थान	भदोही ब्लॉक, संत रविदास नगर ज़िला		जल संसाधन:	3 तालाब 9 कुएं 1 नदी (वरुणा नदी)
	कुल क्षेत्रफल	217 हेक्टेयर		कृषि-जलवायु क्षेत्र⁷	<ul style="list-style-type: none"> पूर्वी मैदान जलवायु परिस्थितियाँ: गर्म ग्रीष्मकाल, ठंडी सर्दियाँ और मध्यम वर्षा अधिकतम तापमान: 41.4 °C न्यूनतम तापमान: 5.7 °C वार्षिक वर्षा: 803 मिमी मिट्टी का प्रकार: जलोढ़, सोडिक और दियारा मिट्टी मक्का, दालों और सब्जियों जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है
	संयोजन	1 राजस्व गांव और 2 मजरे		जिले की समग्र संवेदनशीलता⁸	मध्यम
	कुल जनसंख्या⁴	1,870		पुरुषों की संख्या	947
	महिलाओं की संख्या	923		कुल परिवार⁵	363
	पंचायत अवसंरचना	3-(पंचायत भवन, 2 प्राथमिक विद्यालय)		प्राथमिक आर्थिक गतिविधि	कृषि
	भूमि उपयोग⁶	कृषि भूमि - 192.2 हेक्टेयर सार्वजनिक भूमि: 25.2 हेक्टेयर		जिले की क्षेत्रीय संवेदनशीलता	<ul style="list-style-type: none"> जल संवेदनशीलता: बहुत अधिक ऊर्जा संवेदनशीलता: अधिक आपदा प्रबंधन संवेदनशीलता: अधिक ग्रामीण विकास की संवेदनशीलता: अधिक कृषि संवेदनशीलता: मध्यम स्वास्थ्य संवेदनशीलता: मध्यम वन संवेदनशीलता: कम

[†] योजना के विकास के लिए किए गए क्षेत्र सर्वेक्षण के आंकड़ों से प्राप्त (फरवरी, 2023)


⁴ भुवन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार ग्राम पंचायत का क्षेत्रफल 203 हेक्टेयर है। <https://bhuvanpanchayat.nrsc.gov.in/index.html> पर उपलब्ध है।

⁵ जनगणना 2011 के आंकड़ें: कुल जनसंख्या- 800; पुरुष- 393; महिला- 407

⁶ ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के अनुसार

⁷ उत्तर प्रदेश कृषि विभाग

⁸ उत्तर प्रदेश SAPCC 2.0



चित्र 1: डोमनपुर चिवटहिया ग्राम पंचायत, संत रविदास नगर जिले का भूमि उपयोग मानचित्र

जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) से प्राप्त जलवायु परिवर्तनशीलता आंकड़ें (तापमान और वर्षा)⁹ जिले में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में वृद्धि की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। वर्ष 1991 की तुलना में 2018 के लिए वार्षिक औसत अधिकतम तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई, जबकि वार्षिक औसत न्यूनतम तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई (चित्र 2)। उसी समय सीमा के दौरान, वार्षिक वर्षा में कमी की प्रवृत्ति दिखाई देती है (चित्र 3 देखें)। आईएमडी डेटा पंचायत स्तर पर तापमान परिवर्तनशीलता को सम्मिलित नहीं करते हैं और इसके अतिरिक्त, ऐसे दिन भी हैं जिनके लिए आंकड़ें उपलब्ध नहीं थे।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि 1991 से 2023 के बीच समग्र रूप से एशिया सम्पूर्ण विश्व की भूमि और महासागर के सापेक्ष औसत से अधिक तेजी से गर्म हुआ है और 2010-2020¹⁰ के दशक में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में गर्म दिनों में स्पष्ट वृद्धि हुई है। इसी तरह के निष्कर्षों की पुष्टि जलवायु परिवर्तन पर अंतः-सरकारी पैनल (आईपीसीसी)¹¹ और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार (एमओईएस)¹² के द्वारा भी की गयी है।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केंद्रित चर्चा से मौसम परिवर्तन के विषय पर समुदाय के विचारों के बारे में पता चलता है कि 2010-2020 के दशकों में, ग्राम पंचायत में गर्मियों के दिनों की संख्या में औसतन 15 दिनों की वृद्धि और सर्दियों के दिनों में लगभग 30 दिनों की कमी देखी गई है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने यह भी बताया कि बारिश के दिनों की संख्या में भी लगभग 20 दिनों की कमी आई है (मानसून की देर से शुरुआत)।


ग्राम पंचायत हेतु किए गए जलवायु परिवर्तनशीलता विश्लेषण में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) आंकड़ों के साथ-साथ ग्राम पंचायत में प्रचलित जलवायु परिवर्तनशीलता के संतुलित दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए सामुदायिक धारणा दोनों को ध्यान में रखा गया है।

9 डोमनपुर चिवटहिया के लिए दैनिक तापमान (अधिकतम और न्यूनतम) के आंकड़ें और दैनिक वर्षा डेटा वाराणसी स्थित आईएमडी मौसम केंद्र से लिया गया है, जो ग्राम पंचायत से लगभग 40 किमी दूर है, लेकिन उसी कृषि-जलवायु क्षेत्र में स्थित है


10 एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 (wmo.int)

11 AR6 संश्लेषण रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023 (ipcc.ch)

12 भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES), भारत सरकार की एक रिपोर्ट | स्प्रिंगर




चित्र 2: डोमनपुर चिवटहिया में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1991-2018



चित्र 3: डोमनपुर चिवटहिया में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1991-2018


प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ

ग्राम पंचायत में अधिकांश परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि (48 प्रतिशत) पर निर्भर हैं। इसके बाद गैर-कृषि मजदूरी (26 प्रतिशत), पशुपालन (9 प्रतिशत) और उद्यमशीलता (3 प्रतिशत) का स्थान आता है (चित्र 4 देखें)।




चित्र 4: डोमनपुर चिवटहिया में परिवारों की आय के स्रोत

प्राथमिक सर्वेक्षण से प्राप्त परिवार-स्तरीय आय के अनुमानों से पता चला है कि 67 प्रतिशत ऐसे परिवार हैं जो प्रति वर्ष ₹50,000 से कम कमाते हैं और 21 प्रतिशत ऐसे परिवार हैं जो ₹50,000 से 1 लाख के बीच कमाते हैं। परिवारों का केवल एक छोटा हिस्सा (2 प्रतिशत) ही ₹5 लाख से अधिक कमाते हैं (चित्र 5 देखें)।



चित्र 5: डोमनपुर चिवटहिया में घरेलू स्तर पर आय का वितरण

सर्वेक्षण के समय, 95 परिवार यानी ग्राम पंचायत में कुल परिवारों का 26 प्रतिशत परिवार गरीबी रेखा (बीपीएल) से नीचे थे। राशन कार्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 86 प्रतिशत परिवार सार्वजनिक वितरण योजना से लाभान्वित होते हैं और उनके पास राशन कार्ड¹³ हैं, इनमें से 26 प्रतिशत परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड है (चित्र 6 देखें)।




चित्र 6: डोमनपुर चिवटहिया में राशन कार्ड वाले परिवार

कार्यरत महिलाएं

डोमनपुर चिवटहिया में लगभग 123 कामकाजी महिलाएं हैं। वे अधिकतर कृषि और पशुपालन में संलग्न हैं (चित्र 7 देखें)। कुछ महिलाएँ सेवा क्षेत्र और स्थानीय व्यवसाय चलाने में भी संलग्न हैं। ग्राम पंचायत में 20 ऐसे परिवार हैं जिनकी मुखिया महिला¹⁴ हैं जो ग्राम पंचायत के कुल परिवारों का लगभग 5.5 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, 8 स्वयं सहायता समूह हैं जो बकरी और भैंस पालन जैसी विभिन्न गतिविधियों से जुड़े हुए हैं।

13 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल (https://nfsa.gov.in/portal/Ration_Card_State_Portals_AA)

14 महिला-मुखिया परिवार वे परिवार होते हैं जहां महिलाएं एकमात्र/प्राथमिक कमाने वाली होती हैं।




चित्र 7: डोमनपुर चिवटहिया में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या

कृषि

जैसा कि चित्र 4 में देखा गया है, गाम पंचायत में लगभग 48 प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। यह परिवार विभिन्न तरीकों से कृषि से जुड़े हुए हैं¹⁵ (चित्र 8 देखें)।

डोमनपुर चिवटहिया में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 192.2 हेक्टेयर है जबकि सकल फसल क्षेत्र ~369 हेक्टेयर है¹⁶। चित्र 9 में ग्राम पंचायत में सकल फसल क्षेत्र (हेक्टेयर) का फसलवार वितरण दिया गया है। क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख खरीफ फसलें धान (~2,661 किंटल) है। उगाई जाने वाली प्रमुख रबी फसलें गेहूं (~2,121 किंटल), और सरसों (~118 किंटल) हैं।


सिंचाई के मुख्य स्रोतों में वर्षा का जल, ट्यूबवेल, व्यक्तिगत बोरवेल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत में सिंचाई के लिए 15 इलेक्ट्रिक पंप और 1 सोलर पंप का भी उपयोग किया जाता है।



चित्र 8: डोमनपुर चिवटहिया में केवल कृषि पर निर्भर परिवार

15 यह ध्यान देने योग्य बात है कि कई परिवार एक से अधिक तरीकों से खेती में सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, छोटे ज़मीन के मालिक भी बड़े खेतों पर मज़दूरी कर सकते हैं। इसके अलावा, बड़े ज़मीन के मालिक किसान भी अनुबंध खेती कर सकते हैं।

16 ग्राम प्रधान के साथ कई दौर की चर्चा से प्राप्त जानकारी के अनुसार



चित्र 9: डोमनपुर चिवटहिया में सकल फसल क्षेत्र का फसल-वार वितरण

ग्राम पंचायत में लगभग 9 प्रतिशत परिवार पशुपालन में सम्मिलित है। ग्राम पंचायत में कुल पशुधन की संख्या लगभग 495 (160 गायें, 75 भैंसें, 60 बकरियाँ, 200 भेड़ें) है।

प्राकृतिक संसाधन

डोमनपुर चिवटहिया में लगभग 2.4 हेक्टेयर क्षेत्र में 3 तालाब और 9 कुएं हैं। वरुणा नदी डोमनपुर चिवटहिया ग्राम पंचायत से होकर बहती है। ग्राम पंचायत में पाए जाने वाले पेड़ आम, अमरूद, बांस, महुआ, शीशम, नीम, पीपल आदि हैं। इसके अतिरिक्त, 15-20 आम के पेड़ों वाला एक बाग भी है। ग्राम पंचायत के पास 25.2 हेक्टेयर सामान्य भूमि भी है। वृक्षारोपण को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), पंचायत राज विभाग और वृक्षारोपण जन अभियान के माध्यम से 2.5 हेक्टेयर भूमि पर लागू किया गया है। क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान बताया गया कि शीशम, सागवान, आंवला, कंजी और अमरूद मुख्य पेड़ प्रजातियाँ थीं, जिनकी औसत उत्तरजीविता दर 20 प्रतिशत है।

डोमनपुर चिवटहिया में सुविधाएं

बिजली तथा रसोई गैस (एलपीजी)

- बिजली कनेक्शन- 89.5% परिवार
- रसोई गैस कनेक्शन- 39.7% परिवार



पेयजल

- घरेलू उपयोग और ग्राम पंचायत स्तर की आपूर्ति के लिए पानी का मुख्य स्रोत-भूजल
- 47 इंडिया मार्क हैंडपंप

अपशिष्ट

- खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा हासिल
- घरेलू शौचालय कवरेज: 100%

आवागमन और बाज़ार तक पहुंच

- राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच 135A): 5 किमी
- रेलवे स्टेशन: 8 किमी
- बस स्टॉप: 8 किमी
- डाकघर: 1 किमी
- बैंक: 3 किमी
- कृषि बाजार: 10 किमी




शैक्षिक संस्थान

- 2 प्राथमिक विद्यालय

स्वास्थ्य संस्थान


- 2 आंगनवाड़ी केंद्र



हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों से कार्बन फुटप्रिंट (दूसरे शब्दों में, ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन) महत्वपूर्ण नहीं है, यह अभ्यास ग्राम पंचायत की पूरी आधारभूत रूपरेखा विकसित करने के लिए किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कार्ययोजना का उद्देश्य कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत नहीं, अपितु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकसित करना है। हालांकि, संस्तुतियों में उत्सर्जन में कमी के लाभ को सम्मिलित किया गया है जो कहीं न कहीं ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या हवा में कार्बन से होने वाले प्रदूषण को लगभग समाप्त करने में मदद करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस अभ्यास में इसलिए ग्रीन हाउस गैस (GHG) अनुमान सम्मिलित नहीं किये गए हैं।


इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट LiFE मिशन के सिद्धांतों के अनुरूप सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु संस्तुतियाँ प्रदान करने में भी सहायता करता है। कुल मिलाकर, 2022 में, डोमनपुर चिवटहिया ग्राम पंचायत ने कई तरह की गतिविधियों से लगभग 1,377 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO₂e) उत्सर्जित किया है (चित्र 10 देखें)।

ऊर्जा, कृषि और अपशिष्ट क्षेत्रों में घटित गतिविधियों का डोमनपुर चिवटहिया ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट में मुख्य योगदान दिया है। ऊर्जा क्षेत्र के उत्सर्जन में बिजली की खपत¹⁷, खाना पकाने के लिए ईंधन की लकड़ी और रसोई गैस (एलपीजी) के उपयोग, बिजली बैकअप के लिए जनरेटर का उपयोग और परिवहन के विभिन्न साधनों में जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) के उपयोग के कारण होता है। कृषि क्षेत्र के उत्सर्जन में धान की खेती, कृषि क्षेत्रों¹⁸ में उर्वरक का उपयोग, पशुधन और खाद प्रबंधन और फसल अवशेष जलाने के कारण होने वाले उत्सर्जन शामिल हैं। घरेलू अपशिष्ट जल के कारण होने वाले उत्सर्जन को अपशिष्ट क्षेत्र में शामिल किया गया है।



चित्र 10: 2022 में डोमनपुर चिवटहिया में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट

कुल उत्सर्जन में 57 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र का था। इस क्षेत्र के भीतर, धान के उत्सर्जन (~603 tCO₂e) प्रमुख योगदानकर्ता है, इसके बाद पशुधन उत्सर्जन (~151 tCO₂e) है। डोमनपुर चिवटहिया के कुल उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का योगदान 37 प्रतिशत है। ऊर्जा क्षेत्र के भीतर, परिवहन प्रमुख उत्सर्जक है (~281 tCO₂e), इसके बाद बिजली की खपत (~115 tCO₂e) और आवासीय खाना पकाने (~98 tCO₂e) का स्थान है। कुल उत्सर्जन में अपशिष्ट क्षेत्र की हिस्सेदारी 6 प्रतिशत है (चित्र 11 देखें)।



चित्र 11: 2022 में डोमनपुर चिवटहिया के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी

17 बिजली की खपत के कारण होने वाले उत्सर्जन को स्कोप 2 उत्सर्जन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए ईंधन (कोयला) का दहन जीपी सीमा के बाहर होता है।

18 डोमनपुर चिवटहिया जीपी के लिए उर्वरक उत्सर्जन का अनुमान पड़ोसी जिले जौनपुर से उर्वरक खपत के आंकड़ों का उपयोग करके लगाया गया है।

ग्राम पंचायत के व्यापक मुद्दों की पहचान ग्राम पंचायत के एकत्र किए आंकड़ों और पंचायत की एक बेसलाइन तैयार करने के लिए आंकड़ों के किए गए विश्लेषण, कृषि-जलवायु क्षेत्र की अंतर्निहित विशेषताओं, जिसमें ग्राम पंचायत स्थित है, के साथ-साथ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय के सदस्यों से प्राप्त जानकारी और समूह केन्द्रित चर्चा के आधार पर की गयी है।

जहां भी संभव हो सका है, इस जानकारी की पुष्टि उपलब्ध सरकारी स्रोतों से की गई है। हालाँकि, कुछ मुद्दे पूरी तरह से समुदाय की जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इनके लिए ग्राम पंचायत स्तर के आंकड़ें पुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं थे। ग्राम पंचायत में पहचाने गए मुद्दों का सारांश नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत मुद्दे एवं गतिविधियां अनुभाग के संबंधित विषयों में सूचीबद्ध हैं।

व्यापक मुद्दे

- सीमित और खराब रखरखाव वाले जल निकासी बुनियादी ढांचे के कारण ग्राम पंचायत के कुछ हिस्सों में जलजमाव की समस्या है
- ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन की कमी
- मौसम की अवधि में बदलाव और अनियमित वर्षा से ग्राम पंचायत में अन्य प्रभावों के साथ-साथ बुआई का समय, कटाई का समय और फसलों की सिंचाई की आवश्यकताएँ भी प्रभावित हो रही हैं
- हरित आवरण और जल निकायों सहित प्राकृतिक संसाधनों के रखरखाव में कमी
- आवासीय उपयोग और परिवहन आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता की कमी
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का अभाव

प्रत्येक विषयगत मुद्दे में कई सुझावों/संस्तुतियों को शामिल किया गया है, जिसमें शमन और अनुकूलन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पिछले अनुभाग में पहचाने गए प्रमुख मुद्दों को संबोधित करता है। सुझावों/संस्तुतियों को चरणबद्ध लक्ष्यों और लागत अनुमानों¹⁹ (जहाँ तक संभव हो) के साथ वर्णित किया गया है। लक्ष्यों को तीन चरणों में बांटा गया है: चरण- I (2024-25 से 2026-27); चरण- II (2027-28 से 2029-30); और चरण-III (2030-31 से 2034-35)।

प्रत्येक चरण के अंतर्गत लक्ष्यों का प्रभावी और निगरानीपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए वार्षिक लक्ष्यों (वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य) में विभाजित किया जा सकता है। साल-दर-साल लक्ष्य विकसित करने के प्रारूप को 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना' के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) दस्तावेज़ से संदर्भ लेते हुए तैयार किया जा सकता है। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण है जिसका उपयोग ग्राम प्रधानों, समुदाय के सदस्यों या किसी अन्य हितधारक द्वारा अपने संबंधित ग्राम पंचायतों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना विकसित करने के लिए किया जा सकता है।


पहचाने गए वित्तपोषण के विकल्पों/तरीकों में केंद्रीय या राज्य योजनाएं, ग्राम पंचायत की विभिन्न टाइड और अनटाइड निधि या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) हस्तक्षेप के माध्यम से निजी वित्त की पहचान की गई है। विस्तृत गतिविधियां/संस्तुतियाँ निम्नलिखित खंड में हैं।

कार्ययोजना में मुझाव निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं:

1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प
2. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
3. सतत कृषि
4. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना
5. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच
6. सतत और उन्नत गतिशीलता
7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इसके अतिरिक्त, सुझावों/संस्तुतियों का हिस्सा न बनाते हुए, पंचायतों द्वारा विचार के लिए संभावित प्रयासों/नवाचरों की एक सूची भी सूचीबद्ध की गई है। इन प्रयासों/नवाचरों को भारत के कुछ हिस्सों में ग्राम पंचायतों द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इन्हें यहाँ दोहराया भी जा सकता है। हालाँकि, ये प्रयास/नवाचार उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान में संचालित किसी भी योजना में शामिल नहीं हैं, इसलिए इन प्रयासों/नवाचरों के लिए धन का वहन समुदायों द्वारा या सीएसआर और निजी स्रोतों की खोज से किया जाएगा। इस कारण से इन्हें, उन्हें मुख्य सुझावों/संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

19 लागत का अनुमान निम्न जैसे विभिन्न तरीकों के आधार पर लगाया गया है:
ग्राम पंचायत के प्रमुख सदस्यों से प्राप्त जानकारी,
या प्रासंगिक योजनाओं और नीतियों के अनुसार लागत अनुमान,
या आवश्यक जानकारी की प्रति इकाई अनुमानित लागत
या विभिन्न विभागों की दरों की अनुसूचियाँ।



1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

संदर्भ एवं मुद्दे²⁰

- डोमनपुर चिवटहिया ग्राम पंचायत कृषि और घरेलू दोनों जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी के प्राथमिक स्रोत के रूप में भूजल पर निर्भर है।
- ग्राम पंचायत ने वर्ष 2022 में जून से जुलाई के महीनों में सूखे/सूखे जैसी स्थिति का अनुभव किया है जिसके कारण भूजल स्तर में गिरावट²¹ आई है। इसलिए, डोमनपुर चिवटहिया में वाटरशेड प्रबंधन को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत को विशेष रूप से मानसून के मौसम में - जून से सितंबर तक - गंभीर जलजमाव का सामना करना पड़ता है। ग्राम पंचायत से होकर बहने वाली वरुणा नदी का पानी पंचायत के कुछ निचले इलाकों में जमा हो जाता है, जिससे कनेक्टिविटी प्रभावित होती है और कचरा जमा हो जाता है जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, पीने का पानी प्रदूषित होता है और कृषि प्रभावित होती है।
- जल निकासी के बुनियादी ढांचे का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया है क्योंकि पहले से निर्मित अधिकांश नालियां टूटी हुई हैं या कचरे और गाद से भरी हुई हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण से पता चलता है कि ग्राम पंचायत के कुछ क्षेत्रों में नालियाँ ही नहीं हैं, जिससे पानी खेतों और कुछ निचली बस्तियों में बह जाता है, जिससे जलजमाव की समस्याएँ और भी गंभीर हो गई हैं।
- ग्राम पंचायत में 3 तालाब हैं जो तटबंधों से घिरे हुए हैं। कम बारिश के कारण मार्च और अप्रैल के दौरान ये तालाब सूख जाते हैं, जिससे उनकी जल धारण क्षमता प्रभावित होती है।
- इसके अलावा, गाँव में 9 कुएँ हैं, लेकिन रखखाव की कमी और गाद, मलबे और कचरे के जमा होने के कारण उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इसलिए, उन्हें साफ करने और कायाकल्प करने की आवश्यकता है।
- ग्राम पंचायत में पीने के पानी की आपूर्ति के लिए 47 इंडिया मार्क हैंडपंप हैं, लेकिन भूजल स्तर में गिरावट²² के कारण ये समुदाय की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं। साथ ही, इनमें से 20 हैंडपंपों का पानी उनके आसपास गंभीर जलजमाव के कारण प्रदूषित हो जाता है।

भूजल पर निर्भरता और पिछले पांच वर्षों में जलजमाव और सूखे की लगातार घटनाएं घटित होने से जल संरक्षण और भूजल संसाधनों को पुनः भरने के लिए वाटरशेड प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता है। ग्राम पंचायत डोमनपुर चिवटहिया में संवेदनशीलता को कम करने, लचीलापन बनाने और जल सुरक्षा में सुधार करने हेतु निम्नलिखित संस्तुतियां प्रस्तावित हैं।

20 क्षेत्रीय सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्टि की गई

21 क्षेत्र सर्वेक्षण में दी गई जानकारी के अनुसार

22 क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार



वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को बढ़ावा देना

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> सभी सरकारी भवनों/पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना सभी नये भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1,500 वर्ग फीट से अधिक आकार के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना सभी नये भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1,000 वर्गफुट से अधिक आकार के भूखंड पर आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना सभी नये भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना
लक्ष्य	सरकारी भवनों में 3 आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की संस्थापना - पंचायत भवन में, 2 प्राथमिक विद्यालय	63 घरों में 10 घन मीटर की औसत भंडारण क्षमता के साथ आरडब्ल्यूएच स्थापित करना	105 घरों में 10 घनमीटर की औसत भंडारण क्षमता के साथ आरडब्ल्यूएच संस्थापित करना
अनुमानित लागत	आरडब्ल्यूएच (10 घन मीटर क्षमता की 3 आरडब्ल्यूएच संरचनाएं): ₹1,05,000 कुल लागत: ₹1,05,000	आरडब्ल्यूएच: 63 इकाइयों के लिए ₹22,05,000 कुल लागत: ₹22,05,000	आरडब्ल्यूएच: 105 इकाइयों के लिए ₹36,75,000 कुल लागत: ₹36,75,000



जल निकायों का कायाकल्प एवं संरक्षण

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> तालाबों का कायाकल्प कुओं की सफाई और मरम्मत जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण पुनर्भरण गड्डों का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> जल निकायों का नियमित रखरखाव किया जाना जल निकायों के आसपास अतिरिक्त वृक्षारोपण का कार्य उपलब्ध जल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजना का अद्यतन करना 	<ol style="list-style-type: none"> जल निकायों का नियमित रखरखाव किया जाना उपलब्ध जल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजना का अद्यतन करना

<p>5. मौजूदा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) और निर्माण कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी)²³ की निम्न हेतु क्षमता निर्माण करना:</p> <ul style="list-style-type: none"> » जल संरक्षण में सुधार हेतु विभिन्न प्रमुख सामुदायिक समूहों के बीच जागरूकता बढ़ाना » विभिन्न उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उपलब्ध जल का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजना तैयार करना/अद्यतन करना 		
<p>1. 3 तालाबों की सफाई और चारों ओर सीमा का निर्माण</p> <p>2. 9 कुओं की सफाई और मरम्मत</p> <p>3. 20 पुनर्भरण गड्ढों का निर्माण</p> <p>4. जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ 1,000 पेड़ लगाना</p>	<p>1. 3 तालाबों का रखरखाव</p> <p>2. मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव</p> <p>3. जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ 1,000 अतिरिक्त पेड़ लगाना</p>	<p>1. 3 तालाबों का रखरखाव</p> <p>2. मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव</p>
<p>1. तालाबों का कायाकल्प ₹15,00,000</p> <p>2. 9 कुओं की सफाई और मरम्मत: ₹7,00,000</p> <p>3. 20 पुनर्भरण गड्ढों का निर्माण: ₹7,00,000</p> <p>4. जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: "हरित स्थानों और जैव विविधता को बढ़ाना" अनुभाग में शामिल: ₹12,70,000</p> <p>कुल लागत: ₹29,00,000</p>	<p>1. 3 तालाबों का रखरखाव: ₹11,25,000</p> <p>2. जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: "हरित और जैव विविधता को बढ़ाना" अनुभाग में शामिल: ₹12,70,000</p> <p>कुल लागत: ₹11,25,000</p>	<p>3 तालाबों का रखरखाव: ₹11,25,000</p> <p>कुल लागत: ₹11,25,000</p>

23 VWSC हैडबुक, <https://phed.cg.gov.in/sites/default/files/gphandbook-0.pdf>

24 एचआरवीसीए के अनुसार लागत



जल निकासी और सीवेज बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> 1. हैंडपंपों की रीबोरिंग 2. ड्रेनेज नेटवर्क का निर्माण 3. जलभराव को रोकने के लिए मौजूदा नालों की सफाई 	<ol style="list-style-type: none"> 1. मौजूदा नालियों की नियमित सफाई और रखरखाव 2. मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव 	सभी बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4 हैंडपंपों की रीबोरिंग 2. लगभग 2.5 किलोमीटर लंबे ड्रेनेज नेटवर्क का निर्माण 3. मौजूदा नालों की सफाई 	मौजूदा बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव	मौजूदा बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव
अनुमानित लागत ²⁵	<ol style="list-style-type: none"> 1. 4 हैंडपंपों की रीबोरिंग: ₹2,50,000 2. लगभग 2.5 किलोमीटर ड्रेनेज नेटवर्क का निर्माण: ₹48,75,000 3. मौजूदा नालों की सफाई: ₹17,50,000 कुल लागत: ₹68,75,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार



अपशिष्ट जल प्रबंधन

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> 1. विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल प्रशोधन प्रणाली (डीईडब्ल्यूएटीएस) की स्थापना 2. सोखता गड्ढों का निर्माण (डीईडब्ल्यूएटीएस से जुड़े न रहने वाले घरों के लिए) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. मौजूदा डीईडब्ल्यूएटीएस का नियमित रखरखाव 2. मौजूदा डीईडब्ल्यूएटीएस का नियमित रखरखाव और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सोखते गड्ढों का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> 1. भावी जनसंख्या वृद्धि के आधार पर अपशिष्ट जल उपचार इकाई का विस्तार 2. मौजूदा डीईडब्ल्यूएटीएस का नियमित रखरखाव और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सोखते गड्ढों का निर्माण

25 एचआरवीसीए के अनुसार लागत

लक्ष्य	1. 200 केएलडी क्षमता वाले 1 डीईडब्ल्यूटीएस की संस्थापना 2. चयनित स्थानों पर सोखता गड्डों का निर्माण आवश्यकता अनुसार	1. अपशिष्ट जल प्रशोधन अवसंरचना का रखरखाव 2. सोखते गड्डों का नियमित रखरखाव और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सोखता गड्डों का निर्माण	1 अपशिष्ट जल प्रशोधन अवसंरचना का रखरखाव 2. सोखते गड्डों का नियमित रखरखाव और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सोखता गड्डों का निर्माण
	अनुमानित लागत डीईडब्ल्यूटीएस की लागत ²⁶ : ₹60,00,000 कुल लागत: ₹60,00,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

वर्तमान में संचालित योजनाएँ और कार्यक्रम

- जल शक्ति अभियान: 'कैच द रेन' अभियान के माध्यम से उपलब्ध कराए गए प्रावधानों और संसाधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणालियों का विकास किया जा सकता है।
- सिंचाई विभाग के अंतर्गत उ०प्र० राज्य वार्षिक बजट को ग्राम पंचायत स्तर के जल निकाय संरक्षण और जीर्णोद्धार गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- पीएमकेएसवाई के तहत मनरेगा और वाटरशेड विकास घटक के तहत वार्षिक बजट का उपयोग वाटरशेड विकास गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का उपयोग ग्राम पंचायत स्तर की स्वच्छता गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
- सोख गड्डों के निर्माण के माध्यम से जीपी स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन को जल शक्ति अभियान: सुजलाम 2.0 अभियान के माध्यम से चैनलाइज़ किया जा सकता है।


वित्त के अन्य स्रोत

- जल निकायों और कुओं के अनुरक्षण और रख-रखाव में योगदान देने के लिए कॉर्पोरेट/सीएसआर को 'जल निकाय को अपनाने' के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा वाटरशेड विकास निधि के माध्यम से वाटरशेड विकास से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- ग्राम्य विकास विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
- उत्तर प्रदेश भूमि संसाधन विभाग

26 डीईडब्ल्यूटीएस की लागत प्रौद्योगिकी और अन्य संबंधित चर के अनुसार भिन्न हो सकती है



2. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

संदर्भ एवं मुद्दे²⁷

- ग्राम पंचायत में सभी घरेलू गतिविधियों (घरेलू सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक स्थान, तथा वाणिज्यिक क्षेत्र) से उत्पन्न कुल अपशिष्ट²⁸ लगभग ~150 किलोग्राम प्रतिदिन है, जिसमें 87 किलोग्राम प्रतिदिन जैव निम्नीकरणीय/जैविक अपशिष्ट और 63 किलोग्राम प्रतिदिन गैर-जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट शामिल है।
- ग्राम पंचायत डोमनपुर चिवटहिया में अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण और प्रभावी अपशिष्ट शोधन प्रणाली की कमी के कारण ग्राम पंचायत के अंदर और बाहर जल निकायों, नालियों और खाली भूखंडों में अपशिष्ट फेंका जाता है। इसके परिणामस्वरूप जल निकाय प्रदूषित हो जाते हैं और नालियों के जाम होने के कारण जलजमाव हो जाता है, जिससे कई स्वास्थ्य संबंधी रोग बढ़ जाते हैं।
- बड़ी मात्रा में कृषि और पशु अपशिष्ट भी अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दों को बढ़ाते हैं। ग्राम पंचायत में कुल पशुधन आबादी 495 है (160 गाय, 75 भैंस, 60 बकरियाँ, 200 भेड़) और अनुमानित गोबर उत्पादन लगभग 2.7 टन प्रति दिन²⁹ है जिसे डोमनपुर चिवटहिया में खाद, वर्मीकम्पोस्टिंग, प्राकृतिक उर्वरक उत्पादन और बायोगैस उत्पादन जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से स्थायी रूप से प्रबंधित किया जा सकता है।
- ग्राम पंचायत में ~100% घरों में व्यक्तिगत शौचालय है। तथापि, क्षेत्रीय सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चाओं ने ग्राम पंचायत में सार्वजनिक शौचालयों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

इस पृष्ठभूमि में, ग्राम पंचायत में 100% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं।

अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत-स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा की स्थापना कचरे के संग्रह और परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक कचरा संग्रह वैन किराए पर लेना और कर्मचारी की नियुक्ति 	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा का रखरखाव स्थापित मौजूदा कूड़ेदानों का रखरखाव और आवश्यकता के अनुसार नए चयनित स्थानों पर कूड़ेदानों की अतिरिक्त स्थापना 	<ol style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायत स्तर पर पृथक्करण और भंडारण सुविधा का रखरखाव किया जाना स्थापित मौजूदा कूड़ेदानों का रखरखाव किया जाना

27 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षणों और एफजीडी के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा इसकी पुष्टि की गई

28 आकलन पद्धति के लिए अनुलग्नक IV देखें

29 अनुमानित है कि गाएँ प्रतिदिन 10 किलोग्राम गोबर, भैंसें प्रतिदिन 15 किलोग्राम गोबर, सूअर प्रतिदिन 2 किलोग्राम गोबर तथा बकरियाँ और भेड़ें प्रतिदिन 150 ग्राम गोबर पैदा करती हैं।

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

लक्ष्य

अनुमानित लागत³⁰

<ul style="list-style-type: none"> » घरों और सार्वजनिक सुविधाओं से अलग-अलग कचरे का डोर-टू-डोर संग्रह » घरों से पंचायत-स्तरीय पृथक्करण सुविधा तक 3. चयनित स्थानों (राशन की दुकानें, बाजार, दुकानें, चाय की दुकानें आदि) पर कूड़ेदानों की स्थापना 4. पंचायत, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), अनौपचारिक कचरा बीनने वालों, स्थानीय स्कैप डीलरों, स्थानीय व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच साझेदारी स्थापित करना 	<p>3. ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी बढ़ाना</p>	<p>3. जीपी से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी बढ़ाना</p>
<ul style="list-style-type: none"> 1. विशिष्ट स्थान पर अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा की स्थापित करना 2. प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले लगभग 150 किलोग्राम कचरे को एकत्रित करने के लिए 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन (क्षमता 310 किलोग्राम) का प्रावधान 3. चयनित स्थानों पर 15 कूड़ेदानों की स्थापना 	<ul style="list-style-type: none"> 1. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कूड़ेदानों की स्थापना 2. मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव 	<ul style="list-style-type: none"> 1. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कूड़ेदानों की स्थापना 2. मौजूदा सुविधाओं और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव
<ul style="list-style-type: none"> 1. कचरा प्रबंधन सुविधा की स्थापना: ₹5,00,000 2. इलेक्ट्रिक कचरा वैन: ₹1,00,000 3. 15 कूड़ेदान : ₹2,75,000 <p>कुल लागत: ₹8,75,000</p>	<p>आवश्यकतानुसार</p>	<p>आवश्यकतानुसार</p>

30 एचआरवीसीए के अनुसार लागत



बेहतर स्वच्छता प्रबंधन

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> सामुदायिक शौचालयों का निर्माण सभी नए निर्माण/घरों में शौचालय सुनिश्चित करना 	<ol style="list-style-type: none"> अधिक सामुदायिक शौचालयों का निर्माण और मौजूदा का रखरखाव सभी नए निर्माण/घरों में शौचालय सुनिश्चित करना 	<ol style="list-style-type: none"> मौजूदा बुनियादी ढाँचे का रखरखाव सभी नए निर्माण/घरों में शौचालय सुनिश्चित करना
लक्ष्य	2 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण	अधिक सामुदायिक शौचालयों का निर्माण तथा मौजूदा शौचालय का रखरखाव	मौजूदा बुनियादी ढाँचे का रखरखाव
अनुमानित लागत ³¹	2 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण: ₹20,00,000 कुल लागत: ₹20,00,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार



जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> नाडेप कम्पोस्ट गड्ढे और वर्मीकम्पोस्ट गड्ढे की स्थापना ग्राम पंचायत में खाद मूल्य श्रृंखला स्थापित करने के लिए पंचायत और संबंधित हितधारकों के बीच साझेदारी का निर्माण करना 	<ol style="list-style-type: none"> खाद गड्ढों का नियमित रखरखाव किया जाना भागीदारी को ग्राम पंचायत से आगे बढ़ाकर अन्य गांवों/जिलों तक ले जाना 	<ol style="list-style-type: none"> खाद गड्ढों का नियमित रखरखाव भागीदारी को ग्राम पंचायत से आगे बढ़ाकर अन्य गांवों/जिलों तक ले जाना

31 एचआरवीसीए के अनुसार लागत

लक्ष्य	1. 10 नाडेप कम्पोस्ट गड्डे और 20 वर्मी कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना 2. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल (जिसका विस्तार से "आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना" अनुभाग में वर्णन किया गया है): » खाद का उत्पादन और बिक्री » कृषि अपशिष्ट की बिक्री	1. कम्पोस्ट गड्डों का रखरखाव 2. साझेदारी को बढ़ाना	1. कम्पोस्ट गड्डों का रखरखाव 2. साझेदारी को बढ़ाना
	कम्पोस्ट गड्डे: ₹3,50,000 कुल लागत: ₹3,50,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
अनुमानित लागत ³²			

एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
	<p>1. निम्न हेतु जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन: » ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) » छात्र एवं युवा समूह » समुदाय के सदस्य एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान</p> <p>2. प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पाद बनाने के लिए पंचायत की महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल ('आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना' अनुभाग में विस्तार से समझाया गया है)</p>	<p>1. नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम 2. भागीदारी को ग्राम पंचायत से आगे बढ़ाकर अन्य गांवों/जिलों तक ले जाना</p>	<p>1. नियमित जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम 2. भागीदारी को ग्राम पंचायत से आगे बढ़ाकर अन्य गांवों/जिलों तक ले जाना</p>
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ			

1. एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर पूर्ण प्रतिबंध
2. 100-120 महिलाओं को प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पादों के निर्माण में लगाया जाना

1. एसयूपी पर प्रतिबंध बरकरार रखना
2. इस ग्राम पंचायत एवं आस-पास के गांवों से बढ़ी सहभागिता:
» अतिरिक्त 200 महिलाएँ
» अतिरिक्त एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमी

1. एसयूपी पर प्रतिबंध बरकरार रखना
2. आसानी से विकल्प उपलब्ध होने के कारण उपभोक्ता-व्यापी प्लास्टिक का उपयोग कम हो जाता है

वर्तमान में संचालित योजनाएँ और कार्यक्रम

- समुदाय-आधारित खाद बनाने की सुविधाओं के निर्माण हेतु मनरेगा का उपयोग किया जा सकता है
- स्वच्छ भारत (ग्रामीण) मिशन के तहत अवसंरचना के विकास और प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- प्लास्टिक के लिए वैकल्पिक उत्पादों, खाद बनाने की प्रक्रियाओं के उत्पादन में शामिल सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास बढ़ाने और व्यक्तिगत स्तर पर सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में सीएसआर समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- इसके अलावा, प्लास्टिक के लिए वैकल्पिक उत्पादों, खाद बनाने की प्रक्रियाओं के उत्पादन में शामिल सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास बढ़ाने और व्यक्तिगत स्तर पर सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में सीएसआर समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक अवसंरचना को विकसित करने के लिए ग्रामपंचायत के अपने संसाधनों, बंधे और खुले निधियों सहित, का उपयोग किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- पंचायती राज विभाग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड



3. सतत कृषि

संदर्भ और मुद्दे³³

- ग्राम पंचायत डोमनपुर चिवटहिया में कुल बोया गया क्षेत्र 192.2 हेक्टेयर है और सकल फसली क्षेत्र लगभग 369 हेक्टेयर है।
- ग्राम पंचायत डोमनपुर चिवटहिया में 48 प्रतिशत परिवार कृषि पर निर्भर हैं और 9 प्रतिशत परिवार आय के स्रोत के रूप में पशुपालन पर निर्भर हैं।
- खरीफ और रबी मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें धान (~71 हेक्टेयर), गेहूं (~77 हेक्टेयर) और सरसों (~15 हेक्टेयर) हैं।
- ग्राम पंचायत ने वर्ष 2022 में जून से जुलाई के दौरान सूखे/सूखे जैसी स्थिति का अनुभव किया है। सूखे से फसल की पैदावार और चारे की उपलब्धता पर भी असर पड़ता है, जिससे समुदाय की आजीविका को खतरा है।
- मानसून के देर से आने के कारण धान की बुवाई का समय जून से जुलाई में बदल गया है। इसी तरह, गेहूं और सरसों के लिए, सर्दियों में देरी के कारण बुवाई का समय अक्टूबर/नवंबर से नवंबर/दिसंबर में बदल गया है।
- जून से सितंबर के महीनों के दौरान धान और सब्जी की खेती के लिए उपयोग किये जाने वाली लगभग 8 हेक्टेयर कृषि भूमि जलजमाव से प्रभावित होती है³⁴।
- वर्ष 2018 और 2022 के बीच, ग्राम पंचायत को अक्सर धान की फसलों को प्रभावित करने वाले रस्ट और एफिड्स जैसे कीटों की समस्याओं का सामना करना पड़ा।
- 2019 से 2022 के वर्षों में, बीमारियों, अनियमित वर्षा और शीत लहरों के कारण फसल का नुकसान हुआ है। नुकसान लगभग 1,650 क्विंटल उपज या लगभग ₹26 लाख (संबंधित वर्षों के प्रचलित एमएसपी द्वारा पुष्टि) है।
- किसान प्रति वर्ष ~54 टन यूरिया और अन्य नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जिससे प्रति वर्ष ~26 tCO₂e का जीएचजी उत्सर्जन होता है।
- कृषि सलाहकार सेवाओं और मौसम संबंधी जानकारी/चेतावनी प्रणालियों की अनुपस्थिति समुदाय को चरम मौसम की घटनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है।
- क्षेत्र सर्वेक्षणों में बताया गया है कि कृषि जल की मांग में वृद्धि हुई है, जिससे जल संरक्षण और बेहतर सिंचाई तकनीकों की आवश्यकता पर बल मिलता है।

उपरोक्त बिंदु अनुकूली क्षमता बढ़ाने के लिए सतत और सूखा प्रतिरोधी कृषि प्रथाओं को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

33 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण और एफजीडी के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोतों से इसकी पुष्टि की गई

34 डोमनपुर चिवटहिया जीपी के लिए उर्वरक उत्सर्जन का अनुमान पड़ोसी जिले जौनपुर से उर्वरक खपत के आंकड़ों का उपयोग करके लगाया गया है।



जलवायु लचीलापन का निर्माण

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

लक्ष्य

	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
	<ol style="list-style-type: none"> ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को बढ़ावा देना और अपनाना कृषि क्षेत्रों के चारों ओर पेड़ों के साथ मेड़बंधी का निर्माण कृषि तालाबों का निर्माण फसलों में आवश्यकता आधारित पोषक तत्व प्रबंधन (जैसे जैविक पुनर्चक्रण, पत्तियों पर छिड़काव के लिए पोषक तत्व, आदि)³⁵ सिंचित क्षेत्रों से वाष्पीकरण से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए मल्लिचिंग का उपयोग किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना कृषि क्षेत्र में चिपनित स्थानों पर मिनी मौसम स्टेशन की स्थापना 	<ol style="list-style-type: none"> मेड़बंधी का विस्तार अतिरिक्त कृषि तालाबों का निर्माण मौजूदा कृषि तालाबों और पेड़ों वाले मेड़ों का नियमित रखरखाव जागरूकता पैदा करने के प्रयास जारी रखना और किसानों को फसल नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए सहायता प्रदान करना 	<p>मौजूदा मेड़बंधी और कृषि तालाबों का रखरखाव किया जाना</p>
	<ol style="list-style-type: none"> लगभग 15 हेक्टेयर (सरसों के अंतर्गत 100% कृषि भूमि) पर सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियाँ 96.1 हेक्टेयर कृषि भूमि पर पेड़ों के साथ मेड़बंधी (कुल कृषि भूमि का 50%) 10 कृषि तालाबों का निर्माण ग्राम पंचायत में उपयुक्त स्थान पर 1 मिनी मौसम स्टेशन की स्थापना 	<ol style="list-style-type: none"> सभी कृषि भूमि 96.1 हेक्टेयर (100% कवरेज) पर पेड़ों के साथ मेड़बंधी आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कृषि तालाबों का निर्माण और मौजूदा कृषि तालाबों का रखरखाव 	<p>मौजूदा मेड़बंधी और कृषि तालाबों का रखरखाव</p>

³⁵ सूखा मैनुअल (2020), <https://vedas.sac.gov.in/static/pdf/Drought%20Manual-2020.pdf>

अनुमानित लागत

<p>1. सूक्ष्म सिंचाई: ₹15,00,000</p> <p>2. मेड़बंधी: ₹1,47,045</p> <p>3. कृषि तालाब: ₹9,00,000</p> <p>4. 1 मिनी मौसम स्टेशन की लागत: ₹1,50,000</p> <p>कुल लागत: ₹26,97,045</p>	<p>मेड़बंधी: ₹1,47,045</p> <p>कुल लागत: ₹1,47,045</p>	<p>आवश्यकतानुसार</p>
--	---	----------------------



प्राकृतिक खेती अपनाना

चरण

	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
<p>1. जैविक उर्वरक, जैव-कीटनाशकों और जैव-खरपतवारनाशकों के उपयोग के माध्यम से निम्न की सहायता से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना</p> <ul style="list-style-type: none"> » प्रशिक्षण और प्रदर्शन » प्राकृतिक/जैविक खेती प्रमाणन आरंभ » बाजार तक पहुंच और संपर्कों की खोज <p>2. वाष्पीकरण को कम करके और नमी बनाए रखकर मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने हेतु मिश्रित फसल, फसल चक्र, घास-पात (मल्लिंग), शून्य जुताई जैसी विविध फसल प्रणालियों को बढ़ावा देना</p> <p>3. विभिन्न फसलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) रणनीतियों पर आधारित कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र विश्लेषण (ईईएसए) को अपनाने को बढ़ावा देना (भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार)</p>	<p>1. कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती (नर्सरी, बीज बैंक, प्रमाणीकरण तंत्र और बाजार संपर्क स्थापित करना) में परिवर्तित करना जारी रखना</p> <p>2. चरण I में क्रियान्वित प्रथाओं को बढ़ावा देना और उसे अपनाना</p>	<p>100% कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना</p>	

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

लक्ष्य

28 हेक्टेयर (15%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

77 हेक्टेयर (अतिरिक्त 40% कवरेज) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

87 हेक्टेयर (100% कवरेज) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना

अनुमानित लागत

1. प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण की लागत: ₹60,000
 2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹69,18,800
 3. आईपीएम प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकतानुसार
- कुल लागत: ₹69,78,800

1. प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण की लागत: ₹60,000
 2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹1,90,26,700
- कुल लागत: ₹1,90,86,700

1. प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण की लागत: ₹60,000
 2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹2,14,97,700
- कुल लागत: ₹2,15,57,700



सतत पशुधन प्रबंधन

चरण

I
2024-25 to 2026-27

II

2027-28 to 2029-30

III

2030-31 to 2034-35

1. पशुधन प्रबंधन के लिए पशुपालन में सम्मिलित परिवारों की जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण
2. पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण के रूप में प्रशिक्षित करना

पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने के लिए हस्तक्षेप हेतु विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची खंड को देखें ।

1. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार
2. आवश्यकतानुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण का विस्तार

1. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार
2. आवश्यकतानुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण का विस्तार

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

लक्ष्य

1. पशुपालन में संलग्न परिवारों के लिए सतत पशुपालन पद्धतियों/रोग की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंधन पर कार्यशालाएं आयोजित
2.2 पैरा-वेट्स³⁶ का प्रशिक्षण

1. रोग की रोकथाम और सतत पशुपालन पद्धतियों पर अतिरिक्त कार्यशालाएं आयोजित
2. पशुधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

1. रोग की रोकथाम और स्थायी/सतत पशुपालन पद्धतियों पर अतिरिक्त कार्यशालाएं आयोजित
2. पशुधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

अनुमानित लागत

कार्यशाला और पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण की लागत:
आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार

वर्तमान में संचालित योजनाएँ और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), 30 प्र0 बाजरा पुनरुद्धार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना से धन और सब्सिडी के माध्यम से सूखा प्रबंधन और प्रूफिंग प्रक्रियाओं का समर्थन किया जा सकता है।
- सूखारोधी गतिविधियों, नर्सरी और बीज बैंकों के निर्माण को मनरेगा के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
- जैविक खेती प्रथाओं को विभिन्न योजनाओं जैसे: परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि और सब्सिडी के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है।
- किसानों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहायता के साथ-साथ जैविक खेती प्रदर्शनों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्रों (एनसीओएफ और आरसीओएफ), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के निकटतम जैविक खेती सेल के माध्यम से सक्षम किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और सतत खेती के लिए किसानों और एफपीओ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) का उपयोग किया जा सकता है।
- कृषि रक्षा योजना विभिन्न पारिस्थितिक संसाधनों के माध्यम से कीट नियंत्रण और जैव-रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देने में किसानों को सहायता करती है।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी राज्य योजनाओं के माध्यम से पैरा-पशुचिकित्सक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का लाभ उठाया जा सकता है।

36 ग्राम पंचायत की आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षित समुदाय-आधारित पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या

वित्त के अन्य स्रोत

- कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में मदद करने के लिए कोल्ड-स्टोरेज सुविधा की स्थापना और संचालन ("स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में उल्लिखित योजनाओं के अनुरूप) करना।
- फसल के बाद के नुकसान को कम करने में मदद के लिए कोल्ड-स्टोरेज सुविधा
- जागरूकता बढ़ाना: जैविक खेती के तरीकों और लाभों, आवश्यक सुझाव, प्रदर्शन, सूचना और मार्गदर्शन के प्रासंगिक स्रोत, पंजीकरण प्रक्रिया, सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया, बाजार लिंकेज और मौसम-आधारित सूचना सेवाओं आदि पर जानकारी।
- किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों को बीमा, विभिन्न योजनाओं के लाभ के साथ-साथ जैविक उर्वरकों को अपनाने, सूखारोधी कृषि और सतत पशुधन प्रबंधन, अंततः जैविक खेती में परिवर्तन सहित क्लाइमेट स्मार्ट कृषि प्रथाओं को लागू करने के तकनीकी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना। ,
- इसके अतिरिक्त, डोमनपुर चिवटहिया में सतत कृषि में लगे किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों की क्षमता निर्माण क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों और संस्थानों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ और कॉरपोरेट्स के सहयोग से किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- कृषि विभाग
- एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र (सीआईएमपी)
- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- भूमि संसाधन विभाग
- जल शक्ति विभाग
- पशुपालन विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)
- जैविक खेती के लिए क्षेत्रीय केंद्र
- कृषि विज्ञान केंद्र, संत रविदास नगर



4. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

संदर्भ और मुद्दे³⁷

- डोमनपुर चिवटहिया ग्राम पंचायत के सीमा के भीतर कोई सीमांकित वन भूमि नहीं है और इसमें सीमित हरित क्षेत्र है।
- इस ग्राम पंचायत में पाए जाने वाले पेड़ों में आम, अमरूद, महुआ, शीशम, नीम, पीपल, बांस आदि शामिल हैं। इसके अलावा, यहाँ लगभग 15-20 पेड़ों वाला एक आम का बाग भी है।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए), पंचायत राज विभाग और वृक्षारोपण जन अभियान के तहत वृक्षारोपण की पहल की गई। लगाए गए मुख्य वृक्षों में शीशम, सागवान, आंवला, कंजी और अमरूद शामिल थे।

डोमनपुर चिवटहिया ग्राम पंचायत में हरित क्षेत्रों की जगह बढ़ाने की क्षमता है, क्योंकि यह न केवल बढ़ते तापमान में सुधार करेगा और छाया प्रदान करेगा अपितु ग्राम पंचायत में कार्बन सिंक को बढ़ाने के अलावा, लंबी अवधि में मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर में भी सुधार करेगा।



हरित आवरण में सुधार

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none">निम्न विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से वार्षिक समुदाय-आधारित वृक्षारोपण गतिविधियाँ:³⁸<ul style="list-style-type: none">छात्रों के लिए ग्रीन स्टीवर्डशिप कार्यक्रम (5 छात्रों का चयन)³⁹देशी फलों के पेड़ लगाकर खाद्य वन का निर्माण	<ol style="list-style-type: none">मौजूदा वृक्षारोपण और नर्सरी का रखरखावबाल वन⁴⁰ के निर्माण के साथ वृक्षारोपण गतिविधियों को जारी रखना और बढ़ाया जाना	<ol style="list-style-type: none">वृक्षारोपण गतिविधियों का विस्तार और रखरखाव- बाल वन, खाद्य वन और अन्य वृक्षारोपणकृषि वानिकी गतिविधियों के तहत क्षेत्र का विस्तार

37 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण और एफजीडी के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा इसकी पुष्टि की गई

38 अनुलग्नक VI में सूचीबद्ध वृक्ष प्रजातियाँ

39 स्कूली छात्रों को पेड़ लगाने के काम में लगाया जाएगा और प्रत्येक कक्षा से छात्र नेता चुने जाएंगे जो अपने साथियों के साथ-साथ जीपी समुदाय को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेंगे।

40 नए माता-पिता को उनके बच्चों के जन्म के उपलक्ष्य में देशी सदाबहार वृक्षों के पौधे उपहार में दिए जाएंगे तथा उन्हें अपने बच्चों के जीवन में इन पौधों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

<p>2. आरोग्य वन का विकास - भूमि की खरीद और तैयारी, प्रजातियों का चयन और विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों, झाड़ियों और वृक्षों का रोपण⁴¹</p>	<p>3. किसानों को कृषि वानिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना</p> <p>4. आरोग्य वन की स्थापना</p>	<p>3. आरोग्य वन में प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए इकाइयाँ स्थापित करना (जैसा कि 'आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना' अनुभाग में बताया गया है)</p>
<p>1. सामान्य और लुप्तप्राय पेड़ों के 2,000 पौधे लगाना और कम से कम 65% जीवित रहने की दर (ट्री गार्ड का उपयोग करके) सुनिश्चित करना पृथक्करण क्षमता : 15-20 वर्षों में 11,200 tCO₂ से 20,000 tCO₂</p> <p>2. आरोग्य वन⁴² की स्थापना के लिए लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि आवंटित/चिह्नित करना</p>	<p>1. ग्राम पंचायत में सड़कों, रास्तों और जल निकायों के किनारे 2,000 से 2,500 अन्य पौधे लगाना पृथक्करण क्षमता: 15-20 वर्षों में 14,000 tCO₂ से 25,000 tCO₂</p> <p>2. आरोग्य वन की स्थापना और रखरखाव</p> <p>3. 71 हेक्टेयर भूमि पर कृषि-वानिकी अपनाना, 7,100 पेड़⁴³ लगाना पृथक्करण क्षमता: 20 वर्षों में 39,760 tCO₂ से 71,000 tCO₂ तक</p> <p>4. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के विनिर्माण और विपणन के लिए एफपीओ, महिला समूहों, युवा समूहों की क्षमता निर्माण</p>	<p>1. अतिरिक्त 2,500 से 3,000 पौधे लगाना पृथक्करण क्षमता : 15-20 वर्षों में 16,800 tCO₂ से 30,000 tCO₂</p> <p>2. शेष 106 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी अपनाना और 10,600 पेड़ लगाना पृथक्करण क्षमता: 20 वर्षों में 59,360 tCO₂ से 1,06,000 tCO₂ तक</p> <p>3. आरोग्य वन का रखरखाव और प्राकृतिक औषधियों और पूरकों का उत्पादन</p>
<p>वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹25,40,000</p> <p>कुल लागत: ₹25,40,000</p>	<p>1. वृक्षारोपण की कुल लागत: ₹25,40,000- ₹31,75,000</p> <p>2. कृषि वानिकी की लागत: ₹28,40,000</p> <p>कुल लागत: ₹53,80,000- ₹60,15,000</p>	<p>1. वृक्षारोपण की कुल लागत: ₹31,75,000- ₹38,10,000</p> <p>2. कृषि वानिकी की लागत: ₹42,40,000</p> <p>कुल लागत: ₹74,15,000- ₹80,50,000</p>

41 अनुलग्नक VI में सूचीबद्ध वृक्ष प्रजातियाँ

42 सागौन की प्रजातियों के आधार पर पृथक्करण क्षमता का अनुमान

43 गेहूँ के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि (~177 हेक्टेयर) कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त मानी जाती है।



जन जैवविविधता रजिस्टर

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	1. जन जैवविविधता रजिस्टर का अद्यतन करना 2. जागरूकता पैदा करना	1. जन जैवविविधता रजिस्टर का अद्यतन करना जारी 2. जागरूकता को मजबूत करना	1. जन जैवविविधता रजिस्टर का अद्यतन करना जारी 2. जागरूकता को मजबूत करना
लक्ष्य	1. जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन और क्षमता वृद्धि 2. जन जैव विविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना
अनुमानित लागत	जैवविविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) का गठन और प्रशिक्षण लागत ⁴⁴ : ₹25,000		

वर्तमान में संचालित योजनाएँ और कार्यक्रम

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन और उत्तर प्रदेश राज्य वृक्षारोपण लक्ष्यों द्वारा 'भारत में वनों के बाहर पेड़' पहल के अंतर्गत प्रावधानों के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों को जोड़ा और संचालित किया जा सकता है।
- उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि (राज्य कैम्पा निधि) के अंतर्गत वार्षिक बजटिंग के लिए निम्न गतिविधि हेतु निर्देशित किया जा सकता है:
 - » ग्राम पंचायत में वनरोपण, जैवविविधता का संवर्धन, वन्यजीव आवास में सुधार, और मिट्टी एवं जल संरक्षण गतिविधियाँ।
- वृक्षारोपण गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ा जा सकता है और स्थानीय समुदाय को 'श्रमदान' करने में भी सम्मिलित किया जा सकता है।
- सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी संबंधी उप-मिशन का लाभ उठाया जा सकता है:
 - » कृषि वानिकी वृक्षारोपण के लिए प्रति हेक्टेयर ₹28,000 का लाभ उठाएं।
 - » वृक्षारोपण हेतु सहायता चार वर्षों के लिए 40:20:20:20 के वर्ष-वार अनुपात में प्राप्त की जा सकती है।

⁴⁴ जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के संचालन के लिए दिशानिर्देश, 2013, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। <http://nbaindia.org/uploaded/pdf/Guidelines%20for%20BMC.pdf>


- केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत में आरोग्य वन स्थापित करने में सहायक हो सकता है।
- जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के कार्यक्रमों का उपयोग किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित संसाधन तथा पंचायत के स्वयं की आय (ओएसआर) से एकत्र राजस्व।
- पौधों की खरीद, वृक्षारोपण अभियान का आयोजन, पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्री गार्ड के निर्माण के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का लाभ उठाया जा सकता है। सीएसआर समर्थन का उपयोग आरोग्य वन के निर्माण और हर्बल उत्पादों के लिए उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए भी किया जा सकता है, जैसा कि 'आजीविका बढ़ाने और हरित उद्यमशीलता को बढ़ावा देने' की संस्तुतियों में वर्णित है।

प्रमुख विभाग

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- राज्य जैव विविधता बोर्ड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ



5. स्वच्छ, सतत , किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

संदर्भ और मुद्दे⁴⁵

- ग्राम पंचायत डोमनपुर चिवटहिया ने वर्ष 2022-23 में लगभग 1,40,119 यूनिट (kWh) बिजली की खपत की है। खपत के सापेक्ष ग्राम पंचायत में मात्र 89.5% घरों में बिजली कनेक्शन है, लेकिन समुदाय के सदस्यों से मिली जानकारी के अनुसार बिजली की आपूर्ति 24*7 नहीं है। क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत में प्रतिदिन औसतन 10-12 घंटे बिजली की कटौती होती है।
- बिजली की कटौती के कारण, पावर बैक-अप के लिए ग्राम पंचायत में 2 डीजल जनरेटर हैं और वे सालाना लगभग 4.5 किलोलीटर ईंधन की खपत करते हैं।
- सिंचाई के लिए 15 इलेक्ट्रिक पंप का उपयोग किया जाता है।
- कई घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं में कम दक्षता वाले विद्युत फिक्सचर और उपकरण उपयोग में हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत ने अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट (100 स्ट्रीट लाइट और 15 हाई-मास्ट सोलर एलईडी) की आवश्यकता व्यक्त की है।
- लगभग 219 घरों में खाना पकाने के लिए गाय के गोबर और लकड़ी का उपयोग किया जाता है। खाना पकाने की समस्या के समाधानों की आवश्यकता है, जिससे न केवल कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, बल्कि घर के अंदर हवा की गुणवत्ता में सुधार जैसे सह-लाभ भी होंगे।

ग्राम पंचायत की पहचान की गई ऊर्जा संबंधी समस्याओं के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए और साथ ही चल रहे कार्यक्रमों, जैसे कि पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, पीएम कुसुम योजना, यूपी राज्य सौर नीति 2022, के संयोजन में, डोमनपुर चिवटहिया में कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं। सुझाई गई गतिविधियों का उद्देश्य ग्राम पंचायत में समुदायों के लिए स्वच्छ, सतत , सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि ऊर्जा के उत्पादक उपयोग के माध्यम से आय में वृद्धि करने में भी मदद मिलेगी।

⁴⁵ जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण और एफजीडी के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा इसकी पुष्टि की गई



सोलर रूफटॉप संस्थापना

चरण
सुझाई गई जलवायु
स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
	सभी सरकारी भवनों: पंचायत भवन और प्राथमिक विद्यालयों के भवनों पर सोलर रूफटॉप की स्थापना	1. पक्के मकानों के छत पर सोलर पैनल लगाना 2. सभी नये भवनों की छत पर सोलर पैनल लगाना (चरण II के दौरान निर्मित)	1. पक्के घरों पर छतों पर सोलर पैनलों की स्थापना का विस्तार 2. सभी नई भवनों (चरण III के दौरान निर्मित) पर छतों पर सोलर पैनलों की स्थापना 3. सौर छतों का नियमित रखरखाव किया जाना
	सोलर रूफटॉप क्षमता स्थापित करना : » पंचायत भवन: (111.4 वर्ग मीटर छत क्षेत्र) 10 kWp » प्राथमिक विद्यालय: (130 वर्ग मीटर छत क्षेत्र) 10 kWp » प्राथमिक विद्यालय: (146.6 वर्ग मीटर छत क्षेत्र) 10 kWp इस चरण में स्थापित कुल सौर छत क्षमता: 30 kWp उत्पादित बिजली: 40,176 kWh प्रति वर्ष (~110 यूनिट प्रति दिन) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से बचाव: 33 tCO ₂ e प्रति वर्ष हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अति आवश्यक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के मद्देनजर, कुछ परिवार भी छतों पर सौर पीवी स्थापना के इस चरण का हिस्सा बन सकते हैं ।	50% पक्के घरों पर सोलर रूफटॉप की स्थापना ⁴⁷	शेष 50% पक्के घरों पर सोलर रूफटॉप की स्थापना

लक्ष्य⁴⁶

46 पंचायती राज संस्थाओं के भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना की क्षमता 10 किलोवाट प्रति घंटा तक सीमित

47 घरों का औसत क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर माना गया है; प्रति घर 3 kWp छत स्थापना का अनुमान

अनुमानित लागत

कुल लागत: ₹15,00,000	लागत (प्रति kWh): ₹50,000 सांकेतिक सब्सिडी ⁴⁸ : ~40% (राज्य+सीएफए)	लागत (प्रति kWh): ₹50,000 सांकेतिक सब्सिडी: ~40% (राज्य+सीएफए)
----------------------	---	--



कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापना

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	किसानों, किसान समूहों, महिला समूहों आदि के बीच जागरूकता बढ़ाना	उपयुक्त कृषि भूमि के क्षेत्र भाग पर कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना (बागवानी और दलहन फसलों के अंतर्गत)	उपयुक्त कृषि भूमि के क्षेत्र भाग पर कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना (बागवानी और दलहन फसलों के अंतर्गत)
लक्ष्य	किसानों के बीच कृषि-फोटोवोल्टिक पहल को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान और उन्मुखीकरण सत्र आयोजित करना	2 हेक्टेयर में कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित करना स्थापित क्षमता: 500 kWp उत्पादित बिजली: 6,69,600 kWh प्रति वर्ष (~ 1,835 यूनिट प्रति दिन) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से बचाव: 549 tCO ₂ e प्रति वर्ष	2 हेक्टेयर में कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापित करना स्थापित क्षमता: 500 kWp उत्पादित बिजली: 6,69,600 kWh प्रति वर्ष (~ 1,835 यूनिट प्रति दिन) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से बचाव: 549 tCO ₂ e प्रति वर्ष
अनुमानित लागत		कुल लागत ⁴⁹ : ₹5,00,00,000	कुल लागत: ₹5,00,00,000

48 सब्सिडी परिवर्तनशील होती है और समय-समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न मापदंडों के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए, अनुमानित सब्सिडी राशि पिछले रुझानों और औसत पर आधारित है और मौजूदा समय में सटीक नहीं हो सकती है।

49 प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, कृषि-फोटोवोल्टिक की लागत कम होती जा रही है। हालांकि, उच्चतर पक्ष पर लागत का एक रूढ़िवादी अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा, यह माना गया है कि किसान बागवानी और अन्य समान फसलों के लिए निर्धारित भूमि पर भी फसल चक्र का अभ्यास करते हैं। इसलिए, बागवानी के तहत उपलब्ध भूमि का केवल एक प्रतिशत ही कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना के लिए ध्यान में रखा गया है।



सौर पंप

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<p>ग्राम पंचायत में ग्रिड से जुड़े मौजूदा 15 विद्युत पंप सेटों को सौर पंपों से प्रतिस्थापित करना</p> <p>* यदि सौर पंप व्यवहार्य न हों तो ऊर्जा कुशल पंप (ईईएसएल द्वारा किसान ऊर्जा दक्ष पंप) पर विचार किया जा सकता है।</p>	सभी नए पंपों के उपयोग/खरीद को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करना	सभी नए पंपों के उपयोग/खरीद को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करना
लक्ष्य	<p>ग्रिड से जुड़े 15 विद्युत पंपों का सौरीकरण</p> <p>स्थापित क्षमता: ~82.5 kW</p> <p>बिजली उत्पादन क्षमता: 1,10,484 kWh प्रति वर्ष</p> <p>जीएचजी उत्सर्जन से बचाव: 15.7 tCO₂e प्रति वर्ष</p>	आवश्यकतानुसार क्षमता	आवश्यकतानुसार क्षमता
अनुमानित लागत	<p>कुल लागत: ₹45,00,000 -₹75,00,000</p> <p>सब्सिडी: ~60% (राज्य + सीएफए)</p> <p>प्रभावी लागत: ₹18,00,000 -₹30,00,000</p>	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार



रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग

चरण	I	II	III
	2024-25 to 2026-27	2027-28 to 2029-30	2030-31 to 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + एलपीजी</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा चालित प्रेरण कुक स्टोव + एलपीजी</p> <p>परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा चालित प्रेरण कुक स्टोव + उन्नत चूल्हे + एलपीजी</p>	<p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + एलपीजी</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा चालित प्रेरण कुक स्टोव + एलपीजी</p> <p>परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा चालित प्रेरण कुक स्टोव + उन्नत चूल्हे + एलपीजी</p>	<p>परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + एलपीजी</p> <p>परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा चालित प्रेरण कुक स्टोव + एलपीजी</p> <p>परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा चालित प्रेरण कुक स्टोव + उन्नत चूल्हे + एलपीजी</p>
	<p>1. परिदृश्य 1: 28 परिवार बायोगैस संयंत्र का उपयोग (50% परिवार जिनके पास मवेशी हैं)</p> <p>2. परिदृश्य 2: 20 परिवार सौर ऊर्जा चालित प्रेरण कुक स्टोव का उपयोग (शीर्ष आय समूहों में 100% परिवार)</p> <p>3. परिदृश्य 3: 72 परिवार उन्नत चूल्हे का उपयोग (वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 50% परिवार)</p> <p>इसमें ग्राम पंचायतों में एलपीजी का निरंतर उपयोग भी शामिल है</p>	<p>1. परिदृश्य 1: अतिरिक्त 27 परिवार बायोगैस संयंत्रों का उपयोग (100% जिनके पास मवेशी हैं)</p> <p>2. परिदृश्य 2: शीर्ष आय वर्ग में कोई भी अतिरिक्त परिवार सौर ऊर्जा चालित प्रेरण कुक स्टोव का उपयोग</p> <p>3. परिदृश्य 3: 72 और परिवार उन्नत चूल्हे का उपयोग (वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 50% परिवार)</p> <p>शेष परिवारों में एलपीजी का उपयोग भी शामिल है</p>	<p>अतिरिक्त उन्नत चूल्हों का उपयोग करने वाले परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं</p>
लक्ष्य			
अनुमानित लागत	परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹14,00,000	परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹13,50,000	आवश्यकतानुसार
	परिदृश्य 2: सौर प्रेरण कुकस्टोव के लिए ₹9,00,000	परिदृश्य 2: 1 सौर प्रेरण कुक स्टोव के लिए ₹45,000	
	परिदृश्य 3: उन्नत चूल्हे के लिए ₹2,16,000	परिदृश्य 3: उन्नत चूल्हे के लिए ₹2,16,000	
	औसत कुल लागत: ₹8,36,666	औसत कुल लागत: ₹5,22,000	



ऊर्जा कुशल फिक्स्चर⁵⁰

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> घरों में पारंपरिक पंखों की जगह ऊर्जा कुशल पंखे लगाना निवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटेड) में अपग्रेड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना 	<ol style="list-style-type: none"> घरों में पारंपरिक पंखों की जगह ऊर्जा कुशल पंखे लगाना निवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटेड) में अपग्रेड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना 	<ol style="list-style-type: none"> घरों में पारंपरिक पंखों की जगह ऊर्जा कुशल पंखे लगाना सभी नए निर्माणों में ऊर्जा कुशल उपकरण लगाना
लक्ष्य	403 (पारंपरिक पंखों का 30%) पारंपरिक पंखों को ऊर्जा कुशल पंखों से बदलना	404 (अतिरिक्त 30%) पारंपरिक पंखों को ऊर्जा कुशल पंखों से बदलना	शेष 539 (100% कवरेज) पारंपरिक पंखों को ऊर्जा कुशल पंखों से बदलना
अनुमानित लागत	403 ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹4,47,330 कुल लागत: ₹4,47,330	404 ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹4,99,260 कुल लागत: ₹4,99,260	539 ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹5,98,290 कुल लागत: ₹5,98,290



सौर स्ट्रीट लाइट⁵¹

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना सड़कों, फुटपाथों, सरकारी भवनों, सार्वजनिक स्थानों, जलाशयों और अन्य प्रमुख स्थानों पर हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना 	<ol style="list-style-type: none"> नई सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना अधिक उच्च-मस्तूल सौर एलईडी की स्थापना मौजूदा स्ट्रीट लाइटों का रखरखाव और मरम्मत 	सौर स्ट्रीट लाइटों का नियमित रखरखाव

50 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट और ग्राम प्रधान के साथ आगे की चर्चा के आधार पर

51 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट और ग्राम प्रधान के साथ आगे की चर्चा के आधार पर

लक्ष्य	1. 50 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाना 2. 10 हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाना	1. 50 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाना 2. 5 और हाई-मास्ट सौर स्ट्रीट लाइट लगाना	1. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त स्ट्रीट लाइटों को सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों में परिवर्तित 2. आवश्यकतानुसार अतिरिक्त हाई-मास्ट को हाई-मास्ट सोलर एलईडी में परिवर्तित
	1. 50 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना की लागत: ₹5,00,000 2. 10 हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट की स्थापना: ₹5,00,000 कुल लागत: ₹10,00,000	1. 50 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना की लागत: ₹5,00,000 2. 5 हाई-मास्ट सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत: ₹2,50,000 कुल लागत: ₹7,50,000	आवश्यकतानुसार
अनुमानित लागत			

वर्तमान में संचालित योजनाएँ और कार्यक्रम

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022⁵² में निम्नलिखित प्रावधान है:
 - क. आवासीय क्षेत्र में सोलर लगाए जाने पर सब्सिडी/अनुदान: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त प्रति उपभोक्ता ₹15,000/किलोवाट से अधिकतम सीमा ₹30,000/- तक।
 - ख. संयंत्र की लागत का 3% परामर्श शुल्क के साथ स्वयं या यूपीनेडा के परामर्श से रेस्को मोड⁵³ में संस्थानों में सौर स्थापना का प्रावधान।
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के माध्यम से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता:
 - क. 3 किलोवाट क्षमता तक के रूफटॉप सिस्टम के लिए 40% तक केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) दिया जाएगा। 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले रूफटॉप सिस्टम के लिए, 40% का केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)। केवल पहले 3 किलोवाट क्षमता के लिए लागू होगा और 3 किलोवाट से ऊपर (10 किलोवाट तक) की क्षमता के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) 20% तक सीमित होगी।
 - ख. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए सामान्य सुविधाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए रूफटॉप संयंत्र की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) सीएफए 20% तक सीमित होगी। जीएचएस/आरडब्ल्यूए हेतु सीएफए के लिए पात्र क्षमता 10 किलोवाट प्रति घर तक सीमित होगी और कुल 500 किलोवाट से अधिक नहीं होगी।
 - ग. गरीब परिवारों के लिए सोलर रूफटॉप की स्थापना पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत की जा सकती है। ⁵⁴यह योजना 2 किलोवाट सिस्टम के लिए सिस्टम लागत का 60% केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के सिस्टम के

52 https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/उत्तर_प्रदेश_सोलर_एनर्जी_पॉलिसी_2022.pdf

53 तृतीय पक्ष (आरईएससीओ मोड) {अक्षय ऊर्जा आपूर्ति कंपनी}

54 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

लिए 40% अतिरिक्त सिस्टम लागत प्रदान करती है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, अर्थात 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट सिस्टम या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी होगी।

- पीएम कुसुम योजना प्रदान करती है:

क. पीएम कुसुम योजना का घटक ए, कृषि भूमि पर 500 किलोवाट और बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देता है।

ख. पीएम कुसुम योजना के घटक बी और सी के अंतर्गत, केंद्र और राज्य सरकार प्रत्येक पंप के आधार पर 30% की सब्सिडी प्रदान करेगी। किसानों को केवल 10% की अग्रिम लागत का भुगतान करना होगा और बाकी का भुगतान किशतों में बैंक को किया जा सकता है।

- उ०प्र० सरकार पीएम कुसुम योजना में योगदान:

क. घटक सी-1 के अंतर्गत : किसानों को 60% सब्सिडी (अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70% सब्सिडी) के साथ स्थापित ऑन-ग्रिड पंपों का सोलराइजेशन; यह एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के अतिरिक्त है।

ख. घटक सी-2 के अंतर्गत : एमएनआरई की पीएम कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग कृषि फीडरों का सोलराइजेशन ₹50 लाख प्रति मेगावाट की व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) प्रदान की जाती है।

- ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाएं⁵⁵ :

क. ईईएसएल अपनी स्वयं की लागत पर पारंपरिक स्ट्रीटलाइट्स को एलईडी स्ट्रीटलाइट्स से बदल देते हैं और 7 साल तक एलईडी बल्बों का मुफ्त बदलने और रखरखाव की सुविधा प्रदान करते हैं।

ख. अटल ज्योति योजना और एमएनआरई सोलर स्ट्रीटलाइट कार्यक्रम में 12 वॉट एलईडी और 3 दिन के बैटरी बैकअप के साथ सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।

- ग्राम उजाला योजना⁵⁶ :

1. एलईडी बल्ब ₹10 प्रति बल्ब की किफायती कीमत पर उपलब्ध हैं।

2. ग्रामीण ग्राहकों को काम करने वाले इंकंडेसेंट बल्बों के बदले 7-वाट और 12-वाट के एलईडी बल्ब तीन साल की वारंटी के साथ दिए जाएंगे।

- कोल्ड स्टोरेज स्थापना के लिए सब्सिडी:

क. परियोजना लागत के 35% की क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता 2 योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है
» कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (डीएसी एंड एफडब्ल्यू) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) लागू कर रहा है।

» राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी) 'बागवानी उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी' नाम से एक योजना लागू कर रहा है।

ख. प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत, एकीकृत कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण बुनियादी ढांचे पर घटक, बुनियादी ढांचे की सुविधा के निर्माण के लिए 35% की दर से अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है। गैर-बागवानी, बागवानी, डेयरी, मांस और पोल्ट्री के वितरण की सुविधा के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला।⁵⁷ यह योजना खेत स्तर पर कोल्ड चेन

55 ईईएसएल द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम

56 ग्राम उजाला योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए जाएंगे (फरवरी 2023), पीआईबी

57 जैसे कि फार्म स्तर पर प्री-कूलिंग, वजन, छंटाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएं, मल्टी प्रोडक्ट/मल्टी टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज, सीए स्टोरेज, पैकिंग सुविधा, आईक्यूएफ, वितरण केंद्र में ब्लास्ट प्रीजिंग और रीफर वैन, मोबाइल कूलिंग यूनिट

बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ परियोजना नियोजन में लचीलेपन की अनुमति देती है।

- ईईएसएल ने कार्बन वित्तपोषण का लाभ उठाकर सौर ऊर्जा आधारित इंडक्शन कुकिंग समाधानों के लिए बाजार-आधारित हस्तक्षेप शुरू करने की योजना बनाई है
- 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) के अंतर्गत गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से धन का लाभ उठाना।

क. एसबीएम-जी के अंतर्गत गोबरधन योजना क्लस्टर/सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए प्रति जिले ₹50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।⁵⁸

- यूपी जैव-ऊर्जा नीति 2022⁵⁹ सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त गोबरधन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा सीबीजी संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है :

क. कंप्रेसड बायोगैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने पर ₹75 लाख/टन से लेकर अधिकतम ₹20 करोड़ तक का प्रोत्साहन।

ख. विकास प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए विकास शुल्क पर छूट।

ग. 100% स्टाम्प शुल्क और विद्युत शुल्क से छूट।

- एमएनआरई ने राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) कार्यक्रम लागू किया:

क. कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करता है।

ख. बायोगैस उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता ₹0.25 करोड़ प्रति 12000 घन मीटर/दिन है।⁶⁰

- पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य भारत में उन घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है, जो सौर छत स्थापित करने का विकल्प चुनते हैं।⁶¹

वित्त के अन्य स्रोत

- सोलर रूफटॉप, सोलर पंप खरीदने के लिए ऋण हेतु स्थानीय बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों और सहकारी बैंकों आदि के साथ गठजोड़ का पता लगाना।
- कृषि-फोटोवोल्टिक्स के लिए सौर डेवलपर्स के साथ साझेदारी का पता लगाना।
- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) निधि का उपयोग किया जा सकता है:
 - » सूक्ष्म-वित्त संस्थानों द्वारा दिए गए रिवोल्विंग निधि मॉडल के माध्यम से योजना/कार्यक्रम सब्सिडी के अतिरिक्त सौर छतों/कृषि-फोटोवोल्टिक्स/ सौर पंपों की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत को कवर करना।
 - » ग्राम पंचायत में अपनाई गई विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए ग्राम समुदाय के सदस्यों/एसएचजी सदस्यों को 'संचालन और रखरखाव' पर प्रशिक्षण प्रदान करना।
 - » रूफटॉप सोलर (यूपी सौर नीति, 2022) और सौर सिंचाई (पीएम-कुसुम, यूपी सोलर सिंचाई योजना) को बढ़ावा देने वाली मौजूदा सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियान आयोजित करना।

58 <https://pib.gov.in/PressReleaseSelfframePage.aspx?PRID=1883926>

59 <https://invest.up.gov.in/bio-energy-enterprises-promotion-programme-2022/>

60 <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896067>

61 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

प्रमुख विभाग

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)
- उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)
- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग



6. सतत और उन्नत गतिशीलता

संदर्भ और मुद्दे⁶²

- डोमनपुर चिवटहिया ग्राम पंचायत में कुल 248 आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन हैं; 180 दोपहिया वाहन, 30 कार, 15 जीप, 20 ट्रैक्टर और 3 ऑटो-रिक्शा। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में 10 ई-रिक्शा हैं।
- आईसीई वाहनों द्वारा कुल ईंधन की खपत प्रति वर्ष ~63 किलो लीटर (kL) डीजल और ~14 kL पेट्रोल है। कुल मिलाकर, परिवहन क्षेत्र में खपत किए गए ईंधन से ~281 tCO₂e उत्सर्जन हुआ है।
- इसके अतिरिक्त, गांव की ओर जाने वाली कई सड़कें जलजमाव के कारण कई क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त हो गई हैं।

इस कारण से, परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार और ई-मोबिलिटी समाधानों में बदलाव की पहल की संभावना है।



मौजूदा सड़क अवसंरचना को बढ़ाना

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी	1. मौजूदा सड़कों का आरसीसी कार्य 2. ग्राम पंचायत के भीतर सड़कों का उच्चीकरण	आवश्यकतानुसार सड़क अवसंरचना का रखरखाव और मरम्मत	आवश्यकतानुसार सड़क अवसंरचना का रखरखाव और मरम्मत
लक्ष्य ⁶³	1. मौजूदा सड़कों का आरसीसी कार्य (~1.8 किमी) 2. 1 किमी के लिए 2 फीट सड़क का उच्चीकरण	सड़कों का नियमित रखरखाव/मरम्मत	सड़कों का नियमित रखरखाव/मरम्मत

62 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण और एफजीडी के दौरान समुदाय से समझा गया और प्रासंगिक स्रोतों द्वारा इसकी पुष्टि की गई

63 स्थान विशेष विवरण के लिए HRVCA देखें

अनुमानित लागत⁶⁴

1. सड़क का आरसीसी कार्य पर लागत : ₹72,00,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
2. सड़क के उच्चीकरण पर लागत : ₹27,00,000		
कुल लागत: ₹99,00,000		



मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	ग्राम पंचायत में ऑटो-रिक्शा के स्थान पर ई-ऑटोरिक्शा लाना	अंतिम मील तक कनेक्टिविटी सुधारने के लिए अधिक ई-ऑटोरिक्शा	मांग के आधार पर अधिक ई-ऑटोरिक्शा की खरीद
लक्ष्य	3 ऑटो-रिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलना	आवश्यकतानुसार अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा की खरीद	आवश्यकतानुसार अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदे गए
अनुमानित लागत	एक ई-ऑटोरिक्शा की कीमत लगभग ⁶⁵ ₹3,00,000 प्रति वाहन ₹12,000 तक की सब्सिडी उपलब्ध प्रभावी लागत: ₹8,64,000 बचाए गए जीएचजी का उत्सर्जन ⁶⁶ : 7.2 tCO ₂ e	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

64 एचआरवीसीए के अनुसार लागत

65 ई-ऑटोरिक्शा की कीमत ₹1,50,000 - ₹4,00,000 या उससे ज़्यादा होती है, जो कॉन्फिगरेशन, बैटरी के प्रकार और अन्य चीज़ों पर निर्भर करती है। ई-ऑटोरिक्शा की कीमत मुख्य रूप से परोपकारी संस्थाओं और अन्य फंडिंग एजेंसियों से संभावित सब्सिडी/अनुदान/बीज पूंजी/व्यवहार्यता अंतर निधि को ध्यान में रखते हुए मूल्य बैंड के मध्य में मानी जाती है।

66 प्रति ऑटो बचाए गए जीएचजी उत्सर्जन का अनुमान ~2.4 tCO₂e प्रति ऑटो है। डीजल ऑटोरिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलने से यह उत्सर्जन कम होगा और जीपी को कार्बन न्यूट्रल या यहां तक कि कार्बन नेगेटिव बनाने में योगदान मिलेगा।



ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर⁶⁷

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	<p>1. उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक मालिकों/उद्यमियों) को आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के प्रति संवेदनशील बनाकर डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्प को बढ़ावा देना</p> <p>2. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा स्थापित करना ('आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना' खंड में विस्तार से समझाया गया है)</p>	आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ हेतु उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना	आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ हेतु उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना
लक्ष्य	कुल 5 ई-ट्रैक्टर और 5 ई-माल वाहक खरीदे जाना	नियमित जागरूकता कार्यक्रम और/या पहचानी गई आवश्यकताओं के अनुसार	नियमित जागरूकता कार्यक्रम और/या पहचानी गई आवश्यकताओं के अनुसार
अनुमानित लागत	<p>1. 5 ई-ट्रैक्टर के लागत : ₹30,00,000</p> <p>2. 5 ई-माल वाहक के लागत : ₹25,00,000 – ₹50,00,000</p> <p>कुल लागत: ₹55,00,000–₹80,00,000</p>		

वर्तमान में संचालित योजनाएँ और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के सहयोग से सड़क बुनियादी ढांचे की मरम्मत और वृद्धि की जा सकती है।
- उ०प्र० इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 प्रदान करती है:
- खरीदारों को 100% पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट (पॉलिसी अवधि के दौरान)।
- 1 वर्ष की अवधि में डीलरों के माध्यम से खरीदारों को⁶⁸ शुरुआती प्रोत्साहन के रूप में (एक बार) खरीद सब्सिडी - ई-माल वाहक:

67 अधिक जानकारी 'आजीविका संवर्धन एवं हरित उद्यमशीलता' अनुभाग में पाई जा सकती है

68 सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी, लाभार्थियों की संख्या और मात्रा दोनों के संदर्भ में समय-समय पर बदलती रहती है। इसलिए, इस योजना के किसी भी भाग

प्रति वाहन ₹1,00,000 तक पूर्व-फैक्टरी लागत का 10% @; 2-व्हीलर ईवी: प्रति वाहन ₹5000 तक पूर्व-फैक्टरी लागत का 15%; 3-व्हीलर ईवी: प्रति वाहन ₹12000 तक पूर्व-फैक्टरी लागत का 15%।

- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और विनिर्माण चरण II (FAME II) योजना के अंतर्गत ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी का भी लाभ उठाया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- ग्राम पंचायत का रेसोर्से एनवेलोप और स्वयं की आय
- सीएसआर समर्थन के साथ बैंकों और माइक्रो-फाइनेंस संस्थानों से ऋण

प्रमुख विभाग

- अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग
- परिवहन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा)

में उल्लिखित सब्सिडी केवल सांकेतिक है, और खरीद के समय इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।



7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इस ग्राम पंचायत का मुख्य आधार कृषि और पशुपालन है और 57 प्रतिशत से अधिक परिवार इन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। दोनों ही क्षेत्र आजीविका की असुरक्षा से भरे हुए हैं, विशेष रूप से लगातार सूखे, जलवायु परिवर्तन और पशुपालन में वर्तमान असंतुलित उत्पादन प्रथाओं के कारण। इस प्रकार, आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका अनिश्चित है। ग्राम पंचायत में आय के अन्य प्रमुख स्रोत गैर-कृषि मजदूरी और स्थानीय व्यवसाय/दुकान चलाना हैं। पिछले 5 वर्षों में लगभग 35 लोग बेहतर आजीविका की तलाश में ग्राम पंचायत से बाहर चले गए हैं। यह प्रवृत्ति अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है।

वर्तमान में, उल्लिखित गतिविधियों के अलावा, ग्राम पंचायत के भीतर आजीविका के सीमित अवसर हैं। इस कार्ययोजना में उल्लिखित सुझाव आने वाले वर्षों में नए व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के लिए कई रास्ते प्रदान करती हैं। इन्हें निम्नलिखित तालिका में विस्तृत रूप से दिया गया है



सतत उत्पादों के विनिर्माण में पूर्व से मौजूद स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. प्लास्टिक के विकल्प वाली सामग्रियों (बैग, घर की सजावट, कटलरी, स्टेशनरी आइटम, फर्नीचर, आदि) से उत्पादों के निर्माण के लिए महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को शामिल करना
2. क्षमता निर्माण:
 - क. उत्पाद रेंज का विविधीकरण
 - ख. ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर उत्पादों का विपणन/बिक्री

प्रारंभिक सहभागिता में:

- क. 100 महिलाएँ
- ख. 8 स्वयं सहायता समूह (वर्तमान में भैंस और बकरी पालन गतिविधियों में शामिल)
- ग. स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग

इस ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों से दीर्घकालिक जुड़ाव:

- क. अतिरिक्त 200 महिलाएँ
- ख. अतिरिक्त एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमी

लक्ष्य



जैविक कचरे को खाद बनाकर उसे बेचना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट
संबंधी गतिविधियाँ

1. खाद के उत्पादन और बिक्री के लिए पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल
2. समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों का क्षमता विकास
 - क. खाद और वर्मीकंपोस्टिंग तकनीक
 - ख. ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर खाद का विपणन और बिक्री

तात्कालिक लक्ष्य:

घरेलू अपशिष्ट (जैविक) से उत्पादित कम्पोस्ट/वर्मीकम्पोस्ट 43 किग्रा प्रतिदिन; 1,301 किग्रा प्रतिमाह (वर्तमान अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार)

दीर्घकालिक लक्ष्य:

जैविक अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार कम्पोस्ट/वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन को बढ़ाना (जनसंख्या वृद्धि के आधार पर)

लक्ष्य



ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराये पर लेने की सुविधा

सुझाई गई जलवायु
स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टरों की वाणिज्यिक किराये पर (किराये के आधार पर) यूपी ईवी नीति 2022 और फेम-इंडिया योजना चरण- II के तहत प्रोत्साहन के माध्यम से हरित उद्यमशीलता के अवसर प्रस्तुत करती है।
2. ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहक के उपयोग के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक मालिकों) को संवेदनशील बनाना

तात्कालिक लक्ष्य:

1. 2 या 3 ई-ट्रैक्टर (अनुमानित लागत: प्रति ई-ट्रैक्टर 6 लाख रुपये)
2. 2 या 3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रक (मिनी माल ईवी परिवहन ट्रक की अनुमानित लागत: लगभग 9.2 लाख रुपये)

मध्यावधि लक्ष्य:

2/3 ई-ट्रैक्टर, 2/3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रकों की अतिरिक्त खरीद

लक्ष्य



सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग से आजीविका में सुधार

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए छोटे और मध्यम किसानों (ग्राम पंचायत और आस-पास के गांवों में) को सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज स्थान किराए पर देने के माध्यम से उद्यमिता के अवसर
2. फलों, सब्जियों, दूध और दूध उत्पादों के भंडारण के लिए उद्यमियों, किसान समूहों, सहकारी समितियों (जैसे पारस) और अन्य संस्थागत खरीदारों के बीच व्यापार मॉडल/गठबंधन

लक्ष्य

5 से 10 मेट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की स्थापना
(सब्जियों और फलों/और/या दूध उत्पादों के उत्पादन के आधार पर टन)

लागत: ₹8 से ₹15 लाख



प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए आरोग्य वन के विकास और रखरखाव के माध्यम से समुदायों के लिए आजीविका सृजन
2. कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय औषधीय और सुगंधित पौधा संस्थान, लखनऊ के साथ साझेदारी करना

लक्ष्य

लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि पर आरोग्य वन स्थापित



विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सौर और बायोगैस) का प्रचालन एवं रखरखाव

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ

1. समुदाय के सदस्यों, विशेष रूप से स्नातकों, युवा समूहों और किसान समूहों को नवीकरणीय ऊर्जा रखरखाव में कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
2. ग्राम पंचायत के भीतर सौर और बायो-गैस स्थापना और ओ एंड एम व्यवसायों की स्थापना में केंद्र और राज्य सरकार की सीएसआर, अपस्किंग योजनाओं से समर्थन करना

वित्त पोषण एवं कौशल विकास

- हरित उद्यमिता और आजीविका (विभिन्न ऋण योजनाओं, साझेदारी/राजस्व मॉडल के माध्यम से) को सहयोग देने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना; सरकारी ऋण योजनाएं जैसे मुद्रा ऋण, स्त्री शक्ति योजना, आदि और डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (नाबार्ड) , राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) महिला उद्यमियों को सहयोग दे सकते हैं।
- सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे मेक इन इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और अटल इनोवेशन मिशन, मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से आवश्यक कौशल विकास प्रदान किया जाता है।

इस अनुभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त विचार के लिए संभावित संस्तुतियों की एक सूची दी गई है। इन संस्तुतियों को भारत के विभिन्न हिस्सों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ बहुत समानताएं हो सकती हैं।

इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल न करने का कारण यह है कि यह संस्तुतियां/परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी वर्तमान योजना या कार्यक्रम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों, जैसे स्व-वित्तपोषण, CSR या ऐसे अन्य स्रोतों के माध्यम से करना होगा।

यदि यह परियोजनाएं लागू की जाती हैं, तो इनके माध्यम से समुदायों की अनुकूली क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावना हो सकती है एवं इनके परिणामस्वरूप आजीविका में वृद्धि भी हो सकती है।

1. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाई (एफपीओ, एसएचजी व किसान):

- फसल कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज इकाई हैं।
- यह किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

ये गतिविधि "आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना" अनुभाग में चर्चा की गई पहलों को मजबूत करने में सहायता करेगी

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण :^{69,70,71}

- हैदराबाद, तेलंगाना में कट्टनगुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड।
- घुम्मर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के नाना गांव में स्थित है।

2. सौर निष्क्रिय डिजाइन और निष्क्रिय शीतलन:

नए निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए (जहां भी संभव हो): ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए आवासीय घरों और प्रशासनिक भवनों में टिकाऊ डिजाइन के साथ स्थानीय और पारंपरिक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए:

- घरों में सौर ज्यामिति के अनुसार भवन का अभिविन्यास करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक वायु का कुशल संचलन होना चाहिए।
- घरों में सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर का उपयोग करना चाहिए।
- घरों में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए (पारंपरिक विद्युत उपकरण जैसे बल्ब, ट्युबलाइट आदि के उपयोग को कम करना)।
- घरों में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियाँ करनी चाहिए।
- जल निकाय और डिजाइन किए गए परिदृश्य (वृक्षारोपण/बागवानी)।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच" अनुभाग में चर्चित पहलों को मजबूत करेगी।

69 https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium_Updated_20230922.pdf

70 <https://www.opportunityindia.com/article/empowering-women-fpo-through-solar-power-ghummar-fpo-34521>

71 <https://www.ecozensolutions.com/ecofrost/fpos-leverage-agri-infra-funds-for-ecofrost.html>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय⁷², थार रेगिस्तान, राजस्थान का निर्माण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 400 से अधिक लड़कियों के लिए किया गया है जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया गया है :

- थर्मल आराम को अधिकतम करने के लिए बिल्डिंग ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया गया है।
- प्रकाश और पंखे चलाने के लिए स्कूल के छतों पर सौर पैनल लगाये गए हैं।
- सोलर पैनल कैनोपी और स्क्रीन स्कूल के कमरों में ज्यादा गर्मी होने से बचाते हैं।
- छत का अण्डाकार आकार शीतलता (वायुप्रवाह) उत्पन्न करता है।
- इमारत की दीवारें हवा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती हैं और धूप व रेत को स्कूल के कमरों में आने से रोकती हैं।
- निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है।

सोलर पैसिव कॉम्प्लेक्स, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA), चंडीगढ़⁷³:

- भवन में एकीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है।
- सौर ज्यामिति के अनुसार अभिविन्यास किया गए हैं।
- भवन की छत (डिज़ाइन+सामग्री) गर्मी से रहत देने के उद्देश्य से बनाई गई।
- सौर ऊर्जा से कमरों में एयर कंडीशनर और प्रकाश की जरूरत को पूरा किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाइट वॉल्ट, सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर)।
- शीतलन और वायु शोधन के लिए छोटे तालाब और वृक्षारोपण (पेड़, झाड़ियाँ और घास)।

3. सौर ऊर्जा संचालित RO जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क का निर्माण:

सौर-आधारित आरओ (RO) जल शोधन प्रणाली स्वच्छ पेयजल की समस्या के लिए एक सतत और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देते हुए समुदाय को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही ग्राम पंचायत के लिए यह पहल लाभदायक हो सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

हिवरा लाहे गांव, जिला-वाशिम, राज्य-महाराष्ट्र⁷⁴:

- सीएसआर समर्थन से सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क (समुदाय आधारित) को स्थापित किया गया।
- समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया।
- प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सक्षम बनाया गया।
- इसी तरह की पहल गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में भी की गई है।

72 <https://www.avontuura.com/rajkumari-ratnavati-girls-school-diana-kellogg-architects>

73 <https://peda.gov.in/solar-passive-complex>

74 <https://yraindia.org/wp-content/uploads/2019/12/RO-plant-Success-story-in-Village-Hiwara-HDB-project.pdf>

4. सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड का निर्माण:

पशु शेड मवेशियों को तीव्र गर्मी और शीतलहर से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित अनुकूली उपाय हैं। इस पहल में पशु शेड की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने में सहायक हैं। यह सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड बिजली की मांग को भी पूर्ति कर सकते हैं। यह ऊर्जा की मांग में कमी और निष्क्रिय शीतलन और वेंटिलेशन प्रदान करने में सहायक हैं, इसके अलावा पशु शेड अन्य ऊर्जा की जरूरत को पूरा करता है जैसे की चारे की तैयारी और शेड में संचालन करने में ऊर्जा की जरूरत। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में डाला जा सकता है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का स्रोत मिल सकता है।

इस तरह के पशु शेड बायोगैस उत्पादन और पशु अपशिष्ट (गोबर) से उर्वरक तैयार करने में भी मदद करेंगे। ये पशु शेड उचित पृथक और पशुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को कम करने में भी मदद कर सकते हैं।

यह गतिविधि संस्क्रुतियों के " सतत कृषि" खंड में सतत पशुधन प्रबंधन सुझावों को मजबूत कर सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जिले: लुधियाना, भटिंडा और तरनतारन, पंजाब^{75,76}

- यह परियोजना 3 जिलों में 1-2 हेक्टेयर भूमि और 5-15 डेयरी पशुओं वाले छोटे और सीमांत किसानों के 3000 परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई
- पशु शेड जलवायु को सुरक्षित करने और छोटे और सीमांत पशुधन किसानों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हैं

निर्मल गुजरात अभियान⁷⁷

- गुजरात के हिममतनगर में पशु आश्रय स्थल गांवों को साफ रखने में मदद करते हैं।
- ऐसे पशु आश्रय स्थल (पशु आवास) में बायोगैस और वर्मिकम्पोस्ट उत्पन्न करने के लिए गोबर एकत्र करने में भी प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए वर्मिकम्पोस्ट बेचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक "अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)⁷⁸" के तहत पशु शेड सब्सिडी योजना है, जिसे गुजरात सरकार के पशुपालन, कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग निर्देशालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 2 जानवरों के लिए मवेशी शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (या तो ₹30,000/- या मवेशी शेड की लागत का 50%, जो भी कम हो) दी जाती है।

5. कूल रूफ/ठंडी छतें

घरों, सार्वजनिक इमारतों और सरकारी भवनों की छतों को सौर-परावर्तक पेंट से रंगना।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जोधपुर, भोपाल, सूरत और अहमदाबाद में झुग्गी-झोपड़ी वाले घर⁷⁹

- स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने परिवारों को अपनी खुद की ठंडी छत को पेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- प्रदर्शन आउटरीच: 460 से अधिक छतें में पेंट किया गया।
- पारंपरिक छतों की तुलना में घर के अंदर का तापमान 2 - 5°C कम पाया गया।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच" अनुभाग से जुड़ी है।

75 <https://pscst.punjab.gov.in/en/climate-resilient-livestock-production-system>

76 <https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Punjab.pdf>

77 <https://jayshaktiengg.com/gujarat-government-launches-solar-scheme-for-farmers/>

78 <https://www.myscheme.gov.in/schemes/csssscspssc>

79 <https://www.nrdc.org/bio/anjali-jaiswal/cool-roofs-community-led-initiatives-four-indian-cities>

6. चारे की संपूरक के उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना:

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान ने पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए फ़ीड सप्लीमेंट (हरित धारा और टैमरिन प्लस) विकसित किए हैं।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

- इन संपूरकों के उपयोग से आंत्रिय मीथेन उत्सर्जन में 17-20% तक कम हो सकता है⁸⁰।
- आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार इन पूरक आहार की कीमत ₹6 प्रति किलोग्राम है।

7. सौर ऊर्जा संचालित ऊर्ध्वधर चारा उगाने वाली इकाइयों (घटेलू स्तर/ सामुदायिक स्तर) का निर्माण:

सौर ऊर्जा से संचालित, माइक्रोकलाइमेट-नियंत्रित, ऊर्ध्वधर चारा उगाने वाली इकाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन एक बाल्टी से भी कम पानी के साथ ताजा चारा काटने में सक्षम बनाती है। ऐसी इकाइयाँ सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार राज्यों में⁸¹

- चारा उत्पादक इकाइयों को अपनाने से पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

8. पंचायत स्तरीय जल बजटिंग

जलवायु-अनुकूल कृषि-आधारित आजीविका के लिए जल प्रबंधन और 'जल बजटिंग'

- वार्षिक/त्रैमासिक जल बजट की गणना।
- ग्राम स्तर पर "जल की कमी" और "जल अधिशेष" की गणना।
- पानी की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक फसल उत्पादन योजना।
- जल बर्बादी को रोकने के लिए जल ऑडिट।

यह गतिविधि कार्ययोजना के सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन अनुभागों से जुड़ी है। यह पहल फसल चयन/योजना, खेत तालाब, बेहतर सिंचाई विधियों, जल पुनर्भरण आदि जैसे कई हस्तक्षेपों को सुदृढ़ बनाएगी।

80 भारतीय कृषि परिषद की रिपोर्ट के अनुसार <https://testicar.icar.gov.in/content/icar-nianp-commercializes-anti-methanogenic-feed-supplement-%E2%80%9Charit-dhara%E2%80%9D>

81 <https://india.mongabay.com/2024/04/amid-fodder-crisis-hydroponics-offers-new-hope-for-indian-farmers/>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

7 ग्राम पंचायतें (जीपी) और पड़ोसी बस्तियां, रंगारेड्डी और नागौरकुर्नूल जिले, तेलंगाना ⁸²

- यह गतिविधि पानी की खपत की वर्तमान स्थिति व खपत को अनुकूलित करने के उपाय दोनों को पहचानने में मदद करेगी।
- इस गतिविधि के द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम यानी खरीफ़ (मानसून), रबी (सर्दी), और ज़ैद (गर्मी) के लिए योजना बनाने में भी सहायता मिल सकती है।

9. जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सक्षम बनाना

गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- महिलाएं स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद की बिक्री करें।
- महिलाएं समुदायों को स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों के महत्व पर शिक्षित करें।
- उदाहरण के लिए, स्वच्छ खाना पकाने (सौर कुकस्टोव), पोर्टेबल सौर जल शोधक, एनर्जी एम्प्लिफ़ाइंग लाइट, आदि।
- महिलाओं को व्यवसाय विस्तार ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण विपणन और वितरण संबंधों को सुविधाजनक बनाया जाए।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करना है। यह कार्ययोजना के आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाने वाले अनुभाग से जुड़ता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

4 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) में 14 जिले⁸³

स्वयं शिशन प्रयोग (एसएसपी) महिलाओं को उनके ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों और जलवायु परिवर्तन नेताओं के रूप में सक्षम बनाता है:

- 60,000 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और सुरक्षित पानी और स्वच्छता में सक्षम बनाया गया।
- 1,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण लिया और व्यवसाय शुरू किया।

10. सामुदायिक बीज बैंक

- सामुदायिक बीज बैंक क्षेत्र में फसल विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देंगे जबकि स्थानीय बीज प्रणालियों को मुख्यधारा में लाएंगे, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाएंगे।
- ऐसे बीज बैंक किसानों को सूखा-सहिष्णु और जलवायु परिवर्तन अनुरोधक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भोजन की कमी के दौरान।

⁸² <https://wotr.org/2018/03/31/water-budgeting-in-telangana-the-need-and-the-objective-of-the-campaign/>

⁸³ <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

सामुदायिक बीज बैंक, डंगधोरा, जोरहाट, असम (UNEP-GEF परियोजना)⁸⁴

- बीज बैंक से जुड़े किसानों को स्थानीय बाजार में उपलब्ध बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की कटाई, उपचार, भंडारण और गुणा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- बीज बैंक की पहल सहभागी फसल सुधार और ज्ञान-साझाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देती है।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सस्ते और आसान पहुंच प्रदान की जाती है व किसानों को बाजार से भी जोड़ती है।
- यह बीज प्रणालियाँ व इनकी मूल्य श्रृंखलाएँ स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों की रक्षा करती हैं।

11. जैव-संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) प्राकृतिक खेती को अपनाने की सुविधा के लिए जैव-इनपुट तैयार करते हैं और आपूर्ति करते हैं। बीआरसी से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जैव-इनपुट स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैव-इनपुट तैयार करना एक समय लेने वाली और श्रम-गहन गतिविधि है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल उपज की वृद्धि, कीट या रोग प्रबंधन में सुधार के लिए उपयोगी जैविक संस्थाओं या जैविक रूप से व्युत्पन्न इनपुट का उपयोग करने वाले स्थानीय रूप से तैयार उत्पाद किसानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बीआरसी क्षेत्र के किसानों की सभी जैव इनपुट आवश्यकताओं के लिए सिंगल-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:


आंध्र प्रदेश राज्य में⁸⁵

- सतत जलवायु-अनुकूल कृषि में योगदान देता है।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है क्योंकि उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी को बाढ़, सूखे और भूमि क्षरण प्रक्रियाओं के प्रति अधिक लचीला बनाती है।
- कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और पैदावार में स्थिरता होने के परिणामस्वरूप जोखिम कम हो जाता है, और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है।

84 <https://alliancebioiversityciat.org/stories/community-seed-banks-empower-farmers-address-climate-risk-india>

85 <https://www.apmas.org/pdf/csv/casestudy-1.pdf>

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁶
क. वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को बढ़ावा देना 	<ul style="list-style-type: none"> प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पानी की कमी और पानी के तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है बेहतर भूजल पुनर्भरण 	एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.1 लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 6.5
ख. जल निकायों का कायाकल्प एवं संरक्षण 	<ul style="list-style-type: none"> पानी की गुणवत्ता में वृद्धि सूखा, लू जैसी आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाना कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार स्थानीय जैवविविधता को बढ़ावा 	एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.4
ग. जल निकासी और सीवेज बुनियादी ढांचे को बढ़ाना 		एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2
घ. अपशिष्ट जल प्रबंधन 		एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2
		एसडीजी 15: भूमि पर जीवन <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.5









86 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची अनुबंध V में दी गई है






सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलभराव कम हुआ जल और भूमि प्रदूषण में कमी/स्वच्छता में सुधार 100% अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग-मुक्त वातावरण आजीविका और आय सृजन राजस्व और लाभ सृजन सतत कृषि के लिए उन्नत इनपुट 	<p>एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 3.3 लक्ष्य 3.9 <p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.8 <p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3 <p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8 <p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3 <p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1
<p>ख. बेहतर स्वच्छता प्रबंधन</p> 		      
<p>ग. जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन</p> 		
<p>घ. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध</p> 		

सतत कृषि


सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁷
क. जलवायु लचीलापन का निर्माण 	<ul style="list-style-type: none"> कृषि उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि⁸⁸ मृदा स्वास्थ्य में सुधार रासायनिक आदानों के कम उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार कृषि जल सुरक्षा में सुधार शीत लहर और गर्मी की लहर के दौरान पशुधन की हानि कम हुई और उत्पादकता में वृद्धि हुई वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और उत्सर्जन में कमी आई 	<p>एसडीजी 2: शून्य भूख</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 2.3 लक्ष्य 2.4 लक्ष्य 2.ए; अनुच्छेद 10.3.ई <p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 13.1 <p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3   
ख. प्राकृतिक खेती अपनाना 		
ग. सतत पशुधन प्रबंधन 		

हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना











सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
क. हरित आवरण में सुधार 	<ul style="list-style-type: none"> जलवायु घटनाओं/आपदाओं से प्राकृतिक बफ़र सूक्ष्म-जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और तीव्र गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा बेहतर मृदा स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्राकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पशुधन उत्पादकता में सुधार 	<p>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.7 लक्ष्य 11.4 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 <p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3   
ख. जन जैवविविधता रजिस्टर 		

87 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची अनुलग्नक V में दी गई है




88 पारिस्थितिकी-आपदा जोखिम में कमी

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन ▪ जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार 	<p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> • लक्ष्य 15.1 • लक्ष्य 15.2 • लक्ष्य 15.3 • लक्ष्य 15.5 • लक्ष्य 15.9 
--	---	---

स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. सोलर रूफ टॉप स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ऊर्जा सुरक्षा ▪ उष्ण से राहत ▪ आजीविका के उन्नत विकल्प ▪ अतिरिक्त राजस्व सृजन 	<p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य 6.4</p> <p>एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा</p> <ul style="list-style-type: none"> • लक्ष्य 7.1 • लक्ष्य 7.2 • लक्ष्य 7.3 • लक्ष्य 7.ए • लक्ष्य 7.बी
<p>ख. कृषि-फोटोवोल्टिक स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ उच्च तापमान/धूप के संपर्क से राहत प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप उपज स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है 	<p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> • लक्ष्य 9.1
<p>ग. सौर पंप</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट ▪ पे-बैक अवधि के बाद आर्थिक लाभ 	<p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> • लक्ष्य 13.2 • लक्ष्य 13.3
<p>घ. रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ घर के अंदर वायु प्रदूषण में कमी ▪ विशेषकर महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार ▪ ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के कठिन परिश्रम/शारीरिक श्रम को समाप्त करता है 	
<p>ङ. ऊर्जा कुशल फिक्स्चर</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ आपदाओं के दौरान ग्रिड विफलताओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि 	
<p>च. सौर स्ट्रीट लाइट</p> 		 

सतत और उन्नत गतिशीलता

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. मौजूदा सड़क अवसंरचना को बढ़ाना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है जोखिम वाले और संवेदनशील लोगों के लिए बेहतर पहुंच 	<p>एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.2
<p>ख. मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> अतिरिक्त राजस्व सृजन वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि जलभराव कम करने जैसे सह-लाभों के साथ सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के माध्यम से लचीलेपन में सुधार 	<p>एसडीजी 11: टिकाऊ शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.2
<p>ग. ई-वाहनों और ई-ट्रेक्टर</p> 		<p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1 <p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3



आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट संबंधी गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. सतत उत्पादों के विनिर्माण में पूर्व से मौजूद स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जल एवं भूमि प्रदूषण में कमी स्थायी कृषि के लिए उन्नत इनपुट 100% अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग-मुक्त वातावरण 	<p>एसडीजी 5: लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 5.5
<p>ख. जैविक कचरे को खाद बनाकर उसे बेचना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> अतिरिक्त राजस्व सृजन 	<p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3
<p>ग. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराये पर लेने की सुविधा</p> 	<ul style="list-style-type: none"> आजीविका के उन्नत विकल्प औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ 	<p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8
<p>घ. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार</p> 	<ul style="list-style-type: none"> कृषिवानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन। 	<p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ङ. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जैव विविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में वृद्धि स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है 	 
<p>च. विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सौर और बायोगैस) का प्रचालन एवं रखरखाव</p> 	<ul style="list-style-type: none"> वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि 	 

कार्यान्वयन में प्रस्तावित सुझाव/संस्तुतियों/अनुशंसाओं से डोमनपुर चिवटहिया के ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में ही नहीं बल्कि ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा प्राप्त करने में भी सहायता होगी, जिससे ग्राम पंचायत क्लाइमेट स्मार्ट, लचीली और सतत बनेगी। इससे गांव के निवासियों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ग्राम पंचायत के समग्र और निरंतर विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, ये संस्तुतियां प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगी। डोमनपुर चिवटहिया के लिए यह क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना ऊर्जा, कृषि निवेश, पानी, आदि पर व्यय में कमी लाकर डोमनपुर चिवटहिया को 'आत्मनिर्भर' बनाएगी जिससे आर्थिक विकास के नए मार्ग खुलेंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित हस्तक्षेपों के क्रियान्वयन से जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्ययोजना II, 2022 में परिकल्पित के अनुसार, डोमनपुर चिवटहिया क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना पर राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी योगदान देगा, जो बदले में, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देश के प्रयासों को सशक्त करेगा, जिससे एनडीसी, 2015 और इसके अद्यतन संस्करण, 2022 में सूचीबद्ध योगदान और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भी प्राप्त होंगे।

जलवायु संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से तैयार किए गए समाधानों की आवश्यकता है, जो पर्याप्त जलवायु वित्त और क्रियान्वयन के अन्य माध्यमों की उपलब्धता से ही सफल हो सकते हैं। इसे राज्य और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत समर्थित ग्राम पंचायत विकास योजना में परिकल्पित जारी गतिविधियों में न्यूनीकरण और अनुकूलन दोनों जलवायु कार्यवाही को मिलाकर और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर प्राप्त किया जा सकता है। इससे सभी प्रासंगिक हितधारकों: समुदाय, सरकारी प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। कार्ययोजना के क्रियान्वयन के बाद, नई अवसंरचना/प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन के रूप में निरंतर कार्यवाही डोमनपुर चिवटहिया को एक मॉडल क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनना सुनिश्चित करेगी। वर्तमान योजना की सफलता से संभवतः दूसरे ग्राम पंचायत भी कुशल, लचीले और सतत बनाने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, यह महत्वपूर्ण होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ मिशन के समान एक संवहनीय जीवन शैली को अपनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व की भावना और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित किया जाए।

अनुलग्नक I: पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली

पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध उन्नत और नवीन गतिविधियां अपना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और प्रेरणादायक मार्गदर्शन के तहत राज्य ने शासन के विभिन्न स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध विस्तृत गतिविधियां प्रारंभ की हैं। इनमें से एक है क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत⁸⁹ के निर्माण के लिए कार्ययोजनाओं का निर्माण करना। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस अवधारणा की परिकल्पना जून, 2022 में की थी। उनकी इस परिकल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के 39 संवेदनशील जिलों में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान करने के लिए एक त्वरित बहु-मानदंड मूल्यांकन संचालित किया गया⁹⁰। 5 जून, 2022 को आयोजित 'पंचायत सम्मेलन' (सीओपी) में इन चयनित ग्राम पंचायतों के नामों की घोषणा की गई और इनमें से कई पंचायतों को सम्मानित भी किया गया।

डोमनपुर चिवटहिया के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना⁹⁰ का विकास उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप के सहयोग से किया गया है। इस कार्ययोजना का लक्ष्य ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध गतिविधियों को मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए ग्राम पंचायत विशिष्ट ब्लूप्रिंट प्रदान करना है। यह न केवल स्थानीय जलवायु अभियानों को सुदृढ़ता प्रदान कर ग्राम पंचायत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सहनशील बनाएगा बल्कि वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन/कार्बन तटस्थ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जनों में कमी भी लाएगा।

इस कार्ययोजना के निर्माण में भागीदारी दृष्टिकोण अपनाया गया है जो कि ऊर्ध्वगामी (बॉटम अप) योजना निर्माण की अवधारणा के अनुरूप है। इस कार्ययोजना की प्रस्तावित संस्तुतियों को व्यक्तिगत परियोजनाओं के रूप में किया जा सकता है जिन्हें पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में जुटी कंपनियों, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं, उन्नत सार्वजनिक-निजी साझेदारियों, कार्बन वित्त और निजी निवेशों से धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।

इसे व्यवहार्य बनाने के लक्ष्य से यह कार्ययोजना पंचायत-निजी-साझेदारी (पीपीपी) के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और साथ ही, इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और गैर-राज्य सक्रियकों के बीच सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा भी प्रदान करती है।

कार्यप्रणाली

इस रिपोर्ट में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के सहित भरी हुए प्रश्नावली, एचआरवीसीए (HRVCA) रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के सामाजिक और संसाधन मानचित्र के रूप में फ्रील्ड से मिली जानकारी संलग्नक के रूप में सम्मिलित है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी: मूलभूत स्थिति को समझने और ग्राम पंचायत के आधारभूत परिदृश्य का विकास करने के लिए मुख्य हितधारकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर एक प्रश्नावली तैयार की गई। प्रश्नावली में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया, जैसे कि जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु धारणा (पिछले 5 वर्ष की), ऊर्जा, कृषि

89 उत्तर प्रदेश के 39 अत्यधिक संवेदनशील जिलों की पहचान उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना 2.0 और डीओईएफसीसी (DoEFCC), उत्तर प्रदेश सरकार(GoUP) द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना हेतु स्कोपिंग आकलन से की गई।

90 इस आलेख में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना सहित निम्न आलेख संलग्नक के रूप में सम्मिलित हैं: विस्तृत कार्यप्रणाली; उत्तर सहित प्रश्नावली; खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) रिपोर्ट, और ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र।

और पशुधन, भूमि संसाधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पहुंच को समझना भी था।

- हितधारकों के लिए परामर्श सत्र और क्षमता निर्माण: स्थानीय गैर-सरकारी साझेदारों, ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों के लिए परामर्श और क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- हितधारकों को जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के उद्देश्यों और घटकों, इन कार्य योजनाओं के विकास और उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई।
- साथ ही, गैर सरकारी साझेदारों को मुख्य जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं, अपनाने जाने वाली सर्वेक्षण प्रक्रियाओं और समूह केन्द्रित चर्चाओं के लिए विकसित प्रश्नावली के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।
- क्षेत्र सर्वेक्षण: समुदाय से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभा और समूह केन्द्रित चर्चा के कुछ दौरों का आयोजन किया गया था जिसके माध्यम से प्राथमिक डेटा संग्रह किया गया।
 - » क्षेत्र सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत का दौरा (ट्रांसेक्ट वाक) किया गया और उसके आधार पर सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार किए गए।
 - » ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) भी किया गया।
 - » डोमनपुर चिवटहिया ग्राम पंचायत की जलवायु संबंधित समस्याओं को और उसके विकास लक्ष्यों को समझने के लिए समूह केन्द्रित चर्चाओं का भी आयोजन किया गया।
- प्राप्त आदानों के आधार पर, ग्राम पंचायत के लिए कार्ययोजना विकसित की गई और बेसलाइन मूल्यांकन का संचालन किया गया। इसमें क्लाइमेट-स्मार्ट गतिविधियों की पहचान करना सम्मिलित था जो न केवल पहचानी गई पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी समस्याओं को संबोधित करती हैं बल्कि ग्राम पंचायत में प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- ड्राफ्ट योजना को समीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।
- ग्राम पंचायत से प्राप्त अपडेट को सम्मिलित करने के पश्चात, कार्ययोजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया और समर्थन के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।

अनुलग्नक II: प्रश्नावली



उत्तर प्रदेश क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की सर्वे प्रश्नावली

ग्राम पंचायत : डोमनपुर चिउटहिया विकासखण्ड : भदोही जनपद : संतरबिदास नगर

I. गाँव की रूपरेखा

	विवरण	संख्या (सूचना का स्रोत— समुदाय के सदस्य)
1	राजस्व गाँव की संख्या	1
2	टोलों की संख्या	2
3	a कुल जनसंख्या	1870
	b कुल पुरुषों की जनसंख्या	947
	c कुल महिलाओं की जनसंख्या	923
	d विकलांगजन की जनसंख्या	7
	e कुल बच्चों की जनसंख्या	670
	f वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग)	195
4	कुल परिवार की संख्या	307
a	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या	95
5	कुल भोगौलिक क्षेत्रफल	196.14 हेक्टेअर
6 a	साक्षरता दर	55 प्रतिशत
7 a	पक्का घरों की संख्या	297
b	कच्चा घरों की संख्या (मुख्य रूप से उपयोग की गई सामग्री का उल्लेख करें)	10 (छप्पर एवं टीन की छत, ईट व मिट्टी की दीवार)





II. सामाजिक आर्थिक

8	ग्राम पंचायत में केवल कृषि (प्रकार) पर आश्रित परिवार	कुल परिवारों की संख्या	
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	289	
	किराए की भूमि (हुण्डा)	05	
	अनुबंध खेती	NIL	
	दिहाड़ी मजदूर	216	
	अन्य व्यवस्था (रेहन, अधिया आदि)	35	
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में शामिल परिवार, उल्लेख करें)	NIL	
9	ग्राम पंचायत में आय के स्रोत	कुल परिवारों की संख्या	
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	15	
	कुटीर उद्योग	03	
	कृषि	285	
	कला/हस्तकला	NIL	
	पशुपालन	55	
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	15	
	व्यवसाय/उद्यम	35	
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	155	
	अन्य	25	
10	पलायन	हां	नहीं
a	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत से ग्रामीणों ने पलायन किया है?	हां <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	पलायन करने वाले स्थान	पिछले पांच वर्षों में पलायन करने वाले परिवार/व्यक्तिगत की संख्या	
	अन्य गांव	NIL	
	निकट के शहर	NIL	
	राज्य के प्रमुख शहर	NIL	
	देश के प्रमुख महानगर	35	
c	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत में परिवार/व्यक्ति ने प्रवास किए हैं?	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/> no
d	पिछले पांच वर्षों में	NIL	





	आपके ग्राम पंचायत में कितने परिवार प्रवास किए हैं? मुख्य कारण स्पष्ट करें।	
--	--	--

11 महिलाओं की स्थिति		
a	महिला प्रमुख परिवारों की संख्या (आय का मुख्य स्रोत- महिला)	05
b	खेती में कार्यरत महिला	कुल संख्या
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	40
	किराएकी भूमि/हुण्डा	NIL
	अनुबंध खेती	NIL
	दिहाड़ी मजदूर	45
	अन्य व्यवस्था	NIL
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में संलग्न महिलाएं, उल्लेख करें)	NIL
c	नौकरी/अन्य क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं	कुल संख्या
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	8
	कुटीर उद्योग	NIL
	कृषि	55
	कला/हस्तकला	NIL
	पशुपालन	55
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	5
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	NIL
	अन्य	NIL





12 स्वयं सहायता समूहों					
	स्वयं सहायता समूह का नाम	सदस्यों की संख्या	अपनायी गई गतिविधियाँ	वार्षिक बचत (₹0)	बैंकों से जुड़ाव/अजुड़ाव
1	अम्बेडकर महिला स्वयं सहायता समूह	15	बचत, बकरी पालन, भैस पालन, गाय	7200	हां
2	डीह बाबा महिला स्वयं सहायता समूह	13	बचत, बकरी पालन, भैस पालन, गाय	6240	हां
3	गौतमबुद्धमहिला स्वयं सहायता समूह	11	बचत, बकरी पालन, भैस पालन, गाय	5280	हां
4	साइ महिला स्वयं सहायता समूह	14	बचत, बकरी पालन, भैस पालन, गाय	6720	हां
5	शंकर महिला स्वयं सहायता समूह	12	बचत, बकरी पालन, भैस पालन, गाय	5760	हां
6	शिव महिला स्वयं सहायता समूह	12	बचत	5760	नहीं
7	वैष्णव महिला स्वयं सहायता समूह	12	बचत, बकरी पालन, भैस पालन, गाय	5760	हां
8	मों दुगा महिला स्वयं सहायता समूह	13	बचत	6240	नहीं

13 कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0)						
	एफ0पी0ओ0 का नाम	क्या इस संगठन की प्रमुख महिला हैं?	प्रत्येक एफ0पी0ओ0 में सदस्यों की संख्या	एफ0पी0ओ0 से प्राप्त वार्षिक राजस्व/ बचत	कृषि उत्पाद	पोस्ट हार्वेस्ट की गतिविधियां/ गतिविधियों का क्षेत्र
	NIL	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				





14 अन्य समुदाय आधारितसंगठन /						
	सामाजिक संगठन / समितियों के नाम	क्या महिला प्रमुख संगठन / समिति हैं?	सदस्यों की संख्या	प्राप्त वार्षिक राजस्व / बचत	उत्पाद / सेवा	विपणन / लक्षित उपभोगकर्ता
	NIL	<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				

15 योजनाएं						
a	योजना के नाम	पंजीकृत लाभार्थी की संख्या	लाभ प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	विगत वर्ष ग्राम पंचायत में प्राप्त कुल भगतान (रु0)	अन्य कोई बकाया (रु0)	की गई गतिविधियाँ / कार्य
	मनरेगा	319	216	292662	20235	वृक्षारोपण, खड्डजा, पक्की नाली निर्माण, मिट्टी चकरोड सम्पर्क मार्ग, पंचायत भवन
	प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना / एन.एफ.एस.ए.					
	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	25	25	गैस चुल्हा एवं सिलेन्डर		
	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	05	05	सोलर पैनल		सिंचाई
	प्रधान मंत्री कुसुम योजना	NIL				
b	अन्य योजनाएं					
	ग्राम उज्जवला योजना	NIL				
	ऊर्जा दक्षता योजना	NIL				
	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	NIL				



	प्रधानमंत्री आवास योजना	18	15	600000	1200000	नीव स्तर तक
	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी0डी0एस0)	307	307			प्रत्येक परिवार को 5 से 35 किलो खाद्यान मिलता है
	कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	NIL				
	उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन	NIL				
	राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (RKVY)	NIL				
	मौसम आधारित फसल बीमा	NIL				
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	NIL				
	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	NIL				
	किसान क्रेडिट कार्ड	50	50			
	स्वच्छ भारत मिशन	115	115	1380000		लाभार्थी के घर शौचालय बना है
	सौर सिंचाई पम्प योजना	2	2			सोलर पैनल मिला है
	नई/नवीन भारतीय बायोगैस व कार्बनिक खाद कार्यक्रम	NIL				
	विकेन्द्रित अनाज क्रय केन्द्र योजना	NIL				
	गोवर्धन योजना	NIL				
	जल पुनर्भरण योजना	NIL				
	रेनवाटर हार्वेस्टिंग	NIL				
	समन्वित वाटरशेड विकास कार्यक्रम	NIL				
	अन्य वाटरशेड विकास योजनाएं	NIL				
	अन्य (एक जिला-एक उत्पाद, मेक इन इण्डिया, अन्य)	NIL				
	उद्यमिता सहायता योजनाएं आदि	NIL				





16	सक्रिय बैंक खाताधारकों की संख्या	1250
17	ई-बैंकिंग/डिजिटल भुगतान एप/यू.पी.आई आदि से भुगतान करने वाले खाताधारकों की संख्या	65

8	निकट कृषि बाजार/क्रय केन्द्र/सरकारी केंद्र	क्या ग्राम पंचायत द्वारा बाजार/क्रय केन्द्र का उपयोग होता है	यदि नहीं, तो बाजार/केन्द्र का उपयोग क्यों नहीं किया जाता	उत्पादित फसल(कु0)	बिक्री हुई फसल (कु0)	ग्राम पंचायत से दूरी (यदि ग्राम पंचायत से दूर है) (कि0मी0)
	भदोही के पास	हां		गेहूँ 3200	2000	10 k.m
	भदोही के पास	<input type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/>	धान 3500	1200	10 km
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

19	शिक्षा (केवल ग्राम पंचायत में)				
	प्रकार/स्तर	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	विगत वर्ष में कुल ड्राप आउट विद्यार्थियों की संख्या	ड्राप आउट के मुख्य कारण (स्वास्थ्य (1), पहुँच/उपलब्धता-(2), आर्थिक समस्या-(3), अन्य-(4) उल्लेख करें)
a	प्राथमिक विद्यालय	146.6	132	1	(4) अन्यत्र गमन
b	जू0 हाई स्कूल	NIL			
c	हाई स्कूल	NIL			



	d	अन्य संस्थान	NIL			

20	कौशल विकास/व्यवसायिक प्रशिक्षण/पुनः कौशल संस्थान (केवल ग्राम पंचायत में)	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	संस्थान के प्रकार (सरकारी 1, निजी 2)	नामांकित व्यक्तियों की संख्या	नामांकित व्यक्तियों की आयु
	NIL				

21	राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता			
	राजमार्ग का नाम	राज्य मार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2	ग्राम पंचायत से दूरी	सम्पर्क मार्ग की स्थिति अच्छा (1), खराब (2), घटिया (3), सबसे घटिया (4)
	जौनपुर विन्ध्याचल राजमार्ग	(2)	5 KM	(1)





III. भूमि संसाधनों संबंधित सूचनाएं/जानकारी

22	वन भूमि का विवरण	
a	वन का क्षेत्र	NIL
b	वन विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र	NIL
c	सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध वन क्षेत्र	NIL
d	कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण है?	NIL
e	विगत पांच वर्षों में कोई वन उन्मूलन/वन कटाई की गतिविधियां	NIL
f	अनुमानित वन उन्मूलन/वन कटाई का क्षेत्रफल (एकड़)	NIL

23	अन्य भूमि का वर्गीकरण			
a	ग्राम पंचायत के पास ग्राम सभा की कितनी भूमि उपलब्ध है?	05 एकड़.		
b	कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? (एकड़)	02 एकड़		
c	ग्राम पंचायत में खनन गतिविधियां	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>	आच्छादित क्षेत्रफल
	खनन के प्रकार बालू खनन 1, खनिज खनन—(उल्लेख करें) 2, अन्य (उल्लेख करें) 3			
	अतिरिक्त सूचनाएं	Nil		

24	जल निकाय क्षेत्र	हां	नहीं
a	क्या आप के ग्राम पंचायत में जल निकाय क्षेत्र है?	हां <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	ग्राम पंचायत में कुल जल निकाय क्षेत्रों की संख्या	3	
c	क्या जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण है?	<input type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/>
d	जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण कब से है?	10 से 15 वर्ष	
e	क्या जल निकाय क्षेत्र के आस-पास के भूमि पर अतिक्रमण किया गया है?	हां	





25		जल आपूर्ति
a	ग्राम पंचायत में घरों हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल-(2) भूमिगत जल-(3) तालाब/झील-(4) अन्य- (5)	भूमिगत जल-(3)
b	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति के स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	बारहमासी
c	घरों में जल आपूर्ति कैसे होती है? पाइप जलापूर्ति (1) ग्राम पंचायत में सामान्य संग्रह केन्द्र (2) पानी टंकी (3) महिलाओं/बच्चों द्वारा दूर से लाया गया (4) हैण्डपम्प (5) ऊँचा सतही जलाशय (6) कूआ (7) अन्य (8), उल्लेखित करें। अगर 4 है, तो कितनी दूर से लाया जा रहा है?	हैण्डपम्प (5)
d	कितने घरों में जलापूर्ति पाइप से है?	NIL
e	क्या पानी का बहाव/प्रवाह दर कम, अधिक या संतोषजनक है?	NIL
f	पाइप जलापूर्ति की नियमितता 24× 7 घण्टे(1) काफी नियमित (2) अनियमित (3)	NIL
g	ग्राम पंचायत में कृषि सिंचाई हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल (2) भूमिगत जल – (नलकूप (3A), कूआ (3B))	वर्षा जल (2) (नलकूप (3 A)) अन्य (7) सबमर्सिबल



	तालाब/झील (4) पानी टैंक (5) नदी (6) अन्य (7)	
h	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	वर्षा जल मौसमी है, नलकूप एवं व्यक्तिगत बोरिंग का प्रयोग फसल की आवश्यकतानुसार
i	क्या जलापूर्ति का बहाव/प्रवाह दर कम/अधिक या संतोषजनक है?	संतोषजनक
j	अतिरिक्त जानकारी (उदाहरण : क्या घरेलू कृषि व संबंधित गतिविधियों, उद्योगों आदि के लिए जल आपूर्ति पर्याप्त है) क्या विगत वर्षों में भूजल, नदी या नहर से जल की उपलब्धता बढ़ी/घटी या सूख गया? क्या सूखे या गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है?	घरेलू प्रयोग हेतु पर्याप्त है। कृषि हेतु अपर्याप्त है। NIL





IV. जलवायु की धारणा

तापमान व वर्षा में प्रमुख परिवर्तन/बदलाव				
26				
a	गर्मी के माह में देखा गया			
b	गर्मी के तापमान में देखे गए बदलाव (पिछले पांच वर्षों में)	गर्म दिनों में वृद्धि	गर्म दिनों में कमी	गर्म दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/> √	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	15 दिन		
d	अन्य सूचनाएं (गर्मी माह में कोई परिवर्तन)	तापमान बढ़ा है।		
27				
a	सर्दी के माह में महसूस किया गया			
b	सर्दियों के तापमान में कोई परिवर्तन पाया गया (विगत पांच वर्षों में)	ठण्ड दिनों में वृद्धि	ठण्ड दिनों में कमी	ठण्ड दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> √	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	30 दिन		
d	अन्य सूचनाएं (सर्दी माह में कोई परिवर्तन)	गर्मी बढ़ी है, कोहरा कम हुआ है।		
28				
a	मानसून माह में महसूस किया गया			
b	मानसून ऋतु की वर्षा में कोई परिवर्तन देखा गया (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> √	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	20 दिन		
d	अन्य सूचनाएं (मानसून माह में कोई परिवर्तन)	कम दिनों में अधिक वर्षा		
29				
a	क्या गैर मानसून ऋतु की वर्षा में परिवर्तन हुआ है? (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> √	<input type="checkbox"/>
b	ग्रीष्म ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा दिनों में वृद्धि	वर्षा दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> √	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	20 दिन		
d	शरद ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> √	<input type="checkbox"/>
e	दिनों की संख्या	8 दिन		
f	अन्य सूचनाएं/जानकारी			



चरम मौसम की घटनाएं

30 सूखा						
a	सूखे की घटना	प्रथम वर्ष (2022) <input type="checkbox"/> √	द्वितीय वर्ष (2021) <input type="checkbox"/>	तृतीय वर्ष (2020) <input type="checkbox"/>	चतुर्थ वर्ष (2019) <input type="checkbox"/>	पंचम वर्ष (2018) <input type="checkbox"/>
b	किस माह में सूखा देखा गया	जून जुलाई				
c	सूखे का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता, कुएं खोदा आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन नहीं			कृषि स्तर पर प्रबन्धन अतिरिक्त सिंचाई	
d	सूखे की आवृत्ति : सूखे की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि <input type="checkbox"/> √	कमी <input type="checkbox"/>	कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	1995 में सूखा पड़ा	पूरे गाँव के लोग व खेती प्रभावित हुई			
31 बाढ़						
a	बाढ़ की घटना बाढ़ नहीं है केवल जल जमाव होता है	प्रथम वर्ष (2022) <input type="checkbox"/>	द्वितीय वर्ष (2021) <input type="checkbox"/>	तृतीय वर्ष (2020) <input type="checkbox"/>	चतुर्थ वर्ष (2019) <input type="checkbox"/>	पंचम वर्ष (2018) <input type="checkbox"/>
b	किस माह में बाढ़ देखा गया					
c	बाढ़ का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन नहीं			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	बाढ़ की आवृत्ति : बाढ़ की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि <input type="checkbox"/>	कमी <input type="checkbox"/>	कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2					
32 भूस्खलन						
a	भूस्खलन की घटना नहीं	प्रथम वर्ष (2022) <input type="checkbox"/>	द्वितीय वर्ष (2021) <input type="checkbox"/>	तृतीय वर्ष (2020) <input type="checkbox"/>	चतुर्थ वर्ष (2019) <input type="checkbox"/>	पंचम वर्ष (2018) <input type="checkbox"/>
b	किस माह में भूस्खलन देखी गई					
c	भूस्खलन का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	भूस्खलन की आवृत्ति : भूस्खलन	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन		





	की घटना (पिछले पांच वर्षों में)			नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2					
33 ओलावृष्टि						
a	ओलावृष्टि की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
	कम है	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में ओलावृष्टि हुई			मार्च अप्रैल		
c	ओलावृष्टि का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
		नहीं			नहीं	
d	ओलावृष्टि की आवृत्ति : ओलावृष्टि की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
34 फसलों के कीट/बीमारी						
a	कीट/बीमारी की घटनाक्रम	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में कीट/बीमारी को देखा गया?	अक्टूबर, फरवरी एवं मार्च	अक्टूबर, फरवरी एवं मार्च	अक्टूबर, फरवरी एवं मार्च	अक्टूबर, फरवरी एवं मार्च	अक्टूबर, फरवरी एवं मार्च
c	किस प्रकार के टिड्डी/कीट/बीमारी को देखा गया?	गेरुई, माहो, धान का पियरा (पीला होना), फल छेदक, तनाछेदक, गंधी	गेरुई, माहो, धान का पियरा (पीला होना), फल छेदक, तनाछेदक, गंधी	गेरुई, माहो, धान का पियरा (पीला होना), फल छेदक, तनाछेदक, गंधी	गेरुई, माहो, धान का पियरा (पीला होना), फल छेदक, तनाछेदक, गंधी	गेरुई, माहो, धान का पियरा (पीला होना), फल छेदक, तनाछेदक, गंधी
d	कीट/बीमारी का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	दवा का छिड़काव निजी स्तर पर				
e	कीट/बीमारी की आवृत्ति : कीट बीमारी का घटनाक्रम (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	अतिरिक्त जानकारी/सूचनाएं					





35 ग्राम पंचायत में आपदा की तैयारी					
		ग्राम पंचायत स्तर पर क्या आपदा प्रबन्धन/तैयारी के उपाय उपलब्ध है?		क्या ग्रामीणों तक इसकी पहुँच/उपलब्धता है?	
आपदा तैयारी के उपाय		हां	नहीं	हां	नहीं
ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
पूर्व चेतावनी प्रणाली/मौसमी चेतावनी प्रणाली/कृषि चेतावनी प्रणाली		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
आपातकाल अनाज बैंक		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
अन्य		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

36 अनाज भण्डारण		
a ग्राम पंचायत के आपातकालिन खाद्य/अनाज बैंक में किस प्रकार का भोजन भण्डारित किया जाता है?		
	अनाज (विवरण दें)	NIL
	तेल	NIL
	चीनी	NIL
	अन्य खाद्य पदार्थ – उल्लेख करें	NIL
	b क्या ग्राम पंचायत में शीतगृह है, अगर है तो उसकी क्षमता क्या है?	NIL

37 ग्राम पंचायत में मौसम की चेतावनी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, कृषि आधारित चेतावनी के लिए उपलब्ध जानकारी के स्रोत		
	स्थानीय कृषि अधिकारी	NIL
	समाचार पत्र/समाचार/रेडियो	√
	मोबाईल फोन/एप	√
	मौखिक	√
	कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्र	NIL
	पशुपालन विभाग	NIL
	उद्यान विभाग	NIL
	अन्य	NIL





कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर प्रभाव (विगत पांच वर्षों में)

38 फसल हानि						
a	घटना का वर्ष	हानि की ऋतु/मौसम खरीफ (1) रबी (2) जायद/अन्य ऋतु (3)	फसल का नाम	हानि के कारण रोग, चरम, घटनाक्रम— गर्मी, टण्ड, वर्षा, ओलावृष्टि, मिट्टी आदि	अनुमानित हानि की मात्रा (कुन्तल)	परिणाम स्वरूप आय में हानि (औसत रु०)
	प्रथम वर्ष (2022)	खरीफ (1)	धान	रोग व वर्षा	600 कु०	9 लाख
	द्वितीय वर्ष (2021)	रबी (2)	सरसों	शीतलहर व पाला	50 कु०	2 लाख 25 हजार
	तृतीय वर्ष (2020)	खरीफ (1)	धान	रोग व वर्षा	500 कु०	7 लाख 50 हजार
	चतुर्थ वर्ष (2019)	खरीफ (1)	धान	रोग व वर्षा	500 कु०	7 लाख 50 हजार
	पंचवां वर्ष (2018)	NIL				
b	क्या आप फसल बीमा के बारे में जानते हैं?	हां	नहीं			
		<input type="checkbox"/> √	<input type="checkbox"/>			
	अतिरिक्त जानकारी (फसल बीमा के लाभार्थी— बड़े किसान, लघु एवं सीमान्त किसान आदि) फसल बीमा लाभार्थी का संतुष्टि स्तर क्या है?	फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाता है NIL				

39 फसल पद्धति में बदलाव					
a	सामान्य फसल	खरीफ धान ज्वार	रबी गेहूँ सरसों सब्जी	जायद/अन्य ऋतु मूंग उर्द सब्जी	
b	फसल का नाम	पारम्परिक बोआई का समय	विगत 5 वर्षों में बोआई के समय में परिवर्तन हुआ है/देखा है	अभी बोआई का समय	परिवर्तन के कारण





	धान	जून का तृतीय सप्ताह	हां	जुलाई का तीसरा सप्ताह	वर्षा देर से होना
	गेहूँ	अक्टूबर नवम्बर	हां	नवम्बर से दिसम्बर	ठंड का देर से शुरू होना
	सरसों	अक्टूबर	हां	अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवम्बर तक	वर्षा देर से होना
c	अन्य सूचना / जानकारी (विलुप्त फसल / प्रजाति आदि उल्लेख करें)	मोटे आनाज की फसलें विलुप्त हो गयीं एवं किसानों ने बुआई बन्द कर दिया			

40 सिंचाई प्रणाली / पद्धति में परिवर्तन					
	फसल का नाम	वर्तमान में सिंचाई पद्धति का उपयोग द्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	वर्तमान में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रूपया / एकड़)	पूर्व में सिंचाई पद्धति का उपयोग द्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	पूर्व में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रूपया / एकड़)
a	धान	वर्षा आधारित (4) मोटर(6)	2000 / -	वर्षा आधारित (4) मोटर(6)	1400 / -
	गेहूँ	वर्षा आधारित (4) मोटर(6)	1300 / -	वर्षा आधारित (4) मोटर(6)	1000 / -
b	ग्राम पंचायत में	डीजल आधारित	विद्युत आधारित	सौर पम्प	पारम्परिक सिंचाई विधियां





	सिंचाई हेतु पम्पों की संख्या	NIL	15	1	वर्षा आधारित	NIL
c	अन्य सूचनाएं/जानकारी अगर कोई है	NIL				
41 पशु पालन/पशुधन						
a	ग्राम पंचायत में प्रचलित पशुधन और पशुपालन सम्बन्धित गतिविधियां श्रेणी : डेयरी (1) मुर्गी पालन (2) मत्स्य पालन (3) सूअर पालन (4) मधुमक्खी पालन (5) अन्य- स्पष्ट करें (6)✓	गाय भैंस बकरी निजी मछली पालन				
b	डेयरी पर प्रभाव	पशु हानि गाय (1) भैंस (2) अन्य (3)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु को उल्लेख करें)	हानि के कारण (रोग, आयु, दुर्घटना आदि)	हानि का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	गाय (1) अन्य (3) बकरी	15 गाय 20 बकरी	रोग लगना व टंडक लगना	सितम्बर जरवरी	कमी (2)
	द्वितीय वर्ष(2021)	अन्य (3) बकरी	25 बकरी	शीतलहर	जरवरी	कमी (2)
	तृतीय वर्ष (2020)	गाय (1) अन्य (3) बकरी	10 गाय 20 बकरी	रोग लगना व टंडक लगना	जनवरी	कमी (2)
	चतुर्थ वर्ष(2019)	गाय (1) अन्य (3) बकरी	5 गाय 10 बकरी	रोग लगना व टंडक लगना	जनवरी	कमी (2)
	पंचम वर्ष(2018)	गाय (1) अन्य (3) बकरी	3 गाय 12 बकरी	रोग लगना व टंडक लगना	जनवरी	कमी (2)
	अन्य जानकारी/सूचनाएं	NIL				
c	मुर्गी पालन पर प्रभाव	पक्षी हानि मुर्गी (1) बत्तख (2) अन्य (3)	पक्षी हानि की संख्या (प्रत्येक पक्षी का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि के मौसम/ ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2)



						परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	NIL				
	द्वितीय वर्ष(2021)	NIL				
	तृतीय वर्ष (2020)	NIL				
	चतुर्थ वर्ष(2019)	NIL				
	पंचम वर्ष(2018))	NIL				
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	NIL				
d	अन्य पशुओं पर प्रभाव	पशु हानि (कृपया निर्दिष्ट करें कि कौन से हैं)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि की ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	NIL				
	द्वितीय वर्ष(2021)	NIL				
	तृतीय वर्ष (2020)	NIL				
	चतुर्थ वर्ष(2019)	NIL				
	पंचम वर्ष(2018)	NIL				
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	NIL				





V. कृषि व पशुपालन

42	a	प्रमुख उगाई जाने वाले फसलें व सम्बन्धित सूचनाएं/जानकारी								खरपतवारनाशी		
		उर्वरक उपयोग			कीटनाशक उपयोग							
	फसल (अनाज, तिलहन, दलहन, उद्यान एवं फूल आदि)	ऋतु/ मौसम	उपज (कु0)	उर्वरक के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/ एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये उर्वरकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	कीटनाशकों के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/ एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये कीटनाशकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	खरपतवार नाशी के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/ एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये खरपतवार की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)
	धान	वर्षा	40 कु0 प्रति हे0	डाइ, यूरिया, सल्फर	4 बोरी यूरिया, 2 बोरी डाइ	वृद्धि (1)	फ्यूराडॉन, साइपर, रोगार, इन्डोफिल	200 मिली प्रति एकड़	वृद्धि (1)	मीरा 71	5 पैकेट 1 हे0	वृद्धि (1)
	सरसों	सर्दी	6 कु0 प्रति एकड़	डाइ, यूरिया, सल्फर	4 बोरी यूरिया, 2 बोरी डाइ	वृद्धि (1)	फ्यूराडॉन, साइपर, रोगार, इन्डोफिल	200 मिली प्रति एकड़	वृद्धि (1)	मीरा 71	5 पैकेट 1 हे0	वृद्धि (1)
	गेहूँ	सर्दी	48 कु0 प्रति हे0	डाइ, यूरिया, सल्फर	4 बोरी यूरिया, 2 बोरी डाइ	वृद्धि (1)	फ्यूराडॉन, रोगार, इन्डोफिल	200 मिली प्रति एकड़	वृद्धि (1)	मीरा 71	5 पैकेट 1 हे0	वृद्धि (1)
	b	क्या ग्राम पंचायत में फसल अवशेष	हां <input type="checkbox"/> नहीं <input checked="" type="checkbox"/>	जलाये गये खेतों का कुल क्षेत्रफल	क्या यह फसल अवशेष पूर्व में	अगर नहीं तो, कब से जलाना आरम्भ किया	क्या फसल अवशेष प्रबन्धन की योजनाओं को जानते/जागरूक हैं?					



जलायुं जाते हैं	जलायुं जाते थे	(एकड़)	जलायुं जाते थे	NIL	NIL

43 जैविक खेती सम्बन्धित गतिविधियां

फसल	क्षेत्रफल	प्रति फसल आय (₹0 / कुन्तल)	बिक्री हेतु बाजार	तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित / सत्यापित
NIL	NIL			

44 अन्य स्थाई खेती सम्बन्धी गतिविधियां (जैसे शून्य/जीरो बजट प्राकृतिक खेती)

फसल	स्थायी गतिविधियां (शून्य जुताई, मलिन्यां, फसल चक्र, अन्तःफसलें, वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट, मिश्रित फसलें, प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, जीव पदार्थ में वृद्धि आदि)	क्षेत्रफल (एकड़)	प्रति फसल प्राप्त आय (रूपया)
NIL		NIL	



45 कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, परती भूमि विकास और अन्य वृक्षारोपण गतिविधियां												
पौध रोपण गतिविधियों के प्रकार	आच्छादित क्षेत्रफल	स्थान	योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन (1), समन्वित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (2), वर्षा आधारित क्षेत्र कार्यक्रम (3), मनरेगा (4), वृक्षारोपण जन आन्दोलन (5), अन्य (6) - उल्लेख करें	मोनोक्लचर (1), मिश्रित प्रजातियां (2)	रोपित प्रजातियां	आरम्भ दिनांक	सफलता (प्रतिशत)	कृषि वानिकी गतिविधियों के लाभ तक लोगों की पहुंच/अवसर	पिछले 10 वर्षों में पहुंच/अवसर में परिवर्तन, वृद्धि (1), कमी (2), कोई परिवर्तन नहीं (3)	परिवर्तन के कारण- लाभ में वृद्धि (1), लाभ में वृद्धि (2), प्रजाति सम्बन्धित (3), वन उन्मूलन (4) अन्य (5)- उल्लेख करें		
NIL	NIL		NIL									



46 अपनाये गये स्थायी पशुधन प्रबन्धन तकनीक			
पशुधन के प्रकार	ग्राम पंचायत में कुल संख्या (लगभग)	अपनाई गई गतिविधियां (चारा में परिवर्तन, पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार, खुले में चराई आदि)	प्राप्त / उत्पादित आय प्रति पशुधन (रु०) (वार्षिक)
गाय (देशी नस्ल)	120	भूसा व हराचारा, पशुआहार	7000 / -
गाय (संकर नस्ल)	40	भूसा व हराचारा, पशुआहार	16000 / -
भैंस (देशी नस्ल)	75	भूसा व हराचारा, पशुआहार	3000 / -
भैंस (संकर नस्ल)	नहीं		
बकरी	60	खुले में चराई	2000 / -
सुअर	नहीं		
मुर्गी	नहीं		
मत्स्य	नहीं		
अन्य भेड़	200	खुले में चराई	5000 / -



48 ठोस अपशिष्ट उत्पादन / अपशिष्ट प्रबन्धन								
a	अपने घर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट पदार्थ / कचरा	सब्जी का छिलका, सुखा कचरा	2-2.5 किलो					
b	आपके ग्राम पंचायत में अपशिष्ट पदार्थ / कचरा कैसे इकट्ठा किया जाता है?	इकट्ठा नहीं होता है						
c	कचरा संग्रह कितनी बार होता है?	<input type="checkbox"/> प्रतिदिन		<input type="checkbox"/> साप्ताहिक		<input type="checkbox"/> वैकल्पिक दिन		
		हां		नहीं				
d	क्या आपके क्षेत्र में कोई स्थान है, जहां कचरा इकट्ठा डाला जा सकता है? यदि हां तो कृपया आपकी ग्राम पंचायत से कितनी दूरी पर है या किस स्थान पर है?	<input type="checkbox"/> √		<input type="checkbox"/>		ग्राम पंचायत से दूरी / ग्राम पंचायत में अवस्थिति	ग्राम पंचायत की जमीन पर	150 मीटर
e	क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य कूड़ेदान रखे गये हैं?	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> √				
	क्या आप कचरे को सरवे और गीले							



50	अपशिष्ट जल	घरेलू	व्यवसायिक	औद्योगिक	कृषि गतिविधियां	गंदा नाला
a	अपशिष्ट जल का क्या स्रोत है?	<input type="checkbox"/> √	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> √	<input type="checkbox"/>
b	उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (अनुमानित लीटर प्रतिदिन)	50 लीटर प्रति घर				
c	गांव में किया गया अपशिष्ट जल उपचार, यदि कोई है तो-	नहीं				
d	अपशिष्ट जल पुनःचक्रण या पुनः उपयोग की गतिविधि, यदि कोई है तो-	नहीं				

51	स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा	हां	नहीं	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
a	स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता	हां	नहीं	
b	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> √	
c	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> √	
d	उपस्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> √	
	आंगनवाड़ी	<input type="checkbox"/> √	<input type="checkbox"/>	आंगनवाड़ी केन्द्र जर्जर अवस्था में है



c	श्वास सम्बन्धी रोग जो वायु प्रदूषण से होते हैं (इनडोर एण्ड आउटडोर)	25	NIL	5	20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	भदोही जिला अस्पताल
d	कुपोषण	3	3	-	-	आशा, ए.एन. एम., आंगनवाड़ी	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	भदोही जिला अस्पताल

VII. उर्जा

53		
a	आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने घर विद्युतकृत हैं	307
b	ग्राम पंचायत में निम्नलिखित अनुमानित विद्युत उपकरणों की संख्या	
	ए0सी0	12
	एयर कुलर	35
	रेफ्रिजरेटर/फ्रीज	75

54	विद्युत कटौती की आवृत्ति	
a	दिन में कुछ बार	<input type="checkbox"/> √
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	विद्युत कटौती नहीं	<input type="checkbox"/>
b	प्रतिदिन कितने घण्टे गुल रहती है?	10 घंटा
	यदि प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में कितने घण्टे बिजली गुल होती है?	NIL

55	वोल्टेज अस्थिरता/ उतार-चढ़ाव की आवृत्ति क्या है?	
	दिन में कुछ बार	<input type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	अस्थिरता/ उतार-चढ़ाव नहीं	<input type="checkbox"/> √





56	पावर बैकअप का मतलब विद्युत कटौती के दौरान उपयोग	संख्या
	डीजल चलित जेनरेटर	2
	सौर उर्जा	1
	इमरजेंसी लाईट	120
	इन्टवर्टर्स	25
	अन्य साधन (उल्लेख करें)	NIL

57	नवीकरणीय/अक्षयऊर्जा के स्रोत		
a	क्या गांव में निम्नलिखित में से कोई स्थापना है?	इंस्टालेशन (स्थापना) की संख्या	कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट)
	घर की छतों पर सौर उर्जा स्थापना	00	
	विद्यालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	00	
	चिकित्सालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	00	
	ग्राम पंचायत भवन पर सौर उर्जा स्थापना	00	
	अन्य सौर उर्जा स्थापना	00	
	सौर स्ट्रीट लाईट	00	
	बायोगैस	00	
	विकेन्द्रित नवीनीकरण उर्जा/मिनी ग्रीड	NIL	
b	क्या आप सौर उर्जा स्थापना के लिए उपलब्ध अनुदान के बारे में जानते हैं (कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का उल्लेख करें)		

58	भोजन बनाने हेतु प्रयुक्त ईंधन	परिवारों की संख्या	प्रति परिवार प्रयुक्त औसत मात्रा (किग्रा/महीना)
	पारम्परिक जलौनी (उपले/जलौनी लकड़ी)	125	100 किलो
	बायोगैस	00	00
	एलपीजी गैस	200	12 – 13 किलो
	विद्युत	00	00





	सौर उर्जा		00	00
	अन्य (कोयला, मिट्टी का तेल, चारकोल आदि)		00	00
59	वाहन की संख्या			
	वाहन के प्रकार	ग्राम पंचायत में वाहन संख्या (अनुमानित)	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	जीप	15	डीजल	40-50 किमी० प्रतिदिन
b	कार	30	पेट्रोल / डीजल	30-40 किमी० प्रतिदिन
c	दो पहिया वाहन	180	पेट्रोल	25-30 किमी० प्रतिदिन
d	विद्युत चालित वाहन	00		
e	आटो	03	डीजल	80 किमी० प्रतिदिन
f	ई-रिक्शा	10	बैट्री	100 किमी० प्रतिदिन
g	अन्य सायकिल	1000		आवश्यकतानुसार

60	कृषि यंत्र	ग्राम पंचायत में कृषि यंत्रों/मशीनों की संख्या	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	ट्रैक्टर	20	डीजल	20-30 किमी० प्रतिदिन
b	कम्बाईन हारवेस्टर	00		
c	अन्य (कृपया उल्लेख करें)	4 थ्रेसर		थ्रेसर भी ट्रैक्टर से ही चलता है।

61	ग्राम पंचायत में अवस्थित पेट्रोल पम्प (अगर कोई है)										
	ईंधन के प्रकार	प्रतिदिन की बिक्री	पम्प से आपूर्ति वाले गांव की संख्या	कितने प्रकार के वाहन एक दिन/महीना में पेट्रोल पम्प से ईंधन लेते हैं? (समय/ अवधि का उल्लेख करें)							
				ट्रैक्टर	कृषि यंत्र	जीप	कार	दो पहिया वाहन	आटो	ई-रिक्शा	अन्य





a	नहीं	नहीं									
b											

62 औद्योगिक इकाई				
	उद्योग के प्रकार	संख्या	उर्जा के स्रोत: ग्रिड विद्युत (1), डीजल जेनरेटर (2), नवीनीकरण/अक्षय उर्जा (3)	उर्जा की खपत प्रति माह विद्युत का उपयोग (किलोवाट) ईंधन उपयोग (लीटर प्रतिदिन)
	NIL			



अनुलग्नक III: एचआरवीसीए रिपोर्ट

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना



ग्राम पंचायत— डोमनपुर चिउटहिया,
विकास खण्ड— भदोही, जनपद— संत रविदास नगर

ग्राम पंचायत— डोमनपुर चिउटहिया,
विकास खण्ड— भदोही, जनपद— संत रविदास नगर

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना

गाँव की अवस्थिति—

जनपद मुख्यालय के अन्तर्गत हाइवे सड़क के इंदिरा नगर बीच से नई बाजार ईदगाह से सेखा ग्राम पंचायत से होते हुए वरुणा नदी के रास्ते पर जनपद मुख्यालय से उत्तर दिशा में 10 किमी० की दूरी पर ग्राम पंचायत डोमनपुर चिउटहिया स्थिति है।

ग्राम पंचायत डोमनपुर चिउटहिया मुख्यतः दो पुरवों में बसा है। जिसमें सिखड़ी व डोमनपुर है। डोमनपुर चिउटहिया ग्राम पंचायत में तीन दलित बस्ती अलग-अलग घरों के हिसाब से बसी है। सिखड़ी में एक दलित बस्ती है। क्रमशः दलित बस्ती में 20, 13, 16 एवं 10 परिवार हैं।

खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता विश्लेषण—

जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रवृत्ति/परिवर्तन, मुख्य चुनौतियाँ/झटके एवं तनाव

ग्राम पंचायत डोमनपुर चिउटहिया में सभी मौसम गर्मी बरसात एवं सर्दी का प्रभाव रहता है। लोगों से बातचीत के अनुसार सर्दी, गर्मी, एवं बरसात लगभग 25 वर्ष पूर्व तथा वर्तमान के अवधि में परिवर्तन हो गया है। समुदाय का मानना है कि पहले वर्षा जून माह से सितम्बर तक नियमित अन्तराल पर होती रहती थी। लेकिन वर्तमान में बारिश होने की अवधि व निरन्तरता में कमी आयी है। इस वर्ष जुलाई में एक या दो बार हल्की बारिश हुई। अगस्त में तीन, चार दिन में वर्षा ज्यादा हो गई, बारिश होने के अन्तराल में वृद्धि हुई है, जिसमें फसल सिंचाई के लिए सूखे की स्थिति बन गयी। पहले धान की फसल वर्षा आधारित या एक, दो सिंचाई करने पर हो जाती थी अब तीन से चार सिंचाई करनी पड़ती है। जिनके पास निजी सिंचाई के साधन हैं वे किसान परिवार तो सिंचाई कर लेते हैं लेकिन जिनके पास निजी सिंचाई के साधन नहीं हैं उनके पैदावार पर असर पड़ता है।

समुदाय का कहना है कि पहले गर्मी 15 मार्च से जून तक होती थी, जिसमें पश्चिम की हवा बहती थी जिसमें गर्मी ज्यादा होती थी। जिसके कारण मोटा अनाज एवं गेहूँ का मड़ाई का काम मई तक हो जाता था। वर्तमान में समुदाय का कहना है कि गर्मी की अवधि में परिवर्तन हुआ ही है, साथ ही तापमान बढ़ गया है।

समुदाय का कहना है कि सर्दी भी 25 से 30 वर्ष पूर्व नवम्बर माह से फरवरी के अन्त तक पड़ती थी। किन्तु अब सर्दी भी कम पड़ रही है या देर से शुरू हो रही है। वर्तमान में सर्दी दिसम्बर और जनवरी तक ही रही है।

1— गाँव को प्रभावित करने वाली आपदाओं की पहचान करना एवं इनका प्राथमिकीकरण—

समुदाय के साथ छोटी-छोटी बैठकों का आयोजन करके उन आपदाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा व विचार विमर्श किया गया। जिसमें उनकी आजिविका, शिक्षा, दैनिक दिनचर्या, स्वास्थ्य, पेयजल एवं साफ सफाई आदि प्रभावित होते हैं। चर्चा के आधार पर समुदाय द्वारा आपदाओं को चिन्हित किया गया। चिन्हित आपदाओं के प्रभाव को एवं इनसे उत्पन्न समस्याओं की तुलनात्मक मानक

को देखते हुए उनका प्राथमिकीकरण किया गया। इस गाँव की मुख्य आपदा सूखा है इसमें खेती, आजीविका, स्वास्थ्य, पेयजल, साफ सफाई आदि में जोखिम की सम्भावना बढ़ जाती है।

आपदा का इतिहास एवं क्षति—

गाँव के लोगों के साथ बातचीत करने पर ज्ञात हुआ कि 1995 में जबरदस्त सूखा पड़ा था, जिसका प्रभाव फसल, पशुधन, समुदाय एवं संसाधन पर पड़ा था। जिसमें लगभग 300 एकड़ की खेती प्रभावित हुई थी, तथा लगभग 500 लोग प्रभावित हुए थे। विगत कई वर्षों से (2018–2022) तक सूखे ने लगभग पूरे गाँव को प्रभावित किया है जिसमें फसल एवं पशुधन विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। आपदा की पहचान एवं प्राथमिकीकरण के आधार पर निम्न आपदायें ग्राम पंचायत डोमनपुर चिउटहिया को प्रभावित करते हैं। विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक सं0 4 देखें।

आपदा का नाम	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
सूखा						---	---	---				
लू				---	---	---						
शीतलहर	---											---
ओला पत्थर		---	---									
आँधी तुफान					---	---						
जल जमाव						---	---	---	---			

आपदा का मौसमी मानचित्रण समुदाय से हुई चर्चा के दौरान स्पष्ट हुआ कि कम दिनों में अधिक वर्षा और वर्षाविहीन दिनों की संख्या में वृद्धि तथा गर्मी के तापमान बढ़ने से बहुत सारी समस्याओं का सामना समुदाय को करना पड़ रहा है जिसमें सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं एवं बच्चों पर पड़ रहा है साथ ही अप्रैल, मई, एवं जून में अत्यधिक गर्मी का पड़ना सामान्यतः मानसून के शुरुआती दिनों में (जून–जुलाई) वर्षा का न होना, कम होना, सूखा पड़ने के संकेत विगत कई वर्षों से हो रहे हैं। जिसका प्रभाव सिंचाई, पेयजल खाद्यान उत्पादन, पशु पालन एवं समुदाय के आवागमन खेती एवं मजदूरी को प्रभावित करती है। विगत कई वर्षों से (5 से 10 वर्ष) प्रत्येक वर्ष खरीफ की मुख्य फसल धान प्रभावित हो रही है। वही दूसरी तरफ रबी की फसल में (गेंहूँ, सरसों) तेज गर्मी व कोहरे/शीतलहर के कम पड़ने के कारण एवं कीटपतंग लगने से कम पैदावार की सम्भावना बनी रहती है। शीतलहर में बकरियों का ज्यादा नुकसान होता है। साथ-साथ समुदाय का यह कहना है कि स्थानीय स्तर पर नीलगाय एवं बनसुअरा से गेंहूँ की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों का कहना था कि पहले हम लोग मूँग, उर्द, आलू, गन्ना की खेती करते थे लेकिन अब इनकी खेती छोड़ दिये हैं।

2— जलवायु परिवर्तन जनित आपदा के जोखिम/खतरों का मानचित्रण एवं ऑकलन—

उपरोक्त आपदाओं के आधार पर होने वाले नुकसान सम्भावित जोखिम, संसाधनों पर पड़ने वाले अनुमानित प्रभाव एवं उनसे प्रभावित समुदाय, संसाधन आदि की विस्तृत जानकारी प्राप्त किया गया। यह जानकारी समुदाय के सभी वर्ग महिला, पुरुष दलित समुदाय की सक्रिय भागीदारी से प्राप्त किये गये हैं।

आपदाओं का ग्राम पंचायत डोमनपुर चिउटहिया के पर्यावरण बुनियादी एवं आधार भूत संरचना के साथ ही समुदाय के जीवन यापन के तौर तरीके आजीविका एवं स्वास्थ्य (विशेषकर महिलाएं एवं बच्चों) आदि पर नाकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ग्राम पंचायत डोमनपुर चिउटहिया से सम्बन्धित आपदाओं का विभिन्न क्षेत्रों पर इनके विभिन्न प्रकार से जोखिम की सम्भावना बढ़ती है। गाँव के लोगों का मानना है कि जोखिमों से उन्हें प्रतिवर्ष तरह-तरह के नुकसान सहने पड़ते हैं। जो कि निम्न है।

खतरा एवं जोखिम विश्लेषण से प्राप्त सूचनाएँ—

क्र० सं०	आसन्न आपदा/ खतरे	सम्भावित जोखिम का क्षेत्र	सम्बन्धित जोखिम प्रभावित क्षेत्र			
			जोखिम	आबादी	घर	संसाधन
1	जल जमाव	पेयजल	पेयजल का दूषित होना जल जनित बिमारी का जोखिम	दलित बस्ती	45	20 हैण्डपम्प के पास जल जमाव होने से जल का दूषित होना
		स्वच्छता	ठोस अपशिष्ट बह कर फैल जाना	पूरा गाँव सड़क खड़जा	—	
		स्वास्थ्य	जल जनित बिमारियां (टायफाइड डायरिया दस्त का होना, मलेरिया)	पूरा गाँव	—	50-60 पुरुष 100-125 बच्चें 40-50 महिलाएं
		शिक्षा	आवागमन बाधित होने से विद्यालय में उपस्थिति कम होना	पूरा गाँव	—	सड़क/खड़जा विद्यालय परिसर में जल जमाव

क्र० सं०	आसन्न जोखिम का क्षेत्र	जोखिम का क्षेत्र	सम्भावित जोखिम प्रभावित क्षेत्र			
			जोखिम	आबादी	घर लगभग	संसाधन
		सामाजिक सुरक्षा	वृद्धजन, बच्चें, विकलांग महिलाओं का गिर जाना, घायल हो जाना	पूरा गाँव	160 वृद्ध 120 बच्चें 40 महिला 6 विकलांग	आवागमन बाधित रास्ता टूट जाना खड़जा टूट जाना
		कृषि	खरीफ की फसल का नुकसान, धान की नर्सरी का नुकसान, रबी की फसल की बुआई में विलम्ब बिमारियों एवं कीट का प्रकोप			
		उद्यान/ सब्जी उत्पादन	पेड़ पौधे एवं सब्जी के फसल का खराब हो जाना	120 घर लगभग		400 पेड़ 20 एकड़ सब्जी की खेती
		पशुपालन	पशुउत्पाद का कम होना, बिमारी आदि का प्रकोप	55 परिवार		गाय, भैंस, बकरी, भेड़
		आजीविका	स्थानीय स्तर पर मजदूरी न मिलना	216 परिवार		—
		जल निकास	जल निकायों में गंदा पानी भरना			5 बीघा जल निकाओं में गन्दा पानी भरना
		खुले क्षेत्र	खुले में खरपतवार घास पात की अधिकता, कीट पतंगों का प्रकोप	पूरा गाँव		10 एकड़ खुले में घास पात की अधिकता
	सूखा	पेयजल	जल स्तर का नीचे जाना, शुद्ध पेयजल की कमी	पूरा गाँव		47 इंडिया मार्क हैण्डपम्प का जल स्तर नीचे जाना
		कृषि	उपज का प्रभावित होना	पूरा गाँव		

		सब्जी उत्पादन	सिंचाई लागत अधिक	पूरा गाँव		
		पशुपालन	पशुओं को चारे का संकट, तापमान बढ़ने से विभिन्न प्रकार की बिमारियों का होना, उत्पादन कम होना	गाय, भैंस, बकरी पालन 55 परिवार	पूरा गाँव	चारागाह
	लू	स्वास्थ्य	मानव एवं पशुओं को लू लगना/स्वास्थ्य खराब होना टीकाकरण में बाधा	पूरा गाँव	—	स्वास्थ्य सेवा बाधित होना, पेयजल संकट
		शिक्षा	बच्चों के स्वास्थ्य प्रभावित	पूरा गाँव	132 बच्चें 67 लड़का 65 लड़की	शिक्षा बाधित
	शीतलहर	स्वास्थ्य	मानव एवं जानवरों को ठण्ड लगना	पूरा गाँव		मानव स्वास्थ्य की हानि
		कृषि	शीतलहर से फसलों को नुकसान			खेत
		पशुपालन	पशु क्षति खेत में फसल का नुकसान	पूरा गाँव	55 परिवार	प्रत्येक वर्ष बकरियों की मृत्यु 2025
	ओला बृष्टि एवं आंधी तूफान	मानव स्वास्थ्य एवं पेयजल	छोटे बच्चें, वृद्धजन, महिलाओं के गिरने पर चोट लगना, जानवरों का घायल होना, फसल एवं फलदार वृक्ष का नुकसान होना।	पूरा गाँव	6 घर	फसल एवं फलदार वृक्ष के फलों का नुकसान कच्चें घरों का नुकसान होना

आजीविका के साधनों पर आपदा का प्रभाव—

ग्राम पंचायत डोमनपुर चिउटहिया आजीविका का मुख्य साधन कृषि, कृषि मजदूरी, गैर कृषिगत मजदूरी (कालीन उद्योग) एवं पशुपालन है। आजीविका हेतु लोग (पुरुष) पलायन करते हैं। आजीविका के साधन आपदा से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। जिससे सम्बन्धित सूचना संलग्न की गयी है। विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या 5 देखें।

3— नाजुकता विश्लेषण—

समुदाय के लोगों से बातचीत के दौरान ज्ञात हुआ कि आपदा का बार-बार सामना करने से प्रभावित समुदाय सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है, ग्राम पंचायत से जुड़े समुदाय को आपदा की दृष्टि से सुरक्षित बनाने की दिशा में नाजुक समुदाय, नाजुक संसाधन, नाजुक स्थल आदि के बारे में जानना आवश्यक है। इसे जानने के लिए समुदाय, आशा, आँगनवाड़ी कार्यकर्ती, रोजगार सेवक, समूह सखी, आदि की मदद से नाजुक वर्ग, जाति, लिंग, उम्र, आय के आधार पर गाँव में नाजुक स्थल एवं आपदा के कारण प्रभावित होने वाले ग्राम पंचायत में स्थित संसाधनों एवं उनकी संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी।

1— जल जमाव—

जलवायु परिवर्तन एवं आपदा के कारण ग्राम डोमनपुर चिउटहिया के पुरवा सिखड़ी में जल जमाव की निकासी हेतु कोई नाली न होने के कारण अधिकांशतः पानी कृषिगत भूमि एवं दलित बस्ती के निचली बसाहट में फैल जाता है। पाल बस्ती में अत्यधिक वर्षा होने व बरूणा नदी का पानी बढ़ने से कृषिगत भूमि से पानी निकलने की व्यवस्था न हो पाने के कारण जल जमाव में वृद्धि करती है।

1— ग्राम पंचायत डोमनपुर चिउटहिया से जुड़े पुरवों में जो सम्पर्क मार्ग है जगह-जगह से टूटे हुए है, एवं अपेक्षाकृत नीचे है।

- 2- ग्राम पंचायत के किसी भी पुरवे में जल निकासी हेतु कोई नाला/नाली नहीं है, समुदाय के साथ चर्चा में यह निकलकर आया कि पूर्व में जल निकासी हेतु जो नाले कच्चे/पक्के बने हुए थे, वो या तो टूट गये हैं या उसमें मिट्टी भर गयी है जिससे पानी गांव के बाहर नहीं निकलता है जिसके परिणाम स्वरूप जलजमाव बढ़ जाता है।

समुदाय पर जल जमाव का प्रभाव-

जल जमाव से पाल बस्ती के लगभग 5-6 घर प्रभावित होते हैं। घर की दीवारों एवं फर्श पर सीलन/नमी बना रहता है। दलित बस्ती का पूरा कचरा खुले में रास्ते के किनारे व निचले क्षेत्र में इकट्ठा होता रहता है जो जल जमाव के दौरान फैलता व सड़ता है। जिससे स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्याओं से समुदाय प्रभावित रहता है। फल स्वरूप विभिन्न प्रकार की बीमारी जैसे बुखार, सर्दी, जुखाम डायरिया, फोड़ाफुन्सी होता है जिसमें बच्चों एवं महिलाएं ज्यादा शिकार होती हैं।

- ❖ गाँव की मुख्य सड़क को जोड़ने वाले पुरवों के सभी रास्ते (कच्चे/पक्के) टूटे हुए हैं जगह-जगह गड़ढ़े हैं एवं उबड़ खाबड़ हैं।
- ❖ बरसात में जल जमाव होने से आवागमन बाधित होता है।
- ❖ जल जमाव एवं कीचड़ होने से छोटे बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है, बच्चों एवं महिलाओं को फिसल कर गिरने का खतरा है।
- ❖ जल जमाव से गाँव के दक्षिण दलित बस्ती में लगभग 20 एकड़ कृषि भूमि के लिए समय से धान की नर्सरी न तैयार होना।
- ❖ सब्जी की फसल प्रभावित होती है, जिससे बीज आदि की लागत बर्बाद हो जाती है। कीटनाशक, खरपतवार नाशक दवाओं का अत्यधिक प्रयोग करना पड़ता है।
- ❖ पशुओं में अनेक प्रकार की बीमारी जैसे खुरपका मुंहपका, दस्त की बिमारियां होती हैं।

2- सूखा-

ग्राम पंचायत में अलग-अलग समुदाय के साथ चर्चा से यह ज्ञात हुआ कि लगभग 25 से 30 वर्ष पहले बरसात जून से सितम्बर तक नियमित होती रहती थी किन्तु अब बरसात अनियमित और असमय हो गयी है। विगत 5-6 वर्षों से बरसात के मौसम में बारिश नहीं होती है और अगर होती भी है तो थोड़ी बहुत बरसात होती है। जुलाई माह में 2 से 3 दिन में हो अधिक वर्षा हो जाती है फिर अधिक दिनों तक बारिश नहीं होती है फल स्वरूप सूखे की स्थिति बन जाती है। सूखे की स्थिति में निम्नलिखित गतिविधियां और वृद्धि कर रही है।

- ❖ ग्राम पंचायत में कुल 9 कूँ है जो भूमिगत जल स्तर का प्रबन्धन कर सकते हैं। कूँ का पानी का प्रयोग गाँव के लोग नहीं करते हैं। कूँ में पानी के साथ पालीथीन, गन्दगी, खरपतवार छोटे-छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।
- ❖ गाँव में कुल 3 तालाब हैं जिसका चारों तरफ से मेड़बन्दी हुआ है। जिसमें केवल वर्षा जल ही इकट्ठा होता है। बारिश कम होने से तालाब का पानी जल्दी सूख जाता है फलतः जल धारण क्षमता प्रभावित हो रही है।
- ❖ गाँव के खेतों में मेड़बन्दी जैसी जल संरक्षण की गतिविधियां नहीं हैं। ग्राम पंचायत में फलदार वृक्ष नहीं के बराबर हैं। आबादी के अन्दर निजी जमीन पर नीम, आम, अमरूद, सागौन शीशम, बांस आदि के पेड़ लगे हैं।

- ❖ वृक्षारोपण सड़क के किनारे, खेत के मेड़ों, तालाब के बाँझों पर सामाजिक बानिकी का अभाव है। खेती में केवल रासायनिक खादों (यूरिया, डी0ए0पी0, डाई,) का प्रयोग किया जाता है।

सूखा से समुदाय पर प्रभाव—

- ❖ गर्मी के दिनों में इंडिया मार्का हैण्डपम्प का जल स्तर नीचे चले जाने के कारण पेयजल प्रभावित हुआ है।
- ❖ खरीफ की फसल में (विशेषकर धान) सूखे के प्रभाव से सिंचाई की लागत बढ़ जाती है। वर्ष 2022 में सूखे से पूरे धान की फसल का 30 प्रतिशत उत्पादन कम हुआ है। इस ग्राम पंचायत का 100 एकड़ खेती का उपज सूखे से प्रभावित हुआ है।
- ❖ जानवरों को चारा का संकट होता है साथ ही तापमान बढ़ने से विभिन्न प्रकार की बिमारियों का प्रकोप होने से पशुउत्पादन में कमी आती है।

3— लू—

समुदाय के साथ बातचीत के दौरान ज्ञात हुआ कि लू भी एक आपदा है जो मई माह से जून के अन्त तक प्रभावित करती है तापमान बढ़ जाता जिससे गर्म हवाएं चलती है।

लू से समुदाय के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है मानव एवं पशुओं को लू लगने से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है विशेषकर बच्चों एवं बुर्जुगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती है विशेषकर छोटे बच्चों के टीकाकरण एवं टीका के रख रखाव आदि में बाधा आता है। पशुओं के चारा एवं पेयजल हेतु पानी की समस्या होती है।

4— शीतलहर—

गाँव के लोग सर्दियों में शीतलहर से भी बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। सर्दी के मौसम में दिसम्बर से जनवरी तक शीतलहर का प्रभाव रहता है। शीतलहर से मानव एवं पशु तो प्रभावित होते ही हैं साथ ही कृषि भी प्रभावित होती है।

शीतलहर के प्रभाव से प्रत्येक वर्ष लगभग 20–25 बकरियों की मृत्यु हो जाती है।

पशुधन में गाय, भैसों के कूँ उत्पादन में कमी होती है कृषि कार्य, मजदूरी आजीविका हेतु किये जा रहे कार्य भी प्रभावित होते हैं, शीतलहर से बच्चों में निमोनिया, खांसी एवं दस्त ज्यादा होता है। फसलों पर मुख्यतः आलू, दलहन एवं तिलहन पर पाले का प्रभाव पड़ता है। फलतः उत्पादन कम होता है। पौधों की बढ़ोत्तरी थम जाती है। फसल सूखने लगती है। कीट पतंगों का प्रकोप बढ़ जाता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त समुदाय की व्यवहारगत एवं ढाँचागत संरचना में कमियाँ हैं जो कि निम्नवार हैं—

ग्राम पंचायत के लोगों में जानकारी व जागरूकता का अभाव है। लोगों को सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं तथा कृषि सम्बन्धित तकनीकी की जानकारी नहीं है जिससे उनकी नाजुकता अत्यधिक बढ़ जाती है। समुदाय के लोग पशुपालन तो कर रहे हैं किन्तु नस्ल सुधार, पशुओं का बीमा, फसल बीमा आदि की जानकारी नहीं है। गाँव में समुदाय आधारित संगठन/संस्था की कमी है, फलस्वरूप आपदा के समय समुदाय को सरकारी एवं वाह्य सहायता की अपेक्षा रहती है।

गाँव में सूखा एवं गीला कचरा एक साथ ही इकट्ठा कर घर के बगल में, गलियों में, सड़क या खड़जा के किनारे रख देते हैं। समुदाय के लोग गीला, सूखाकचरा एवं गोबर के निस्तारण हेतु उचित प्रबन्धन न होने के कारण कचरा बहकर या हवा के साथ उड़कर जल निकास तन्त्र को बाधित करता है। जिससे जल जमाव की समस्या बढ़ती है एवं गन्दगी फैलती है।

- ❖ गाँव के लोग अधिकांशतः रबी की फसल में गेहूँ, सरसों एवं खरीफ की फसल में धान ही उगाते हैं। खेती में विविधता मिश्रित खेती, फसल चक्र एवं कम लागत, स्थाई कृषि आदि सम्बन्धित गतिविधियाँ नहीं हैं। फलतः आपदा के समय जोखिम का सामना करना पड़ता है।
- ❖ कृषिगत गतिविधियों में उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवार नाशक, इमिडाक्लोरोप्रिड, इन्डोफिल, फ्यूराडान, रिजेन्ट, रोगार, मीरा 71, आदि का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है।
- ❖ गाँव में गाय, भैंस आदि पशुपालन होने के बावजूद भी गोबर का प्रयोग जैविक खाद एवं कम्पोस्ट खाद बनाने हेतु नहीं करते हैं। बल्कि सड़क के किनारे ढेर लगाकर रखा रहता है या कन्डों/उपलों के रूप में प्रयोग करते हैं।
- ❖ मानसून के समय जल जनित बिमारियाँ अधिकांशतः होती हैं जिसमें टाईफाइड, मलेरिया, बुखार सांस सम्बन्धित बिमारी खॉसी, सर्दी जुखाम होती रहती है। जिसमें अधिकांशतः बच्चों एवं महिलाएँ इन बिमारियों से ग्रसित रहते हैं।
- ❖ ग्राम पंचायत में दो आँगनबाड़ी केन्द्र हैं जिसमें एक आँगनबाड़ी केन्द्र अलग से बना हुआ है जो कि पूरी तरह जर्जर है जिसमें शौचालय एवं बरामदा नहीं हैं। जिसमें 42 बच्चों (18 लड़की+24 लड़का) आँगनबाड़ी कार्यकर्ता के घर आते हैं। दूसरे आँगनबाड़ी केन्द्र प्राथमिक विद्यालय के भवन में ही चलता है जिसमें कुल 35 बच्चों (18 बालक+17 बालिका) पढ़ते हैं जहाँ विभिन्न स्तर पर स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं शिक्षा सुविधा में समस्या आती है।
- ❖ कृषि परामर्श एवं मौसम पूर्वानुमान चेतावनी तन्त्र का अभाव है, जिनके कारण समय पूर्व सूचना एवं जानकारी नहीं मिलती है।
- ❖ गाँव में जन सुविधा केन्द्र नहीं होने से विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं से समुदाय वंचित रहते हैं।
- ❖ कृषि परामर्श केन्द्र एवं मौसम पूर्वानुमान चेतावनी तन्त्र का अभाव लोगों के जलवायु परिवर्तन के प्रति नाजुकता में वृद्धि करता है।
- ❖ गाँव स्तर पर पारम्परिक रोजगार में कमी के कारण लोगों का पलायन बढ़ा है।

4- क्षमता विश्लेषण-

ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की दृष्टि से विशेषकर आपदाओं के संदर्भ में गाँव के लोग स्वयं में कितना सक्षम हैं इसकी जानकारी हेतु समुदाय के साथ मिलकर समग्र ग्राम पंचायत का क्षमता आकलन किया गया। जैसा कि मानना है कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले आपदाओं के खतरे से आस पास के उपलब्ध संसाधन भी प्रभावित होते हैं।

यह संसाधन भौतिक, मानव एवं पर्यावरणीय संसाधन के रूप में उपलब्ध होते हैं। इनकी पहचान होने से आपदा के खतरों से निपटने में यह संसाधन मददगार साबित होते हैं। गाँव में बच्चों के शिक्षा हेतु दो प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं। लोगों के आवागमन हेतु गाँव में खड़जा, मुख्य सड़कें हैं। ग्राम पंचायत में अधिकांशतः सभी घर पक्के हैं, लेकिन जल निकासी हेतु नाला/नाली नहीं हैं। नलों के पास

जल जमाव है, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। कई स्थानों पर सड़के भी टूटी हुई है जिसके कारण बरसात के दिनों में आवागमन बाधित रहता है। ग्राम पंचायत का पंचायत भवन अभी निर्माणाधीन है गाँव में जल आपूर्ति हेतु सरकारी पानी की टंकी नहीं है। इंडिया मार्का हैण्डपम्प कुल 47 पेयजल हेतु उपलब्ध है। ज्यादातर संसाधन वाले परिवार सबमर्सिबल लगाये है जिसका प्रयोग सिंचाई हेतु भी करते है। ग्राम पंचायत में कुल 3 तालाब है एक सिखड़ी तथा 2 डोमनपुर चिउटहिया में हैं। 15 – 20 वृक्षों का आम, महुआ, नीम आदि का बागीचा उपलब्ध है। संगठन के तौर पर ग्राम पंचायत में कुल 8 स्वयं सहायता समूह कार्यरत है जिसमें 11 से लेकर 15 तक प्रत्येक समूह में सदस्य है जिसमें से सभी समूहों का सी0सी0एल0 हो चुका है।

सुविधा संसाधन मानचित्र से लिये गये आंकड़ें एवं तथ्य—

ग्राम पंचायत के लोगों के साथ बातचीत के क्रम में गाँव स्तरीय उपलब्ध संसाधन को तीन स्तर में देखने का प्रयास किया गया है। जिसमें गाँव में उपलब्ध भौतिक एवं पर्यावरणीय संसाधन एवं मानव संसाधन है। भौतिक एवं पर्यावरणीय संसाधन को सामाजिक एवं सुविधा मानचित्रण पर दर्शाया गया है। जबकि मानव संसाधन को चर्चा कर दर्शाने का प्रयास किया गया है जो कि निम्न है।

भौतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं गाँव से दूरी—

क्र० सं०	विवरण	संख्या	सम्पर्क व्यक्ति का नाम	गाँव से दूरी
1	प्राथमिक विद्यालय	2	मनीष चन्द दुबे 9415546459 ओमप्रकाश यादव 9454122069	0, .5 किमी०
2	थाना – भदोही	1		8 किमी०
3	कचहरी – भदोही	1		8 किमी०
4	तहसील – भदोही	1		8 किमी०
5	जिला चिकित्सालय	1		20 किमी०
6	विकास खण्ड कार्यालय भदोही	1		8 किमी०
7	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भदोही	1		8 किमी०
8	आपदा विभाग – भदोही	1		22 किमी०
9	पोस्ट आफिस	1		1 किमी०
10	विजली विभाग उपकेन्द्र	1		8 किमी०
11	डिग्री कालेज, भदोही	2		10 किमी०
12	हाईस्कूल	1		15 किमी०
13	मीडिल स्कूल	1		15 किमी०
14	फायर स्टेशन – भदोही	1		12 किमी०
15	एम्बुलेंस व्यवस्था – भदोही	1		8 किमी०
16	बस स्टेशन – भदोही	1 निर्माणाधीन		8 किमी०
17	रेलवे स्टेशन – भदोही	1		8 किमी०
18	खाद/बीज गोदाम	1		1 किमी०
19	बाजार – नई बाजार	1		3 किमी०
20	बैंक – नई बाजार	1		3 किमी०
21	जन सेवा केन्द्र (C.S.P.)	1		.5 किमी०

22	पंचायत भवन	1	निर्माणाधीन	0 किमी०
23	ऑगनवाड़ी केन्द्र	2		0.5 किमी०
24	पुलिस चौकी नई बाजार	1		3 किमी०
25	कोटेदार	1		0 किमी०

प्राकृतिक संसाधन उपलब्धता संख्या एवं दूरी-

क्रमांक	संसाधन पर्यावरणीय संसाधन	संख्या	विवरण/नाम/सम्पर्क संख्या	दूरी
1	तालाब	3		2किमी० 1, 0.5 किमी०
2	कूआं	9		0-1किमी०
3	नाला	2		1 किमी० 0.5 किमी०
4	बाग	1		
5	नदी	1	बरुणा नदी	2.0 किमी०
6	कृषिगत क्षेत्र	150 हे०		
7	सामुदायिक भूमि	46हे०		

मानव संसाधन-

क्रमांक	संसाधन पर्यावरणीय संसाधन	संख्या	विवरण/नाम/सम्पर्क संख्या	दूरी
1	ग्राम प्रधान	1	अरविन्द कुमार सिंह 9628034044	0 किमी०
2	रोजगार सेवक	1	अनिल कुमार गौतम 9044480558	0 किमी०
3	पंचायत सहायक	1	अभिषेक सिंह 9793650502	0 किमी०
4	ऑगनवाड़ी	2	उर्मिला देवी 9651452955 मालती देवी 7767966977	0 किमी० 0.5 किमी०
5	आशा बहू	2	ऊषा देवी 7054448486 नितू पाल 9793446191	0 किमी० 0.5 किमी०
6	शिक्षक शिक्षिका	4	मनीष दुबे 9415546459 सीमा यादव 9795367364 ओमप्रकाश यादव 9454722069	0 किमी० 0.5 किमी०
7	ए०एन०एम०	1	मेतराजी देवी	
8	झोला छाप डाक्टर	1	डा० बंगाली	1 किमी०
9	तैराक	25		0.5 किमी०
10	समूह सखी	1	सरिता देवी 9838333471	0 किमी०

वित्तीय संसाधन-

उपरोक्त के अतिरिक्त गाँव के पास वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध है। ग्राम पंचायत के पास वित्तीय वर्ष 2022-2023 में उपलब्ध होने वाले संभावित वित्तीय संसाधनों के विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	मद	वर्ष 2022-23
1	15वां बिल्ट आयोग	रु० 292662/-

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु सभी अभ्यासों को करने के उपरान्त सेक्टर वार जानकारी प्राप्त करने के लिए समूह चर्चा की गयी। इस चर्चा के दौरान ही सभी 5 सेक्टरों के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न विन्दुओं की ग्राम पंचायत में वर्तमान स्थिति उससे सम्बन्धित समस्याएं, उन समस्याओं के निराकरण हेतु विशिष्ट कार्ययोजना के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। उपरोक्त सूचनाओं, तथ्यों एवं ग्रामीणों से चर्चा व विचार-विमर्श के बाद क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना को तैयार किया गया है। जिसमें आपदा, जोखिम, जोखिम के कारण व समाधान आदि के बारे में सूचना संकलन कर तैयार किया गया है। सेक्टरवार क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत डोमनपुर चिउटहिया की कार्य योजना तालिका -

क्र० सं०	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिधाय
1	सेक्टर I मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा साफ सफाई	9 कुओं की सफाई सुरक्षा एवं मरम्मत का काम	सिखड़ी में अलग-अलग टोले के स्तर पर डोमनपुर की दलित बस्ती	सिखड़ी में- 7 डोमनपुर में- 2	7 लाख	3 माह गर्मी के मौसम	15वां वित्त आयोग
2	स्वच्छता	कूड़ा पात्र रखवाना	कूड़ा निस्तारण हेतु 15 कूड़ा पात्र रखवाना	4, दलित बस्ती में 1, पंचायत भवन 5, डोमनपुर चिउटहिया, 5 सिखड़ी	30 हजार	10 दिन	15वां वित्त आयोग एवं ग्राम निधि
3		सामुदायिक शौचालय निर्माण	महिला, पुरुष एवं विकलांग हेतु शौचालय निर्माण	1 डोमनपुर चिउटहिया, 1 सिखड़ी	20 लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग
4		जैविक कूड़ा प्रबन्धन केन्द्र	स्वयं सहायता समूह द्वारा स्वयं की जमीन में संरचना का निर्माण	दलित बस्ती सिखड़ी	5 लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग
5		नाडेप, जैविक खाद का पिट निर्माण	20, वर्मी कम्पोस्ट पिट 10, नाडेप कम्पोस्ट पिट का निर्माण	10, डोमनपुर चिउटहिया 10 सिखड़ी 5, डोमनपुर चिउटहिया 5 सिखड़ी	3.5 लाख	1 वर्ष	15वां वित्त आयोग मनरेगा कृषि विभाग
6		हैण्ड पम्प रिवोर	पेय जल की उपलब्धता हेतु 4, हैण्ड पम्प का रिवोर	2, सिखड़ी 2 दलित बस्ती	2.5 लाख	4-6, माह	15वां वित्त आयोग
7	मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, साफ सफाई	पानी सफाई हेतु ट्रिटमेंट केन्द्र	गढ़े पानी के सफाई हेतु 1 ट्रिटमेंट केन्द्र	डेयरी से दलित बस्ती के पास	2.5 लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग
8		नाला निर्माण	हरिनरायण पाल के घर से जल निकासी हेतु नाला निर्माण 200 मीटर	पाल बस्ती	5 लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग/मनरेगा
9		जल निकासी हेतु पाइप (मोटा पाइप) लगवाना	अरविन्द के खेत से नदी तक मोटी पुलिया डालकर नाले की सफाई एवं रास्ता बनाना (पाल बस्ती में) 1 किमी०	पाल बस्ती	25 लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग/मनरेगा
10		नाला निर्माण	(गम्पू) महेन्दर के नाला तक पानी निकास हेतु पक्की नाली का निर्माण 200 मीटर ❖ मुन्ना के घर से नाला तक नाली का निर्माण 300 मीटर	डोमनपुर दलित बस्ती	5 लाख 7.5 लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग/मनरेगा
11		नाला सफाई एवं खोदाई	पंचायत भवन से लालचन्द के घर तक नाले की सफाई 500 मीटर ❖ ललही माता के स्थान से लालचन्द के घर तक पक्का नाली निर्माण 300 मीटर	डोमनपुर चिउटहिया दलित बस्ती	10 लाख 7.5 लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग/मनरेगा
12		नाली निर्माण एवं सफाई	❖ पन्ना लाल के घर से जल निकास हेतु नाला तक नाली का निर्माण- 150 मीटर ❖ रमाशंकर के घर से विजयशंकर के घर से होते हुए अशोक कुमार के घर तक नाली निर्माण- 100 मीटर	डोमनपुर दलित बस्ती दलित बस्ती	3 लाख 75 हजार 2.5 लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग/मनरेगा

			<ul style="list-style-type: none"> ❖ ईश्वर चन्द के खेत से शारदा तिवारी के खेत तक नाली निर्माण- 100 मीटर ❖ लालचन्द कन्नौजिया के घर से छिनहू पाल के घर तक नाली निर्माण- 200 मीटर ❖ पाली बस्ती से वरुणा नदी तक नाला सफाई का कार्य- 500 मीटर ❖ ललही माता मन्दिर से वरुणा नदी तक नाला खुदाई व सफाई- 1000 मीटर ❖ लालचन्द मिश्रा के दरवाजे से वरुणा नदी तक नाला खुदाई कार्य- 500 मीटर ❖ छितहू पाल के घर से उपाध्याय के चक तक- 500 मीटर वाला खोदाई 	डोमनपुर चिउटहिया सिखड़ी सिखड़ी सिखड़ी सिखड़ी सिखड़ी	2.5 लाख 5 लाख 2.5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख		
सेक्टर- 2 बुनियादी आधार भूत संरचना एवं पर्यावरण	ऑगनवाड़ी केन्द्र का जीर्णोद्धार	जर्जर ऑगनवाड़ी केन्द्र के भवन का रिनोवेशन (कमरा शौचालय पेयजल की सुविधा)	डोमनपुर चिउटहिया	15 लाख	1 वर्ष	15वें वित्त आयोग	
"	सोखा गड़दा	जल प्रबंधन हेतु 20 सोखत गड़दा	15 डोमनपुर चिउटहिया 5 सिखड़ी	7 लाख	6 माह	15वें वित्त आयोग, मनरेगा	
"	तालाब संरक्षण	3 तालाब का संरक्षण का कार्य (सफाई चौहदी चबुतरा, वृक्षारोपण आदि का कार्य)	2 डोमनपुर चिउटहिया 4 एकड़ सिखड़ी- 1 तालाब 2 एकड़	15 लाख	1 वर्ष	15वें वित्त आयोग, मनरेगा वन विभाग	
"	सड़क का उच्चीकरण	सरजवलौ पाल के घर से वरुणा नदी तक, 2 फुट उच्चीकरण एवं खडंजा 1 किमी०	सिखड़ी पाल बस्ती	27 लाख	6 माह	15वें वित्त आयोग, मनरेगा	
"	सड़क का R.C.C. एवं इंटरलाकिंग	रमाशंकर गौतम के दरवाजे से दुर्गा देवी के दरवाजे तक R.C.C. 200 मीटर	डोमनपुर चिउटहिया	8 लाख	1 वर्ष	15वें वित्त आयोग, मनरेगा	
"	"	लालचन्द कन्नौजिया के दरवाजे से लालचन्द मिश्रा के घर तक R.C.C. व नाली 400 मीटर	डोमनपुर चिउटहिया	16 लाख	1 वर्ष	15वें वित्त आयोग, मनरेगा	
सेक्टर 2 बुनियादी आधारभूत संरचना एवं पर्यावरण	"	नरेश गौतम के घर से मेन सड़क तक R.C.C. 100 मीटर	डोमनपुर चिउटहिया दलित बस्ती	4 लाख	1 वर्ष	"	
"	"	अवधराज गौतम के घर से मेन सड़क तक R.C.C. 100 मीटर	डोमनपुर बस्ती	4 लाख	1 वर्ष	"	
"	"	अम्बेडकर पार्क से राजू गौतम के घर तक R.C.C. 150 मीटर	डोमनपुर दलित बस्ती	6 लाख	1 वर्ष	"	
"	"	बाबुल नाथ के घर से लालचन्द गौतम के घर तक R.C.C. 100 मीटर	डोमनपुर दलित बस्ती	4 लाख	1 वर्ष	"	
"	"	सिखड़ी प्राथमिक विद्यालय सं पाल बस्ती तक R.C.C. 200 मीटर	सिखड़ी	8 लाख		"	
"	"	पक्की सड़क से राजू कुमार गौतम के घर तक R.C.C. 100 मीटर	सिखड़ी	4 लाख		"	
"	"	मुख्य सड़क से प्राथमिक विद्यालय डोमनपुर तक R.C.C. 150 मीटर	डोमनपुर चिउटहिया	6 लाख		"	
"	"	पंचायत भवन से गया सिंह के भट्टा तक R.C.C. 300 मीटर	डोमनपुर चिउटहिया	12 लाख		"	
सेक्टर न0 2 बुनियादी आधार भूत संरचना एवं पर्यावरण	मेढ़वन्दी कार्य वृक्षारोपड़ सौर ऊर्जा द्वारा प्रकाश की व्यवस्था	छायादार, फलदार एवं टिम्बर वाले वृक्षों का रोपड़, ट्री गार्ड के साथ पौधों की सुरक्षा 30 घरों के छतों पर सौर ऊर्जा के लिये पैनल एवं प्रकाश व्यवस्था	सभी 3 तालाब एवं खेतों के आस पास 20 डोमनपुर चिउटहिया, 10 सिखड़ी	10 लाख 7.5 लाख	1 3 माह	15वें वित्त आयोग मनरेगा वन विभाग 15वें वित्त आयोग	
सेक्टर 3 आजीविका, कृषि, पशु पालन	नर्सरी का निर्माण	8 समूह के माध्यम से सब्जी की व फलदार वृक्षों की नर्सरी तैयार करना एवं विक्री	6 समूह डोमनपुर 2 समूह सिखड़ी	1.60 लाख	6 माह	मनरेगा	
	पशुआश्रय स्थल	व्यक्तिगत स्तर पर 15 पशुआश्रय का निर्माण	10 डोमनपुर	15 लाख	6 माह	15वें वित्त	

नोट- ग्राम पंचायत की कार्ययोजना का निर्माण पूर्व में भी ग्रामप्रधान, सचिव एवं ग्राम पंचायत के जे0ई0 द्वारा किया जाता रहा है। उपरोक्त के क्रम में ही ग्राम पंचायत के प्रधान व सचिव द्वारा उपरोक्त योजना हेतु लगने वाले धनराशि व संसाधन बताये गये हैं अतः उन्हीं के द्वारा लागत बताई गयी है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण की सहभागी प्रक्रिया-

ग्राम पंचायत डोमनपुर चिउटहिया की आगामी वित्तीय वर्ष हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु पंचायत के सभी समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु ग्रामप्रधान अरविन्द कुमार सिंह के सहयोग से गाँव के अलग-अलग जाति आधारित बस्ती के हिसाब से छोटी-छोटी बैठकों का आयोजन किया गया व उद्देश्यों पर बातचीत की गई।

बैठकों का आयोजन-

ग्राम पंचायत डोमनपुर चिउटहिया के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना बनाने हेतु समुदाय व ग्राम पंचायत से जुड़े विभिन्न हितभागियों के साथ छोटी-छोटी वार्ड स्तर पर बैठक की गई जिसमें गाँव के प्रधान पंचायत सदस्य, स्वयं सहायता समूह की महिला, आंगनवाड़ी, आशा, गाँव के महिला किसान व पुरुष इकट्ठे हुए। बैठक टोला पुरवा, स्तर पर की गई जिसमें अलग-अलग कुल लगभग प्रत्येक बैठक में 20-25 पुरुष महिला उपस्थित रही।

विस्तृत विवरण देखें- संलग्नक संख्या - 1

समग्र ग्राम पंचायत के आपदा व जोखिम व जीवन जीने के तौर-तरीको को समर्थन की दृष्टि से बैठक में उपस्थित पंचायत प्रतिनिधि ग्राम सेवक, पंचायत सहायक, पंचायत सचिव व अन्य ग्रामीण पुरुष व महिला पंचायत सदस्य के साथ समाज के हर वर्ग को साथ लेकर ग्राम पंचायत के अलग-अलग जाति आधारित टोले का ट्रान्जेक्ट वाक किया गया- ट्रान्जेक्ट वॉक प्राथमिक विद्यालय से शुरू कर दलित बस्ती, पाल बस्ती, मुख्य ग्राम, निर्माणाधीन पंचायत भवन, आँगनवाड़ी भवन, तालाब, खेत,से होते हुए व बातचीत करते हुए पुनः प्राथमिक विद्यालय पर समाप्त की गई - ग्राम पंचायत डोमनपुर चिउटहिया से सिखड़ी लगभग 500 मीटर व लगभग 1 किमी0 की दूरी पर पाल बस्ती व दलित बस्ती अवस्थित है।

5-	कुल कच्चे घरों की संख्या	10	7 दलित बस्ती, 3 सिखड़ी
6-	आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की संख्या	95	सभी टोलों पर
7-	विकलांगजनों की संख्या	6	सभी टोलों पर
8-	महिला मुखिया परिवार की संख्या	20	सभी टोलों पर
9-	इंडिया मार्का हैण्डपम्प	47	25, सिखड़ी, 22 डोमनपुर चिउटहिया
10-	सबमर्सिबल की संख्या	22	12सिखड़ी,10डोमनपुरचिउटहिया

जातिगत क्षेत्र विवरण

सामान्य जाति के घरों की संख्या	78
पिछड़ी जाति के घरों की संख्या	158
अनुसूचित जाति के घरों की संख्या	71
कुल घरों की संख्या	307

विस्तृत विवरण देखें- संलग्नक संख्या- 3

संलग्नक- 1

वातावरण निर्माण

ग्राम पंचायत डोमनपुर चिउटहिया की आगामी वित्तीय वर्ष हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु सभी ग्रामवासी की सहभागिता सुझाव, विचार, समस्या, समाधान व उसके तौर तरीकों को लोगों के दृष्टिकोण से समझने हेतु ग्राम पंचायत प्रधान व उनके प्रतिनिधि के साथ गाँव के वार्ड स्तर पर छोटी-छोटी बैठकों का आयोजन किया गया। इस पूरी प्रक्रिया हेतु वातावरण के निर्माण का प्रयास किया गया जिसमें वार्ड स्तर पर पंचायत प्रतिनिधि, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, आशा, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, आँगनवाड़ी, महिला किसान एवं गाँव के बुजुर्ग बच्चों, सभी शामिल रहे व पूरी प्रक्रिया में सहयोग प्रदान किये। बैठक में जलवायु परिवर्तन व मौसम में आ रहे बदलाव व उसके प्रभाव पर चर्चा शुरू की गई जिसमें स्वयं लोगों द्वारा विशेषकर बड़े बुजुर्ग द्वारा अपने-अपने अनुभव बताने लगे। जलवायु परिवर्तन का सीधा असर मानव जीवन व खेती किसानों पर सीधा असर पड़ रहा है। सरकार इस दिशा में सतत प्रयास कर रही है व संवेदनशील भी है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि उ०प्र० सरकार प्रदेश के 39 जनपद के चिन्हित 39 ग्राम पंचायतों में इस तरह का प्रयास कर रही है। जिसमें जनपद संत रविदास नगर के विकास खण्ड भदोही की ग्राम पंचायत डोमनपुर चिउटहिया का चयन किया गया है। समुदाय के लोगों को बताया गया कि पूर्व में भी आप की पंचायत की कार्य योजना बनती रही है। परन्तु इस कार्य योजना का मुख्य फोकस जलवायुगत/मौसम से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान हेतु विकास के सभी मुद्दों के साथ जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना के निर्माण की प्रक्रिया पूर्व करनी है जिसमें हम सभी की सहभागिता होनी चाहिए।

बैठक के दौरान समुदाय के लोगों ने बताया कि गाँव में कुल छोटे-बड़े 3 तालाब हैं लेकिन तीनों तालाब के चारों तरफ मिट्टी का घेरा बना हुआ है जिससे बरसात का पानी तालाब में न जाकर गाँव में ही फैलता है जिससे जल जमाव की स्थिति बनी रहती है गाँव का पानी निकलने की कोई नाली या निकलने का रास्ता नहीं है। फलतः अधिकांश पानी ग्राम पंचायत के कृषिगत भूमि में फैल जाता है। लोगों का कहना है कि गाँव में ईट-भट्ठे द्वारा कृषिगत भूमि से 3- फुट मिट्टी निकालकर ऊँचा-नीचा कर दिया गया है जिससे जल जमाव से फसलों के उत्पादन पर भी असर पड़ रहा है।

पंचायत समिति का विवरण

क्र० सं०	प्रशासनिक समिति	क्र० सं०	निर्माण कार्य समिति	क्र० सं०	स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति
1	अरविन्द कुमार सिंह (प्रधान)	1	सूरसती देवी (अध्यक्ष)	1	शहिला देवी (अध्यक्ष)
2	लालती देवी	2	चन्दन सिंह	2	भरत सिंह
3	गुलाबा देवी	3	पिंकी उर्फ इन्दू	3	उमेश चन्द
4	शहिला देवी	4	लालती देवी	4	सूरसती देवी
5	भरत सिंह	5	गुलाबा देवी	5	चन्दन सिंह
6	उमेश चन्द	6	शाहिला देवी	6	लालती देवी
7	सूरसती देवी	7	भरत सिंह	7	पिंकी उर्फ इन्दू

क्र० सं०	पेय जल स्व स्वच्छता एवं जल प्रबन्धन समिति	क्र० सं०	नियोजन एवं विकास समिति	क्र० सं०	शिक्षा समिति
1	लालती देवी (अध्यक्ष)	1	अरविन्द कुमार सिंह (प्रधान)	1	अरविन्द कुमार सिंह (प्रधान)
2	गुलाबा देवी	2	उमेश चन्द	2	शाहिला देवी
3	शाहिला देवी	3	सूरसती देवी	3	भरत सिंह
4	भरत सिंह	4	चन्दन सिंह	4	उमेश चन्द
5	चन्दन सिंह	5	पिंकी उर्फ इन्दू	5	सूरसती देवी
6	सूरसती देवी	6	लालती देवी	6	चन्दन सिंह
7	लालचन्द पाल	7	गुलाबा देवी	7	पिंकी उर्फ इन्दू

स्कूल प्रबन्धन समिति (I) (डोमनपुर चिउटहिया)			स्कूल प्रबन्धन समिति (II) (सिखड़ी)		
1	झारखण्डेय सिंह	अध्यक्ष	1	रमेश चन्द्र	अध्यक्ष
2	सरिता देवी	उपाध्यक्ष	2	शेषमणि त्रिपाठी	उपाध्यक्ष
3	उषा देवी	सदस्य	3	वाकू राम मौर्या	सदस्य
4	रेखा देवी	सदस्य	4	धर्मराज	सदस्य
5	सरोजा देवी	सदस्य	5	सरस्वती देवी	सदस्य
6	पिंकी सिंह	सदस्य	6	सीमा पाल	सदस्य
7	नगीशा यादव	सदस्य	7	संगीता देवी	सदस्य
8	दीनानाथ सिंह	सदस्य	8	मुन्नी देवी	सदस्य
9	राजनसीन सिंह	सदस्य	9	चन्दा	सदस्य
10	रमेश यादव	सदस्य	10	आरती पाल	सदस्य
11	नन्दलाल	सदस्य	11	संगीता पाल	सदस्य
12	भरत सिंह	पंचायत सदस्य	12	भरत सिंह	पंचायत सदस्य
13	मंतराजी देवी	ए०एन०एम०	13	मंतराजी देवी	ए०एन०एम०
14	कमलेश कुमार	लेखपाल	14	कमलेश कुमार	लेखपाल
15	मनीष चन्द दूबे	प्रधानाध्यापक	15	ओमप्रकाश यादव	प्रभारी प्रधानाध्यापक

ग्राम पंचायत सदस्य का नाम

1	अरविन्द कुमार सिंह	ग्राम प्रधान	7	लालचन्द पाल	सदस्य
2	भगत सिंह	वार्ड सदस्य	8	सूरसती देवी पत्नी विजय बहादुर	
3	गुलाबा देवी	सदस्य	9	सोनी सिंह	
4	पिंकी उर्फ इन्दू	सदस्य	10	लालती	
5	चन्दन सिंह	सदस्य	11	साहिला देवी	
6	उमेश चन्द	सदस्य	12	सूरसती देवी पत्नी गुरुचरण	

ट्रान्जेक्ट वाक — (ग्राम प्रयोग)

ग्राम पंचायत में बैठक के दौरान गाँव के उत्साही, अनुभवी व सूचनादाता के रूप में शामिल सभी लोगों के साथ जलवायुगत आपदा एवं जोखिम को समझने की दृष्टि से सभी लोगों ने ग्राम पंचायत की कुल अलग-अलग चार दलित बस्ती, सिखड़ी टोला, व पाल बस्ती का ट्रान्जेक्ट वाक किया गया। सबसे पहले निर्माणाधीन पंचायत भवन को देखते हुए दलित बस्ती, तालाब, बाग बगीचा, कृषिगत भूमि व फसल, पशुधन, रास्ता, मकान, पेयजल व अन्य सरकारी उपलब्ध सेवाएं/सुविधाओं, नाली, रहन सहन आदि को देखते हुए लोगों से बातचीत करते हुए ट्रान्जेक्ट वाक का कार्य पूरा किया गया।

ट्रान्जेक्ट वाक के दौरान अवलोकन की गई स्थितियाँ—

बसाहट	<p>डोमनपुर चिउटहिया गाँव को नई बाजार से वरुणा नदी तक जाने वाली मुख्य सड़क दो भागों में बाँटती है। डोमनपुर ग्राम पंचायत में कुल 199 परिवार हैं जिनके अधिकांशतः घर पक्के हैं, ग्राम सिखड़ी में कुल 108 घर हैं। गाँव में आने-जाने के रास्ते भी कच्चे व खड़जा बने हुए हैं जो कि टूटे फूटे एवं ऊँचे निचे हैं। डोमनपुर चिउटहिया में ही अलग-अलग तीन दलित बस्ती हैं। शेष ठाकुर, मौर्या, धोबी, यादव, पाल, ब्राह्मण हैं। जानवरों के रखने के लिए अलग से कोई मकान नहीं है, किसी तरह टीन शेड, फूस की छत लगाकर रखते हैं। गाँव में कूआँ तो जरूर है लेकिन कुएं का प्रयोग गाँव के लोग न स्वयं करते हैं और न ही जानवर के इस्तेमाल में लाते हैं। पीने के पानी हेतु समुदाय हैण्डपम्प के पानी पर निर्भर हैं जो कि इंडिया मार्का II हैण्डपम्प हैं। निजी हैण्डपम्प नहीं हैं। कुछ परिवार इंडिया मार्का II हैण्डपम्प में ही सबमर्सिबल लगाये हुए हैं। जिसका प्रयोग घर के आस-पास की जमीनों में सब्जी की खेती की सिंचाई करते हैं।</p> <p>लहसुन, प्याज, पालक, मूली, बैंगन, धनियां लगाये हुए हैं। गाँव में फलदार वृक्ष नीम का पेड़, पीपल का पेड़ जगह-जगह दिखे। इसके अलावा पशुधन के रूप में भैंस, बकरी, गाय, भेंड़ एवं मुर्गा-मुर्गी भी देखे गये।</p>
तालाब	ग्राम पंचायत में कुल 3 तालाब हैं। डोमनपुर में कुल दो तालाब हैं, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4 एकड़ तथा सिखड़ी में एक तालाब है, जिसका क्षेत्रफल 2 एकड़ है। लोगों का कहना है कि हर तालाब पर अतिक्रमण है, लोग उसमें कण्डा/उपला बनाते हैं। कृषि अवशेष रखते हैं और अन्य तरीके से उसका प्रयोग करते हैं। तालाब का पानी मार्च अप्रैल के महीनों में सूख जाता है।
बाग बगीचा	ग्राम पंचायत के दोनों पुरवों में छिटपुट जगह-जगह फलदार पेड़ आम, अमरूद का पेड़ छिटपुट दिखें। इमारती लकड़ी जिसमें नीम, शीशम ज्यादा दिखें। सिखड़ी के पास पाल बस्ती के पास 15-20 आम के पेड़ का बाग है।
भौतिक संसाधन	ग्राम पंचायत डोमनपुर चिउटहिया में पंचायत भवन निर्माणाधीन है। ग्राम पंचायत की जमीन में ही गैस पाइपलाईन का केन्द्र बन रहा है। गाँव में ही डोमनपुर में आँगनवाड़ी केन्द्र है जिसमें केवल 2 कमरे हैं व दरवाजा टूटा हुआ है जिसका प्रयोग नहीं होता है। बच्चों को दिये जाने वाले पौष्टिक आहार आँगनवाड़ी कार्यकर्ती अपने घर से देती है। आँगनवाड़ी केन्द्र की जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। दूसरा आँगनवाड़ी केन्द्र सिखड़ी के प्राथमिक

	<p>विद्यालय में चल रहा है। गाँव के लोग पेयजल हेतु इंडिया मार्का हैण्डपम्प का प्रयोग करते हैं व हैण्डपम्प में ही 1- 2 हार्सपावर का सबमर्सिबल लगाकर सब्जी की खेती के लिए सिंचाई का कार्य करते हैं।</p> <p>ग्राम पंचायत डोमनपुर में प्राथमिक विद्यालय के कैम्पस में जगह होने के कारण बच्चें स्कूल में खेलते हैं। स्कूल बन्द होने के बाद गाँव के अन्य बच्चें चारदिवारी लॉघकर आकर खेलते हैं और स्कूल की सम्पत्ति का नुकसान करते हैं। उसी तरह सिखड़ी के प्रा० स्कूल में बच्चों के पानी पीने के लिए हैण्डपम्प खराब है जिससे पानी गंदा आता है वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सभा की टंकी से पानी पीने हेतु कनेक्शन लिया गया है। सभी दोनों गाँव डोमनपुर चिउटहिया एवं सिखड़ी के भ्रमण के उपरान्त ग्राम पंचायत के शिव मंदिर के परिसर में ग्रामवासियों की उपस्थिति में सामाजिक तथा संसाधन मान चित्रण तैयार किया गया जिसके आधार पर प्राप्त सूचनायें निम्न तालिका में प्रदर्शित है।</p>
--	--

विवरण	संख्या	गुणात्मक विवरण
ग्राम पंचायत की चौहद्दी का क्षेत्रफल	196.14 हेक्टेयर	ग्राम पंचायत के सभी 2 पुरवे, बाग, पेड़ पौधे, खेती का स्थान
कुल टोलों की संख्या	2	सिखड़ी, डोमनपुर चिउटहिया
कुल घरों की संख्या	307	108 सिखड़ी, 199 डोमनपुर
कुल पक्के घरों की संख्या	297	अधिकांशतः सभी टोलों पर
कुल कच्चे घरों की संख्या	10	7 दलित बस्ती, 3 सिखड़ी
आर्थिक रूप कमजोर परिवारों की संख्या	95	सभी टोलों पर
विकलांगजनों की संख्या	6	सभी टोलों पर
महिला मुखिया परिवारों की संख्या	20	सभी टोलों पर
इंडिया मार्का हैण्डपम्प की संख्या	47	25 सिखड़ी, 22 डोमनपुर


जातिगत श्रेणी विवरण-

सामान्य जाति के घरों की संख्या	78
पिछड़ी जाति के घरों की संख्या	158
अनुसूचित जाति के घरों की संख्या	71
कुल घरों की संख्या	307

जैसा कि अवगत कराना है कि ग्राम पंचायत डोमनपुर चिउटहिया जनपद मुख्यालय के हाइवे के इंदिरा मील ब्रीज से नई बाजार होते हुए सेरवाँ ग्राम पंचायत के पास वरुणा नदी के पुल वाली मुख्य सड़क पर जनपद मुख्यालय से 10 किमी० एवं नई बाजार से 3 किमी० की दूरी पर अवस्थित है। इस ग्राम पंचायत में कुल 2 पुरवा है। जहाँ क्षत्रीय, ब्राह्मण, लोहार, यादव, धोबी, गड़ेरिया, मौर्या एवं दलित जातियां हैं। कुल 95 परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं, क्षत्रीय और ब्राह्मण परिवार के अलावा बाकी जातियों के पास खेती की जमीन इतनी नहीं है कि स्वयं के खेत के उत्पादन से उनको वर्ष भर भोजन

की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। फलतः इन परिवार के लोग बटाई की खेती करते हैं व खेती मजदूरी व कालीन उद्योग में मजदूरी करते हैं। गरीब परिवारों के मकान और अलग-बगल पानी निकासी की उचित व्यवस्था न हो पाने के कारण मकान में सीलन आती है। जिससे मकान खराब होते हैं।

55% लोग साक्षर है जिसमें महिलाओं की साक्षरता दर 30 से 35% है। जबकि 20 घर ऐसे है जहाँ महिला मुखिया है।



समुदाय के साथ बातचीत करने पर ज्ञात हुआ कि ग्राम पंचायत के लोगों की आजीविका मुख्य रूप से कृषिगत मजदूरी व गैर कृषि मजदूरी पर निर्भर हैं गाँव के अधिकांश लोग कालीन उद्योग में प्राइवेट नौकरी करते हैं जैसे— मुनीबी, वाचमैनी, काती फैलाना, रंगाई आदि का काम करते हैं। गाँव में जिनके पास जमीन है उनसे बटाई लेकर खेती करते हैं जिसमें महिलाएं ज्यादा जुड़ी हुई हैं। सरकारी नौकरी बहुत कम है पशुपालन में लोग, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ पाले हुए हैं। आवश्यकता पड़ने पर किसी को बेचकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। गाँव के कुछ लोग छोटे-मोटे दुकान किये हुए हैं जैसे— पारचून की दुकान, अण्डे की दुकान, चाय की दुकान, आटा पिसाई आदि। इस तरह इनकी आजीविका चल रही है।

आजीविका के साधन	व्यक्ति की संख्या
सरकारी नौकरी	15
प्राइवेट नौकरी	55
पशुपालन	55

दुकान / धन्धा / उद्योग	15
कृषिगत मजदूरी	75
गैर कृषि मजदूरी	80
खेती	180
अन्य	25

आजीविका के साधनों पर आपदाओं का प्रभाव-

क्र० सं०	आजीविका का प्रकार	परिवार की संख्या	आपदा	आपदा का प्रभाव			क्या प्रभाव पड़ता है।
				अधिक	मध्यम	कम	
1	कृषि	75	जल जमाव	√			<ul style="list-style-type: none"> ❖ लगभग 15 एकड़ फसल नष्ट हो जाती है। ❖ आवागमन बाधित होने से कृषिगत गति विधि, बच्चों का स्कूल जाना एवं एक जगह से दुसरे जगह पर जाने में समस्या आती है। (विशेष कर महिलाओं एवं बच्चों को) ❖ धान में पीला रोग लगता है। ❖ धान की नर्सरी प्रभावित होती है। ❖ जल जमाव वाले क्षेत्र की पैदावार प्रभावित होती है।
			सूखा	√			<ul style="list-style-type: none"> ❖ खरीफ की फसल की पैदावार कम होती है। ❖ सिंचाई खर्च अधिक लगता है। ❖ समय से सिंचाई नहीं हो पाती है क्योंकि जिस किसान के पास सिंचाई के साधन है वो पहले स्वयं की सिंचाई करते है, फलतः पैदावार कम होता है।
			शीतलहर		√		<ul style="list-style-type: none"> ❖ आलू में पाला लगता है। ❖ सरसों में माहों लगता है। ❖ फसल का बढ़ाव कम होता है।
2	मजदूरी	60	जल जमाव		√		<ul style="list-style-type: none"> ❖ मनरेगा में काम नहीं मिलता है। ❖ आवागमन बाधित होने से रोजगार भी प्रभावित होती है। ❖ कृषि कार्य की मजदूरी प्रभावित होती है।
			सूखा		√		<ul style="list-style-type: none"> ❖ आजीविका, परिवार का भरण पोषण, खाने की कमी होती है। ❖ पलायन करना पड़ता है। ❖ कृषि में मजदूरी नहीं मिलती है। ❖ आर्थिक संकट होता है।
			शीतलहर		√		<ul style="list-style-type: none"> ❖ आमदनी कम व खर्चा पूर्ववत रहता है। ❖ कृषि एवं गैर कृषिगत कर्ज कम मिलता है।
3	पशुपालन	45	जल जमाव	√			<ul style="list-style-type: none"> ❖ पशु चारा पर्याप्त उपलब्ध नहीं हो पाता है। ❖ सुखा चारा का अभाव व चारे हेतु अधिक खर्च ❖ पशुओं में अधिक बिमारी व आर्थिक खर्च
			सूखा		√		<ul style="list-style-type: none"> ❖ कूँ उत्पादन का कम होना ❖ चारों का अभाव ❖ पशुओं में बिमारी
			शीतलहर	√			<ul style="list-style-type: none"> ❖ शीतलहर से पशुओं में नाना प्रकार की बिमारी (बकरी, भेड़) ❖ पशुचारों की कमी
4	उद्योग धन्धा (स्वयं का व्यवसाय)		जल जमाव		√		<ul style="list-style-type: none"> ❖ बाजार से सामान लाने व ले जाने की समस्या ❖ विक्री न होने से कच्चा माल का खराब होना ❖ सीलन के कारण सामान के रख-रखाव में दिक्कत व सामान का खराब होना
			शीतलहर		√		<ul style="list-style-type: none"> ❖ व्यवसाय का मंदा होना

अनुलग्नक IV: लक्ष्य, लागत, उत्सर्जन से बचाव और अनुक्रमण क्षमता का अनुमान

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियाँ	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना				
1	वृक्षारोपण गतिविधियाँ	<p>चरण 1: वर्तमान में ग्राम पंचायत में हो रही गतिविधियों के सामान (प्रधान के साथ परामर्श के दौरान जानना अनिवार्य है)</p> <p>चरण 2: भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य को 500-1000 तक बढ़ाना।</p> <p>चरण 3: भूमि की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य को 500-1000 तक और बढ़ाना।</p>	<p>वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, श्रम आदि)⁹¹ = ₹70 प्रति पेड़ (पौधे डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार से निःशुल्क उपलब्ध हैं)</p> <p>ट्री गार्ड (धातु)⁹² = ₹1,200 प्रति इकाई</p> <p>वृक्षारोपण का रखरखाव: ₹1.5 लाख/हेक्टेयर</p>	<p>सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुक्रमण की क्षमता का अनुमान - प्रति पेड़ 5.6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO₂e)</p>
2	आरोग्य वन	<ul style="list-style-type: none"> 300-400 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले ग्राम पंचायत के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्राम पंचायत के लिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 0.2-0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। 		<p>कृषि वानिकी के लिए वृक्षारोपण घनत्व 100 पेड़/हेक्टेयर माना जाता है</p>
3	कृषि वानिकी	<p>(यह व्यक्तिपरक हो सकता है और कृषि-वानिकी गतिविधियाँ चरण 1 से शुरू की जा सकती हैं)</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p> <p>चरण 3: शेष कृषि भूमि ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p>	<p>कृषि वानिकी की लागत⁹³ = ₹40,000/हेक्टेयर⁹⁴</p>	

91 वृक्षारोपण दिशानिर्देशों और ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

92 लागत बाजार भाव के अनुसार

93 कृषि वानिकी दिशानिर्देशों पर उप-मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसार लागत

94 <https://link.springer.com/article/10.1007/s42535-022-00348-9>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

सतत कृषि

1	सूक्ष्म सिंचाई-ड्रिप एवं स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 30% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 70% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	₹1 लाख प्रति हेक्टेयर	
2	मेड़बंधी का निर्माण	<p>चरण 1: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 50%</p> <p>चरण 2: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 100%</p> <p>चरण 3: मेड़ों का रखरखाव</p> <ul style="list-style-type: none"> - मेड़ों का निर्माण कृषि क्षेत्रों की परिधि पर किया जाता है - ग्राम पंचायत में किसानों के पास विभिन्न आकारों की भूमि होती है। अनुमान : सभी खेत वर्गाकार होते हैं। 	1 मी. मेड़बंधी के लिए ⁹⁵ = ₹150 रुपये	
3	कृषि तालाबों का निर्माण	<p>चरण 1: 5-10 तालाब</p> <p>चरण 2: 15-20 तालाब चरण : यदि आवश्यक हो तो अधिक + तालाबों का रखरखाव</p> <p>1 कृषि तालाब की क्षमता = 300 m³</p> <p>ग्राम पंचायत में बड़े खेतों की संख्या + तालाबों की आवश्यकता पर निर्भर करता है (प्रधान से की गई बातचीत के आधार पर)</p>	1 कृषि तालाब का निर्माण ⁹⁶ = ₹90,000	

95 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

96 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
4	प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाना	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 15% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	<p>a. प्रशिक्षण और प्रदर्शन (3 सत्र): ₹60,000</p> <p>b. प्रमाणीकरण (विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर): ₹33,000</p> <p>c. फसल प्रणाली का परिचय- जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना--> प्रति एकड़ लागत = ₹2,500</p> <p>d. एकीकृत खाद प्रबंधन- तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद---> प्रति एकड़ लागत = ₹2,500</p> <p>e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन की लागत) = a + b + c + d = ₹1,00,000</p> <p>कुल लागत⁹⁷: क्षेत्र (हेक्टेयर) * e-> 2.471 * 1,00,000 = ₹2,47,100</p>	
5	मिनी मौसम निगरानी स्टेशन की स्थापना	चरण 1: एक मिनी मौसम निगरानी स्टेशन की स्थापना	1 मिनी मौसम स्टेशन की लागत = ₹1,50,000	

97 यूपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (UPSOCA_Tariff_20March.pdf (apeda.gov.in)) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) दिशानिर्देश

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

1	वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों में</p> <p>चरण 2: सभी पीआरआई भवनों + पुनर्भरण गड्डों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना (एचआरवीसीए में सुझाई गई)</p> <p>चरण 3: 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना + सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना</p>	<p>10 m³ क्षमता वाली 1 वर्षा जल संचयन संरचना की लागत⁹⁸ = ₹35,000</p> <p>1 पुनर्भरण गड्डे की लागत = ₹35,000⁹⁹</p>	
2	जल निकायों का रखरखाव (यदि ये वृक्षारोपण समग्र हरित स्थान को बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो लागत की दोगुनी गणना नहीं की जाएगी)	<p>चरण 1: जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना + जल निकायों की परिधि के आसपास वृक्षारोपण (1000) (ट्री गार्ड के साथ)</p> <p>चरण 2: जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 100 वृक्षारोपण (वृक्ष रक्षकों के साथ) + जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p> <p>चरण 3: जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p>	<p>अनुमानित लागत¹⁰⁰: 1. 1 तालाब का जीर्णोद्धार (सफाई, गाद निकालना, जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि, आदि) = ₹7 लाख</p> <p>2. 1 रिटेंशन तालाब (300 m³ क्षमता) का निर्माण = : ₹7 लाख</p> <p>3. ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण = ₹1,200 प्रति यूनिट</p> <p>4. रखरखाव की लागत:</p> <p>a. 1 तालाब/जल निकाय = ₹3,75,000</p> <p>b. 1 प्रतिधारण तालाब = ₹50,000</p> <p>c. ट्री गार्ड वाला पेड़ = ₹20 प्रति यूनिट</p>	

98 छत पर वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश, भारतीय मानक (IS 15797:2008)

99 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

100 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
3	अपशिष्ट जल प्रबंधन	चरण 1: विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली डीईडब्ल्यूएटीएस की स्थापना	<p>डीईडब्ल्यूएटीएस: 1,870 जनसंख्या वाली जीपी के लिए और जल आपूर्ति की मात्रा 120 लीटर/व्यक्ति/दिन, उत्पन्न अपशिष्ट जल की जल आपूर्ति का 80% है, इसलिए उत्पन्न कुल अपशिष्ट जल 1,87,000 लीटर/दिन या ~187 केएलडी है। इसलिए, भविष्य की मांग को ध्यान में रखते हुए, डीईडब्ल्यूएटीएस की अनुमानित क्षमता = 200 केएलडी है</p> <p>1 केएलडी क्षमता डीईडब्ल्यूएटीएस की लागत ₹30,000 है इसलिए 200 केएलडी क्षमता के 1 डीईडब्ल्यूएटीएस की कीमत लगभग ₹60 लाख होगी</p>	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

सतत और उन्नत गतिशीलता

1	मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	चरण 1: सड़क मरम्मत/रख-रखाव कार्य + सड़क आरसीसी/इंटरलॉकिंग कार्य चरण 2 और 3: सड़कों का निरंतर रखरखाव	सड़क रखरखाव /मरम्मत की प्रति किमी लागत : ₹50,00,000 प्रति किलोमीटर	
2	माध्यम आकर के सार्वजनिक परिवहन (आईपीटी) को बढ़ाना	ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार सुझावों के अनुसार ई-ऑटोरिक्षा	1 ई-ऑटोरिक्षा की कीमत: ~₹3,00,000 उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन 12,000 रुपये तक	
3	ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहन किराए पर लेने की सुविधा	चरण 1: डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना + किसानों को ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करना चरण 2 और 3: निरंतर जागरूकता	1 ई-ट्रैक्टर की कीमत = ₹6,00,000 1 कर्माशियल ई-वाहन की कीमत = ₹5 लाख से 10 लाख	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

1	अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना	<p>चरण 1:</p> <p>a. ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के अंतर्गत 100% घरों को शामिल करना</p> <p>b. मौजूदा कचरे का 100% एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>c. कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>d. अन्य हितधारकों (एसएचजी, स्थानीय स्कैप डीलर, स्थानीय व्यवसाय और एमएसएमई) के साथ साझेदारी बनाना</p>	<p>कुल उत्पन्न कचरा = प्राथमिक डेटा, यदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में उत्पन्न प्रति व्यक्ति औसत कचरा लगभग 80 ग्राम प्रति दिन लें;</p> <p>बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट- 58%</p> <p>गैर-बायोडिग्रेडेबल/अकार्बनिक अपशिष्ट - 42%</p> <p>आवश्यक ई-कचरा वैन की संख्या¹⁰¹ =</p> <p>कुल उत्पन्न कचरा/प्रत्येक वैन की क्षमता (310 किग्रा)</p> <p>कूड़ेदानों की संख्या = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों की पहचान करके अनुमान लगाया जा सकता है</p> <p>स्थान (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि)</p>	
		<p>चरण 2:</p> <p>a. ग्राम पंचायत-स्तरीय पुनर्चक्रण और प्लास्टिक श्रेडर इकाई</p> <p>b. अतिरिक्त कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>c. अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>d. मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का रखरखाव</p> <p>e. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>प्लास्टिक श्रेडर इकाई की संख्या = 1 प्रति पंचायत</p> <p>अतिरिक्त कूड़ादान = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि) की पहचान करके अनुमानित करना</p>	

101 लागत बाजार भाव के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		चरण 3: a. रखरखाव कार्य b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत ¹⁰² : 1. 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन = ₹95,000 से 1,00,000 2. 1 कूड़ादान/कंटेनर ¹⁰³ = ₹15,000	
2	जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन	चरण 1: a. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना b. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल: 1. कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय 2. कृषि अपशिष्ट की बिक्री	कुल उत्पन्न बायोडिग्रेडेबल/ जैविक कचरा = प्राथमिक डेटा घरों, वाणिज्यिक दुकानों, सरकारी/पीआरआई भवनों, सार्वजनिक भवनों और खुले स्थानों आदि से जैविक कचरा = xxx किलोग्राम प्रति दिन (प्राथमिक डेटा के अनुसार) संभावित खाद की मात्रा (किलो प्रति दिन) जो उत्पन्न ¹⁰⁴ की जा सकती है = xxx किग्रा/दिन जैविक अपशिष्ट / 2 प्रति वर्ष __ किलोग्राम कृषि अपशिष्ट की आवधिक खाद बनाना (प्राथमिक डेटा के अनुसार)	
		चरण 2 और 3: a. रखरखाव और कम्पोस्ट गड्डों की क्षमता बढ़ाना b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत ¹⁰⁵ : 1. कम्पोस्ट गड्डों की लागत संदर्भ: 30 वर्मीकम्पोस्टिंग और 15 नाडेप कम्पोस्ट गड्डे = ₹4,50,000 2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड (जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कचरे के लिए) लागत संदर्भ: ₹35,00,000	

102 लागत बाजार भाव के अनुसार

103 एसबीएम गाइडलाइन्स और एचआरवीसीए में इनपुट के अनुसार लागत

104 <https://www.biocycle.net/connection-co2-math-for-compost-benefits/#:~:text=In%20the%20process%20of%20making%20compost%20>

105 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
3	एकल-उपयोग-प्लास्टिक पर प्रतिबंध	चरण 1: a. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध b. जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम c. रेस अभियान और लाइफ़ मिशन का लाभ उठाना d. पंचायत, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल	विनिर्माण के क्षेत्र में 100 महिलाओं की भागीदारी	
		चरण 2: a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आस-पास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 200 महिलाएं	
		चरण 3: a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आसपास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 300 महिलाएँ	
4	स्वच्छता अवसंरचना को बढ़ाना	चरण I: घरेलू शौचालय कवरेज को बढ़ाना चरण II और III: शौचा लय कवरेज बढ़ाना और मौजूदा बुनि यादी ढांचे का रखरखाव	1 ट्विन पिट शौचालय की लागत = ₹15,000 से ₹20,000	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

1	सौर छतें	<p>चरण 1: सरकारी/पीआरआई भवन (पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, सीएससी आदि)</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p>	<p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में) = स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ) (प्रत्येक पीआरआई भवन के लिए इसकी गणना करें और कुल जोड़ें)</p> <p>स्थापित क्षमता- उपरोक्त वेबसाइट से</p> <p>कुल स्थापित क्षमता=पंचायत भवन+स्कूल 1+स्कूल 2....+कोई अन्य पीआरआई भवन</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹50,000¹⁰⁶</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = उत्पादित बिजली/365</p>	<p>उत्पन्न वार्षिक बिजली (किलोवाट)* 0.82/ 1000 = ___ टन CO₂</p>
---	----------	---	--	--

106 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		<p>चरण 2 और 3: परिवार अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता मानी गई स्थापित क्षमता - 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>चरण 2: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 40%</p> <p>चरण 3: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 100%</p>	<p>प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>परिवार स्तर पर स्थापित कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 किलो वाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)= पारिवारिक स्तर पर स्थापित कुल क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत[#] = ₹50,000¹⁰⁷</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	
2	कृषि-फोटोवोल्टिक	<p>चरण 2: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 25%</p> <p>चरण 3: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50% उपयुक्त कृषि क्षेत्र – दलहनों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र (मूल्य 10 हेक्टेयर से कम रखें)</p>	<p>प्रति हेक्टेयर 250 किलोवाट स्थापित</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = क्षेत्रफल (हेक्टेयर) * 250 किलोवाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)=कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत¹⁰⁸ = ₹1 लाख</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	

107 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

108 स्थापना/लगाने की लागत बाजार दर के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
3	सौर पंप	<p>चरण 1: 20% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p>चरण 2: 50% डीजल पम्पों का बदला जाना</p> <p>चरण 3: 100% डीजल पम्पों का बदला जाना</p>	<p>स्थापित क्षमता = 5.5 किलोवाट प्रति पंप</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = बदले गए पंपों की संख्या * 5.5 किलोवाट</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली उत्पादन = कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = वार्षिक उत्पादित बिजली / 365</p> <p>प्रति पंप लागत¹⁰⁹ = ₹3 से 5 लाख</p>	<p>डीजल की खपत को कम करना = 390 लीटर/ प्रति/वर्ष</p> <p>प्रति वर्ष कम कुल डीजल खपत = बदले गए पंपों की संख्या * 390</p> <p>उत्सर्जन से बचाव = प्रति पंप प्रति वर्ष 1.05 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (tCO₂e)</p>
4	रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग	<p>चरण 1: 25% घरों में बायोगैस स्थापित + शीर्ष आय वर्ग में 25% घरों में सौर इंडक्शन कुकस्टोव + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं उनके पास बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 2: 50% घरों में बायोगैस स्थापित + 50 शीर्ष आय वर्ग के % घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे + वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घरों में बेहतर चूल्हों की उपलब्धता</p> <p>चरण 3: 100% घरों में बायोगैस स्थापित + शीर्ष आय समूहों में 100% घरों में सौर इंडक्शन और खाना पकाने का चूल्हे की उपलब्धता</p>	<p>1 बायोगैस प्लांट की लागत = ₹50,000</p> <p>2 से 3 m³ बायोगैस संयंत्र की लागत, बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव की लागत = ₹45,000</p> <p>1 उन्नत चूल्हे की लागत = ₹3,000¹¹⁰</p>	

109 लागत बाजार दरों और पीएमकेएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार

110 बाजार दर के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
5	ऊर्जा दक्षता (ईई)	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों को सभी फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर और पंखों से बदलना + सभी परिवारों के 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना</p> <p>चरण 2: सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना + सभी परिवारों में 1 पारंपरिक पंखे को ईई पंखे से बदला जाना।</p> <p>चरण 3: सभी परिवारों में सभी पंखों को ईई पंखों से बदला जाएगा</p>	<p>1 एलईडी बल्ब की लागत = ₹70</p> <p>1 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत = ₹220</p> <p>1 ईई पंखे की लागत = ₹1,110¹¹¹</p>	
6	सौर स्ट्रीटलाइट्स	प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाई-मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - प्रत्येक सरकारी / पीआरआई भवन, तालाब/झील, हरित स्थान/पार्क/खेल का मैदान/उद्यान/आरोग्य वन के लिए 1 (या आवश्यकता के अनुसार अधिक)।	<p>1 हाई-मास्ट की लागत = ₹50,000</p> <p>1 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत = ₹10,000¹¹²</p>	

आजीविका और हृदित उद्यमशीलता को बढ़ाना

1	सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराये पर देना	कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	<p>क्षमता: 1 इकाई = 5 - 10 मीट्रिक टन सब्जियों और फलों/और/या दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन पर आधारित</p> <p>लागत¹¹³: ₹8-15 लाख प्रति यूनिट</p>	
---	---	--------------------------	---	--

111 विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत (<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf>)

112 बाजार दर के अनुसार लागत

113 बाजार मानदंडों के अनुसार लागत

अनुलग्नक V: प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्य

एसडीजी 2: जीरो हंगर



लक्ष्य 2.3: भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, मूल्यवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के लिए बाजार और अवसर तक सुरक्षित और समान अभिगम सहित, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

लक्ष्य 2.4: वर्ष 2030 तक, सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं एवं जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करती हैं।

लक्ष्य 2.a; अनुच्छेद 10.3.e.: सतत सिंचाई कार्यक्रमों का विकास

एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



लक्ष्य 3.3: एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से मुकाबला करना।

लक्ष्य 3.9: खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में काफी कमी लाना।

एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता



लक्ष्य 6.1: पीने के पानी तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करना।

लक्ष्य 6.3: वर्ष 2030 तक, प्रदूषण को कम करके, डंपिंग को समाप्त करके और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की रिहाई को कम करके, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और वैश्विक स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुनः इस्तेमाल को बढ़ाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना।

लक्ष्य 6.4: सभी क्षेत्रों में जल-इस्तेमाल दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और स्थायी निकासी सुनिश्चित करना

लक्ष्य 6.5: सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना

लक्ष्य 6.8: स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और सुदृढ़ करना

लक्ष्य 6.a : अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।

एसडीजी 7: किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा



लक्ष्य 7.1: किफ़ायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना।


लक्ष्य 7.2: ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना

लक्ष्य 7.3: ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना

लक्ष्य 7.a : नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और उन्नत और स्वच्छ जीवाश्म-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक अभिगम की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।

लक्ष्य 7.b: विकासशील देशों में उनके समर्थन कार्यक्रमों के अनुसार सभी के लिए आधुनिक और सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

एसडीजी 8: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास



लक्ष्य 8.3: विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, सही रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और वित्तीय सेवाओं तक अभिगम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना



लक्ष्य 9.1: गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना

एसडीजी 11: संधारणीय शहर और समुदाय



लक्ष्य 11.2: सभी के लिए सुरक्षित, किफ़ायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली

लक्ष्य 11.4: विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करना

लक्ष्य 11.7: वर्ष 2030 तक, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरे और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक अभिगम प्रदान करना।

एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना



लक्ष्य 12.2: प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और कुशल इस्तेमाल प्राप्त करना

लक्ष्य 12.4: वर्ष 2020 तक, सहमत अंतरराष्ट्रीय ढांचे के अनुसार रसायनों और उनके पूरे जीवन चक्र में सभी अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन प्राप्त करना, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, पानी और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.8: वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करें कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।

एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही



लक्ष्य 13.1: सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और अनुकूली क्षमता को सुदृढ़ करना।

लक्ष्य 13.2: जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करना।

लक्ष्य 13.3: जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार करना।

एसडीजी 15: भूमि पर जीवन



लक्ष्य 15.1: अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत दायित्वों के अनुरूप स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 15.2: वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को पुनर्स्थापित करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना।

लक्ष्य 15.3: वर्ष 2030 तक, मरुस्थलीकरण से निपटना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना, और भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करना। लक्ष्य 15.5: प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने, जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्यवाही करना।

लक्ष्य 15.9: वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में एकीकृत करना।

अनुलग्नक VI: वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
इमारती लकड़ी के पेड़			
अकेसिया निलोटिका	फैबेसी	बबूल	गाड़ियों के फ्रेम और पहियों, उपकरणों और औजारों जैसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।
फ़िक्स रिलिजियोसा	मोरेसी	पीपल	इसमें औषधीय गुण और इसका धार्मिक महत्व है।
आज़ादिराक्टा इंडिका ए. जस	मेलियासी	नीम	नीम के पेड़ के सभी भाग - पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मजबूत और दीमक प्रतिरोधी दोनों है।
डालबर्गिया सिस्सो	फैबेसी	शीशम	इसके कई उपयोग हैं, हवाई और समुद्री जहाज में, कोयले के रूप में भोजन को गर्म करने और पकाने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बनाने आदि
मधुका लॉगिफोलिया	सैपोटेसी	महुआ	यह विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करता है।
शोरिया रोबस्टा	डिप्टेरोकार्पेसी	साल	इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है।
सिनामोमम तमाला	लौरैसी	भारतीय तेज पत्ता	यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है।
फल और जंगली खाद्य पौधे			
मैंगीफेरा इंडिका	एनाकार्डिएसी	आम (मैंगो)	इसके सभी भागों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है
आर्टोकार्पस हेटरोफिलस	मोरेसी	कटहल , (जैकफ्रूट)	इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के कई हिस्से, जिनमें छाल, जड़ें, पत्तियां और फल शामिल हैं, पारंपरिक और लोक चिकित्सा में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।
सिडियम गुजावा	मायर्टेसी	अमरूद (गुआवा)	यह विभिन्न गैस सम्बन्धी रोगों के लिए एक सामान्य और लोकप्रिय पारंपरिक उपचार है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
एगारिकस कैम्पेस्ट्रीस एल	एगारिकेसी	धरती का फूल	एक प्रकार का मशरूम।
अंकोलसाल्विफोलियम (एलएफ) वांग	अलंगियासी	ढेरा (एको)	इसके पके फल खाए जाते हैं।
अमोर्फोफैलस पेओनीफोलियसडेनस्ट	अरेसी	हाथीपाँव, जिमी कंद	इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है।
क्रोटोलारियाजंशिया एल.	फैबेसी	सनई	हल्की उबली हुई कलियाँ सब्जी के रूप में खाई जाती हैं।
मणिलकारा हेक्सेंड्रा (रोक्सब) डब	सैपोएटेसी	खिरनी	इससे प्राप्त फलों से अचार और सॉस बनाया जाता है।
यूजेनिया जाम्बोलाना	मायर्टेसी	जामुन	इसकी जड़, पत्तियाँ, फल और छाल में असंख्य औषधीय गुण होते हैं।
एगल मार्मेलोस	रूटेसी	बेल	कच्चे फल, जड़, पत्ती और शाखा का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।
मोरस रूबरा	मोरेसी	शहतूत	शहतूत को कच्चा खाया जा सकता है और इसका उपयोग जैम, प्रिजर्व, पाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं।

औषधीय गुणों वाले पेड़

विथानियासोमिफेरा	सोलानेसी	अश्वगंधा	यह विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोगी है।
बकोपा मोनिएरी	प्लांटागिनेसी	ब्राह्मी	इसका उपयोग विभिन्न सांस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
एंद्रोग्राफीस पैनिकुलता	एकैथेसी	कालमेघ	यह प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
राउवोल्फिया सर्पेन्टिना	एपोसिनेसी	सर्पगंधा	इसका उपयोग कई अलग-अलग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।

औषधीय गुणों वाले लुप्तप्राय पेड़

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
एकोरस कैलमस एल.	अरेसी	बाख, बाल, घोर्बच	ब्रोंकाइटिस, खांसी और सर्दी के इलाज के लिए एक उपयोगी जातीय औषधीय पौधा।
ऐस्पैरैगस ऐडसेंडेसरॉक्सबी	लिलिएसी	शतावरी	हार्मोन असंतुलन से संबंधित स्थितियों के उपचार में मदद करता है।
सेलास्ट्रस पैनिकुलैटस वाइल्ड ।	सेलास्ट्रेसी	उमजैन , मुजहानी , मलकांगनी, ककुंदन	विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोगी है।
अन्य पेड़			
पोपुलस सिलियाटा	सैलिकैसी	सेमल, कपोक	इसकी पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे और हर्बल चाय के लिए किया जाता है।
यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस	मायर्टेसी	तैलपत्र	खांसी और सामान्य सर्दी के उपचार के लिए दवाओं में उपयोग किया जाता है और आवश्यक तेल बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।

